हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक बुधवार, 28 अगस्त, 2019 को माननीय उपाध्यक्ष, श्री हंस राज की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, हिमाचल प्रदेश विधान सभा शिमला-171004 में 11.00 बज़े पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

28.08.2019/1100/बी0एस0/वाई0के0-1

प्रश्न संख्याः 1385

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री होशयार सिंह, अनुपस्थित ।

प्रश्न संख्याः 1402

कर्नन इन्द्र सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस प्रश्न को पूछने के लिए समय दिया। माननीय मंत्री महोदय ने बड़ा विस्तृत उत्तर दिया है। But the position is very alarming. I strongly feel that grave injustice is being done to Ex-Serviceman because there are as many as 4265 vacant posts. भूतपूर्व सैनिकों के बहुत से रिक्त पद नहीं भरे गए हैं। मैंने उत्तर में पाया कि there are 114 vacancies of clerks in all districts; Shimla 82, Sirmour 14, Una 20, Hamirpur 16, likewise Chamba 17 and Mandi 29. These vacancies could have been filled under 15 percent quota which the Government has given to Ex-Serviceman. The vacancies of bus conductors have not been filled up yet. यहां तक की भूतपूर्व सैनिकों के सेवादारों के पद भी रिक्त पड़े हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिकों के रिक्त पद हैं, वे उन्हें मिलने चाहिए थे लेकिन वे पद उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी गंभीरता दिखाते हुए जल्द इन पदों को भरने का मुझे आश्वासन देंगे ?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष जी, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, जिन नौजवानों की भर्ती सेना में 18-19-20 वर्ष की आयु में होती है और फिर वे एक सैनिक के रूप में 15 वर्ष की नौकरी करते हैं और मात्र 32-35 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत हो कर घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वे अपने नाम का पंजीकरण सैनिक कल्याण बोर्ड हमीरपुर में करवाते हैं। उनकी योग्यता के अनुसार जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने 15 प्रतिशत का एक रोस्टर जारी किया है उस 15 प्रतिशत के अनुसार जैसे-जैसे रिक्तियां विभागों में निकलती

जाती है। वैसे-वैसे जो सैनिक पदों के लिए योग्य होते हैं उन्हें उसमें बुलाया जाता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि हमारे भूतपूर्व सैनिक जो 15 वर्षों तक सिविल से पूर्णतः कटा

रहता है और उसे इस प्रकार की जानकारी का अभाव रहता है और उन्हें समय पर पता नहीं चल पाता की हम किस पद के लिए योग्य हैं। माननीय सदस्य कर्नल इन्द्र सिंह जी ने ठीक कहा कि जो इस वक्त 4265 रिक्तियां पड़ी हैं। ये बहुत ज्यादा रिक्तियां है, थोड़ी नहीं है। कुछ रिक्तियां एच.आर.टी.सी. में हैं। इस विभाग में 392 पद रिक्त हैं। उसमें ज्यादातर चालकों और परिचालकों के पद रिक्त हैं, हमारे जो परिचालकों के पद हैं उनमें केवल परिचालक का लाइसेंस लगता है और कुछ भी ज्यादा औपचारिकताएं नहीं होती। मेरी परिवहन मंत्री जी से प्रार्थना रहेगी कि आपके विभाग में परिचालक की पोस्टें खाली पड़ी हैं और जितनी भी भूतपूर्व सैंनिकों की पोस्टें खाली पाड़ी हैं यदि आप उन्हें तैनाती देते हैं तो आपके परिचालकों की भरपाई हो जाएगी और

28.08.2019/1105/DT/AG/-1

ऐसा भी देखने को आया है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें एक बात समझ में नहीं आती है कि जो क्लास फोर के पद हैं, सेवादार हैं, डेलीवेज पर रखने हैं, कांट्रैक्ट पर रखने हैं उसमें क्या कारण है कि जैसे डी0सी0 शिमला के कार्यालय में कई पद खाली पड़े हैं ऐसे सभी जिलाधीशो के कार्यालयों में भी अनेकों पद खाली पड़े हैं। मेरा आग्रह रहेगा कि जिन-जिन विभागों के पास जो -जो पद खाली पड़े हैं जिसके लिए हमारे पास योग्य पूर्व सैनिक हैं मैं सभी विभागों के माननीय मंत्री महोदयों से मेरी जोड़ कर प्रार्थना करूंगा, सैनिक जो इस देश की सेवा करता है, सरहद पर तैनात हो कर काम करता है और इसके अलावा जब भी कोई कहीं भी बाढ़ आती है तो वहां पर सैनिक को खड़ा किया जाता है। अगर कोई अंदरूनी किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो वहां पर भी सैनिक को खड़ा किया जाता है। हम सैनिकों के लिए ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दें। मैं इस बात के लिए

माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं जितने भी बाकी पद हैं उसके लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे की सारे के सारे पद समय रहते भरे जाएंगे।

कर्नल इन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने जो आश्वासन दिया है मेरा एक प्रश्न और है कुछ सैनिक जो है वह टी0जी0टी मैडिकल टी0जी0टी0 नॉन मैडिकल जो पोस्ट इनको मिलती है उस संख्या में हमारे पास सैनिक नहीं मिलते हैं तो क्या यह रिक्तियां उनके आश्रितों को मिलेगी या नहीं मिलेगी

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष जी,पिछले कल भी यह प्रश्न लगा था माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, जी ने इसका उत्तर भी दिया है। लेकिन साथ में मैं यह भी जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसे अनेकों पद हैं जिसमें पूर्व सैनिक योग्य नहीं होते हैं वहां एक दूसरा प्रावधान है वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, जो उनके बच्चे आश्रित हैं उसके लिए योग्य होंगे। हम निश्चित तौर पर उनको रखने की प्रक्रिया में तेजी लाएंगे इस बात का भी मैं आश्वासन देता हूं।

श्री राकेश पठानिया नूरपुरः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा की जो 15-16 साल की नौकरी करके एक जवान आता है वह सिविल के प्रोसीजर के साथ इतना रूबरू नहीं होता है। मंत्री जी खुद एक डोगरा रैजिमैंट के फौजी रहे हैं जो फौज का आदमी आ रहा है, उपाध्यक्ष महोदय,वह एक ट्रेंड कैडर से आ रहा है आज कल सबसे बड़ा फैक्टर जो सिविल में नहीं रहा है वह है अनुशासन और यह जो कैडर हमारे पास आ रहा है, फौज से जब वह 15-16 साल के बाद आता है तो उसम समय वह बिल्कुल नौजवान होता है। केवल उस वक्त उसकी उम्र 37-38 साल की होती और उस रूप में आप उस फौज की सर्विस में उसका इनफेंटरी का बैकग्राउंड है तो उसको आप पुलिस में उपयोग कर सकते हैं। अगर वह आर्मी मैडिकल कोर्स से है तो उसका हैल्थ विभाग में क्लास थ्री या क्लास टू में आप बहुत बढ़िया प्रयोग कर सकते हैं। अगर वह एजुकेशन विभाग से है तो उसको आप एजुकेशन विभाग में एडजैस्ट कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय,मेरा माननीय मंत्री जी से यही कहना है कि 4265 पोस्टें खाली हैं अगर यह सट्रैंथ हम यूज करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के कैडर के अन्दर एक अनुशासन, एक ऐसी व्यवस्था हमें मिलेगी जो प्रदेश को आगे ले जाने में बहुत मदद करेगी क्या सरकार विशेष कर कोई ऐसी व्यवस्था कर रही है खासकर इन्फैंटरी के जो सोल्जर्ज हैं इनको पुलिस के अन्दर स्पैशल कोटे में भर्ती किया जाए ।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः उपाध्यक्ष जी,जैसे मैंने कहा है कि हर विभाग का रोस्टर फिक्स है वह 15 प्रतिशत का है उस 15 प्रतिशत के रोस्टर में जैसे पुलिस में 121 पद रिक्त थे उसमें से 118 पद भर दिए गए हैं। केवल मात्र तीन पद खाली हैं। माननीय पठानिया जी ठीक कहते हैं जिसने सेना में नौकरी की हो वह हर प्रकार से अनुशासित होता है लेकिन हम भी रोस्टर में फंसे हैं हम उस रोस्टर का उल्लंघन नही कर सकते हैं क्योकि 15 प्रतिशत की परिधि में रह करके सभी विभागो में उनकी भर्ती की जानी है। इनका सुझाव ठीक है लेकिन रोस्टर जो है वह आड़े आ रहा है। इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता लेकिन इतना इनको विश्वास दिलाता हूं कि पूर्व सैनिकों के साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होने देंगे ।

28-08-2019/1110/ए.जी.-एन.जी./1

श्री नन्द लाल (रामपुर)ः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें इन्होंने माननीय परिवहन मंत्री से भी रिक्वेस्ट किया है कि कंडक्टरों की भर्ती में भी भूतपूर्व सैनिकों को भर्ती करने का प्रयास किया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि there is no system as such कि किस तरह ये 15 प्रतिशत की बातें कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी यह साफ नहीं कर पा रहे हैं कि 15 प्रतिशत कोटे में इतनी वेकंसी पड़ी हुई हैं और उनका कोई सिस्टम नहीं है। System is not understood that why the people are not being taken. ये 4265 वेकंसी हैं, क्या इसके लिए माननीय मंत्री जी 15 प्रतिशत की पोजिशन को क्लैरिफाई करेंगे?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात यहां देखने को मिल रही है कि जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि जो लोग सेना में नौकरी करके आते हैं उनको सिविल का अधिक ज्ञान नहीं होता है। हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि हम जो सैनिक अकादमी बनाने जा रहे हैं उसमें हम एक प्रावधान रखेंगे की जो ऐसे पूर्व सैनिक, सेना से सेवानिवृत हो कर आते हैं हम उन्हें कम-से-कम एक महीने का प्रशिक्षण वहां पर दें और उन्हें बताएं कि आपकी योग्यता किन-किन पदों पर, किन-किन विभागों में, बोर्डों में, कॉरपोरेशनों में, बैंकों इत्यादि में, कहां-कहां बन सकती है और इसके लिए हम एक प्रवाधान करने की सोच रहें हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से विनम्र आग्रह करूंगा कि एक तो वह इसका शिलान्याय करें और साथ ही माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना है कि हमें अनुमति दें ताकि हम इस तरफ कदम बढ़ाएं।

उपाध्यक्षः अब आज के प्रश्न होंगे।

प्रश्न संख्याः 1476

श्री विनय कुमार (श्री रेणुका जी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो रेस्ट हाउसिस फोरेस्ट विभाग ने बनाए हैं। एक की लागत 62 लाख 26 हज़ार रुपये है और दूसरे की लागत 19 लाख 65 हज़ार रुपये है और दोनों में केवल दो-दो कमरे बने हैं। पहली बात तो माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि इन दोनों की लागत में इतना अंतर क्यों है? दोनों स्थानों पर दो-दो कमरे बने हैं परन्तु एक जगह आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 62 लाख 26 हज़ार रुपये है और दूसरी जगह आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 19 लाख 65 हज़ार रुपये। दूसरी बात यह पूछना चाहता हूं कि जहां आपने यह रेस्ट हाउसिस बनाए हैं वहां न तो बिजली है, न पानी है, न वहां सड़क है तो किस उद्येशय से आपने यह रेस्ट हाउसिस बनाए हैं?

वन मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसके उत्तर में मैं कहना चाहता हूं कि यह दोनो रेस्ट हाउसिस नहीं है। हरिपुरधार में वन विभाग का रेस्ट हाऊस है और नैनीधार में वन विभाग की निरीक्षण कुटीर है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वन विश्राम गृह हरिपुरधार का कार्य वर्ष 2008-09 में प्रारम्भ हुआ था जोकि अगस्त, 2018 में बनकर तैयार हुआ है। बीच के पांच सालों में इसमें क्या हुआ ये तो माननीय सदस्य श्री

विनय जी स्वयं ही बता सकते हैं। अगस्त, 2018 में यह पूर्ण हुआ और इन्होंने ठीक कहा है कि इसमें 62 लाख 65 हज़ार रुपये खर्च हुए हैं। यहां पर बिजली का प्रावधान नहीं है और इसके साथ ही माता भंगायणी का मन्दिर है। माता भंगायणी की मन्दिर कमेटी से बात की गई है और कमेटी ने इस विश्राम गृह को बिजली देने के लिए हां कर दी है। **बिजली देने का खर्च लगभग 1 लाख रुपये से अधिक है और यह पैसा बिजली बोर्ड को जमा करवा दिया गया है, जल्द ही यहां पर बिजली का प्रबन्ध कर दिया जाएगा।**

अगला प्रश्न आपने रास्ते के बारे में पूछा है, मैं बताना चाहता हूं कि यहां तक का रास्ता बहुत पुराना और उबड़-खाबड़ है और

28/08/2019/1115/RG/AG/1

बीच-बीच में ये ठीक तो करते रहे, लेकिन मैंने अभी विभाग को यह कहा है कि जब यह वन भूमि पर है और इस विश्राम गृह तक के लिए यह रास्ता है तो इस रास्ते को अच्छा करके बनाएं ताकि बार-बार इसमें टूट-फूट न हो। उसी तरह से जो यह निरीक्षण कुटीर, नैनीधार (शिवयाड़ी) में है, इसमें भी रास्ते की उपलब्धता और इसको भी अच्छे ढंग से ठीक करवाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि हरिपुरधार में दो कमरे, एक बैठक, एक लॉउन्ज, एक भोजन कक्ष, एक रसोई, चौकीदार का कमरा, स्टोर रूम आदि ये सब है। हरिपुर विश्राम गृह में पानी की आपूर्ति के लिए वहां व्यवस्था नहीं थी। **लेकिन अब उसकी भी व्यवस्था की है और बहुत जल्दी हम पानी की व्यवस्था करके इसको भी प्रारम्भ करेंगे।**

श्री विनय कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि माता भंगयाणी मंदिर से इस विश्राम गृह की दूरी कितनी है? माननीय मंत्री जी को जो आंकड़े विभाग द्वारा दिए गए हैं, वे गलत हैं। माता भंगयाणी से इस किले की सड़क द्वारा दूरी लगभग तीन किलोमीटर है और तीन किलोमीटर की लाईन यदि आप बिछाते हैं तो बिजली का कितना खर्चा आएगा? इसके अतिरिक्त पहली बात यह कि तीन किलोमीटर में पानी आपको ग्रैविटी से नहीं मिलेगा, आपको वहां के लिए एक लिफ्ट की स्कीम बनानी पड़ेगी। तो आप पानी कहां से लाएंगे? इसके अतिरिक्त जो वहां सड़क है,

वह पुराने ज़माने की किले की सड़क है और वह सड़क कभी भी इन यूज नहीं है। वहां कोई गाड़ियां नहीं जातीं, अभी भी लोग पैदल जाते हैं और उस सम्पर्क मार्ग पर इन्होंने 30,200/-रुपये खर्च किए हैं। मैं यह चाहता हूं कि यदि इन्होंने इसमें कुल 62,26,000/-रुपये खर्च किए हैं, तो 62,00,000/-रुपये में तो चण्डीगढ़ में एक कोठी बन जाती है। अगर आपने उस जगह खर्च किए हैं, तो अच्छी बात है कि आपने पर्यटन को बढ़ावा दिया है। आपने इस पैसे को खर्च करने से पहले यह ध्यान में क्यों नहीं रखा कि यहां पहले बिजली, पानी और सड़क का प्रावधान होना चाहिए था?

वन मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सड़क की दूरी के बारे में पूछा था, अब यह तो ये भी जानते हैं कि वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 और वर्ष 2016-17 में जितना पैसा खर्च हुआ है, हमने तो जनवरी, 2018 से अगस्त, 2018 तक, जब तक यह कम्पलीट हुआ, तब तक लगभग 62,26,000/-रुपये इसमें खर्च हुए हैं। दूसरी बात निरीक्षण कुटीर पर जो ये कह रहे हैं कि 19,65,000/-रुपये खर्च हुआ है, तो यह भी इनके द्वारा ही खर्च किए गए हैं। यह पैसा वर्ष 2014-15, 2015-16 और वर्ष 2016-17 में खर्च किया गया है। इसलिए मुझे लगता है कि उन पांच वर्षों के दौरान क्या इनको यह ध्यान में नहीं आया कि क्या वहां रास्ता, पानी और बिजली है? **लेकिन यह श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार है, हम बिजली और पानी की भी व्यवस्था कर रहे हैं और यह सब कुछ बिल्कुल बढ़िया करके देंगे।**

श्री विनय कुमार : यह कब तक कर देंगे?

वन मंत्री : देखिए, हम बहुत जल्द करने वाले हैं और आपकी तरह वर्ष 2017-18 तक दस साल इन्तजार नहीं कराएंगे।

प्रश्न सं. 1477

कर्नल इन्द्र सिंह(सरकाघाट) : उपाध्यक्ष महोदय, जो उत्तर माननीय मंत्री जी ने यहां दिया है वह काफी विस्तृत है और उसके अनुसार अभी 355 पद भरने को हैं। हमारे प्राथमिक स्कूलों में ये छोटी-मोटी नौकरियां विधवाओं के लिए नियुक्ति के माध्यम से एक जीवन-यापन का जरिया है। अन्तिम भर्ती कब हुई थी, इसका तो मुझे कोई उत्तर नहीं मिला,

लेकिन जनवरी, 2019 से इसकी अनुमति प्रदान कर दी गई है कि नियम-12 के अन्तर्गत ये भर्तियां हो सकती हैं।

28/08/2019/1120/MS/DC/1

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो यह अनुमति दी है क्या इसमें भर्ती की प्रक्रिया जिला स्तर पर उप-निदेशक लैवल तक पहुंच गई है? क्या उनको आदेश मिल गए हैं ताकि हम यह काम फील्ड में शुरू करें?

शिक्षा मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। हिमाचल प्रदेश में विद्यालयों में अंशकालीन जलवाहक लगाने की पॉलिसी वर्ष 1990-91 में बनी थी और इस पॉलिसी में समय-समय पर बदलाव होता रहा है। इस पॉलिसी के मुताबिक पार्ट टाइम जलवाहकों को 8 साल के बाद डैली वेजिज पर लाया जाता है। उसके बाद 14 साल में उनको नियमित करने की अभी तक नीति है। लेकिन जिन लोगों को नियमित कर दिया जाता है उसके बाद वहां पर वह पद समाप्त हो जाता है, ऐसी नीति चली आ रही है और जिसका अर्थ यह है कि यह सारा-का-सारा कैडर डाइंग कैडर है। इसमें फिर एक बात और हो गई, जो माननीय कर्नल इन्द्र सिंह जी ने पूछा भी है कि लास्ट भर्ती कब हुई। मैं बताना चाहता हूं कि इसमें नियम-12 के अंतर्गत माननीय मुख्य मंत्री जी को अधिकार है कि वे अपने विवेक के आधार पर जो नियम है, जैसे कोई विधवा, अपंग या त्यक्ता महिला इत्यादि हैं, उनको प्रैफरेंस देकर नियुक्ति इनके आदेश से कर दी जाती है। लेकिन दिनांक 15 मई, 2015 को एक सी0डब्ल्यू0पी0 नम्बर-7498/2015- मंगला देवी बनाम हिमाचल प्रदेश की हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर हुई थी जिसमें नियम-12 को उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। उसके बाद नियम-12 के तहत नियुक्तियां होना बन्द हो गईं। इसके अलावा जो इसका नियम-5 है जिसके अंतर्गत एस0डी0एम0 की अध्यक्षता में कमेटी बनती है और वह भी नियुक्तियां कर सकती है, वे नियुक्तियां भी बिल्कुल बन्द हो गईं। सरकार द्वारा यही बताया जाता रहा कि नियुक्तियां उच्च न्यायालय ने बन्द कर दी हैं इसलिए बन्द हो गई हैं। अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसकी अपील माननीय उच्चतम न्यायालय में कर रखी है। उच्चतम न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की जजमैंट को स्टे कर रखा है और उसमें स्पेसिफिक है कि

जजमैंट qua रूल-12 वह स्टेड है। जब यह बात हमारे ध्यान में आई तब हमने यह मामला माननीय मुख्य मंत्री जी और कैबिनेट के ध्यान में लाया और उसके बाद 17 जनवरी, 2019 को इस प्रावधान के अंतर्गत अंशकालीन जलवाहकों को लगाने की नीति पुनः प्रारम्भ की गई यानी अब उनको नियम-12 के अतंर्गत भी लगाया जा रहा है। जब यह 17 जनवरी, 2019 को फैसला लिया था उस समय 260 प्रारम्भिक शिक्षा में और 295 उच्चतर शिक्षा में अंशकालीन जलवाहकों के पद खाली पड़े थे। अब इनको भरने के लिए सरकार ने अनुमति दे दी है जिसके अंतर्गत अब कार्रवाई प्रारंभ है। अभी बहुत ज्यादा पद नहीं भरे हैं क्योंकि जो लोग अंशकालीन जलवाहकों के पदों के लिए प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, वे उन स्कूलों के लिए दे रहे हैं जहां पर पद है ही नहीं यानी जहां पद समाप्त हो चुके हैं। जिन स्थानों पर खाली पड़े पदों के लिए लोगों से प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, उनमें से एक या दो ही पद भरे गए हैं। अन्य पदों के लिए यदि कोई प्रार्थना पत्र आएंगे तो पद भर दिए जाएंगे। बाकी हमने अंशकालीन जलवाहकों के स्थान पर माननीय मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन किया है तथा सरकार के स्तर पर भी इस पर पॉलिसी बनाने का विचार कर रहे हैं कि प्रारंभिक और उच्चतर शिक्षा में बहुत इन्फ्रास्ट्रक्चर बना है,

28.08.2019/1125/जेके/डीसी/1

सफाई की व्यवस्था नहीं है, उसमें उसको सफाई नहीं करनी होती है। अगर जलवाहक भी बनता है तो उसको अगर घंटी बजानी है तो वह अलग काम माना जाता है। उसमें कोई मल्टी टास्क वर्कर टाइप की प्रपोज़ल बनाई जा रही है लेकिन वह मैटर अभी विभाग के विचाराधीन है और उसे सरकार के पास ले जाएंगे। बाकी स्कूलों में भी कोई व्यवस्था हो, इसका प्रावधान करेंगे लेकिन अभी तक हमारे पास सिर्फ प्रारम्भिक शिक्षा में 271 पद और उच्चतर शिक्षा में 95 पद हैं, जिसमें नियम-12 के अन्तर्गत माननीय मुख्य मंत्री जी और नियम-5 के अन्तर्गत कमेटी भर्ती करेगी।

श्री जगत सिंह नेगीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो इन्होंने उत्तर दिया है, उसमें 271 रिक्तियां बताई गई हैं और फिर उसी में नीचे 355 रिक्तियां हैं, ये विसंगति क्यों है? दूसरे, क्या ये सारे-के-सारे पद नियम-12 के

अन्तर्गत भरने जा रहे हैं या नियम-5 के तहत भी भरे जाएंगे? तीसरे, नियम-12 में क्या कोई संशोधन किया गया है?

शिक्षा मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है यह ठीक है कि दोनों विभागों में, प्रारम्भिक और उच्चतर शिक्षा में कुल पद 355 हैं। 271 खाली पड़े पद प्रारम्भिक शिक्षा में हैं और 95 पद उच्चतर शिक्षा में हैं। पहले जो परमिशन मिली वह 260 पदों की मिली थी, लेकिन उसमें कुछ फंक्शनल स्कूल थे उनकी जानकारी नहीं थी और यह जानकारी बाद में मिली कि ये पद भी रिक्त पड़े हुए हैं, इसलिए परमिशन पांच स्कूलों को छोड़कर कम की है, लेकिन दोनों में 355 पद हैं। उच्चतर शिक्षा के 95 पद अलग से हैं और 271 पद प्रारम्भिक शिक्षा के हैं। इन दोनों को मिला कर पद भरे हैं। इसमें नियम-12 में भी और नियम-5 में भी जैसी-जैसी, जहां पर सुविधा होगी और जिस जिले में जितनी पोस्टें होंगी क्योंकि नियम-12 में तो जो मुख्य मंत्री जी के पास आएगा उसी में भरे जाते हैं अन्यथा बाकी स्कूलों में जो रिक्तियां रहेंगी तो उनको हम नियम-5 में भी भरने बारे विभाग को आदेश कर सकते हैं।

कर्नल इन्द्र सिंहः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि ये भर्तियां जनवरी, 2019 से भरने की अनुमति दी गई है। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि यह डाइंग कैडर है। If it is a dying cadre, will you be kind enough to revive it?

शिक्षा मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य के प्रश्न से पूर्व ही बता दिया है कि अंशकालीन जलवाहक का पद नीति के अनुसार जो रैगुलर हो जाता है वह पीछे खत्म हो जाता है, इसलिए वह डाइंग कैडर है लेकिन विद्यालयों में जलवाहकों की आवश्यकता है और उसके साथ-साथ दूसरे भी काम होते हैं। उसके लिए किसी-न-किसी कर्मी की आवश्यकता है, उस पर सरकार और विभाग विचार कर रहा है। अल्टीमेटली इस मैटर को हम सरकार के पास ले जाएंगे और वित्तीय उपलब्धता के आधार पर प्रारम्भिक व

उच्चतर शिक्षा में जो कोई मल्टी टास्क वर्कर टाइप और जिसमें जलवाहक भी शामिल हैं इस तरह के पद का सृजन कर सकते हैं।

उपाध्यक्षः अंतिम सप्लीमेंटरी श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी।

श्री सुखविन्द सिंह सुक्खुः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अभी आपने कहा कि 17.01.2019 से कुछ पद भरे गए हैं। क्या ये पद नियम-12 के तहत, जिसमें विडो, हेंडिकेप्ड, डिज़र्टिड वूमैन और एकल नारी आदि के लिए क्या इसमें कोई और नियम भी जोड़ा गया है कि इनके अलावा जो नियुक्तियां अभी 17.01.2019 से की है, क्या उसमें ये उपरोक्त नियुक्तियां हुई हैं? कितनी नियुक्तियां हुई हैं और कितनी जगह नियुक्तियां अभी खाली हैं? कृपया इसका डिस्ट्रिक्ट वाइज़ ब्योरा देने की कृपा करें।

28.08.2019/1130/SS-HK/1

शिक्षा मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने बिल्कुल जिलावार रिटन रिप्लाई दे रखा है। आपके सामने जो कम्प्यूटर लगा है अगर आप इसको देखेंगे तो उसमें आपको सारी डिटेल मिल जायेगी। 17.1.2019 के बाद केवल एक ही पोस्ट भरी है। उसकी मेरी पास जानकारी नहीं है कि वह किस स्कूल में है। एक जगह जिसकी एप्लीकेशन आई होगी, जो पोस्ट खाली होगी, वह भरी है। बाकी जो लोग एप्लाई कर रहे हैं वे ऐसे स्कूलों के लिए एप्लाई कर रहे हैं जहां पद नहीं हैं। जहां पर पद हैं उनके लिए एप्लीकेशन्ज़ बहुत कम आई हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सरकार रूल-5 और 12 में भी पद भर सकती है।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः आप उन स्कूलों की सूची इस माननीय सदन में ले कर दें।

शिक्षा मंत्रीः मैं आपको वह सूची अलग से दे दूंगा।

उपाध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी, कुछ कहना चाहते हैं।

मुख्य मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से उत्तर दिया है। लेकिन यह सच्चाई है कि 1990 के वक्त के बाद इस योजना की शुरूआत हुई थी। उस

वक्त शायद मूल भावना यह थी क्योंकि पानी की सुविधा स्कूलों में नज़दीक नहीं होती थी, कहीं दूर से पानी लाना पड़ता था तो एक आदमी को पानी लाने की जिम्मेवारी दी गई थी ताकि बच्चों को पीने का पानी लेने के लिए दूर न जाना पड़े और पानी की व्यवस्था बच्चों को स्कूल में ही मिले। शायद इसी कारण से उसका नाम भी जलवाहक रखा गया था। अब धीरे-धीरे परिस्थिति यह है कि वाटर सप्लाई लगभग हर स्कूलों तक जुड़ गई है और स्कूल के कैम्पस में पानी का नल है। मुझे नहीं लगता कि कोई स्कूल ऐसा होगा जहां पर पानी का नल नहीं है। जब हर घर में नल पहुंच गया है तो स्कूल में पहुंचा ही है। ऐसी परिस्थिति में जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने स्टे दे दिया। स्टे को हमने दोबारा लीगली एग्जामिन किया तो उसमें थोड़ा स्कोप निकल आया। ऐसी परिस्थिति में जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो बड़ी तादाद में लोगों की ओर से जलवाहक के लिए एप्लीकेशन्ज़ आती हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता है जब जलवाहक की कोई एप्लीकेशन हमारे हाथ में नहीं आती है या मंत्रियों के हाथ में नहीं आती है। जलवाहक जो लगा था, वह पक्का हो गया, डेली वेज पर हो गया, उसके बाद वह पद डाइंग काडर में डाल दिया। इस कारण से भी जहां कोई आदमी रूल-12 के तहत पात्र भी होगा, उसके बावजूद हम पद देने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि वहां पद ही नहीं रह गया। आज भी हमारे पास बहुत ज्यादा एप्लीकेशन्ज़ हैं क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि स्कूल में पद खाली है या नहीं। उनको सिर्फ यह पता होता है कि वहां जो जलवाहक लगा था वह चौकीदार/प्यून हो गया या पक्का हो गया इसलिए वहां पद खाली हो गया। ऐसी परिस्थिति में बहुत सारी चीज़ों को लेकर भ्रम है।

ऐसी परिस्थिति में बहुत सारी चीज़ों को लेकर उपाध्यक्ष महोदय, मैं इससे आगे बढ़कर कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने यहां पर अपनी बात कही। मैं इसको सप्लीमैंट कर रहा हूं। अब स्कूलों की स्ट्रैंथ भी बहुत बढ़ी है और भवन भी बहुत ज्यादा बन गए हैं। मैंटीनेंस और उनकी साफ-सफाई की दृष्टि से लोगों की हर स्कूल में बहुत ज्यादा आवश्यकता महसूस हो रही है। वाटर कैरियर को अगर हम काम देते हैं तो उसके दिमाग में एक ही बात होती है कि मैं तो वाटर कैरियर हूं और मेरा काम सिर्फ पानी पिलाने का है। पानी के अलावा अगर उसे बोलें कि आप स्कूल खोलो, झाड़ू मारो तो वह उसका काम नहीं है। उसके लिए वह मना करता है और नियम के अनुसार हम उससे वह काम करवा भी नहीं सकते हैं। **ऐसी परिस्थिति में हमने विचार किया है कि आने वाले समय में हम एक नयी**

प्रॅपोजल/नीति बना करके स्कूलों में मल्टीपल कार्यों के लिए एक ऐसा व्यक्ति हो, वर्कर हो, जिसको हम बोलें कि स्कूल कैम्पस से संबंधित बाकी जो कार्य हैं उनको करने में वह अपनी भूमिका निभा सकें। यह एक विचार विचाराधीन है और आने वाले समय में इस पर निर्णय करेंगे। जहां आपने वाटर कैरियर वाला कहा है तो मैं समझता हूं कि वाटर कैरियर का इश्यु हो गया। लेकिन आने वाले समय में हमने उसमें नियम किस तरह से बनाने हैं वह हम तय करेंगे। लेकिन उसके बावजूद हमारी मंशा इस प्रकार से इसमें आगे चेंज करने की है।

28.08.2019/1135/केएस/एचके/1

प्रश्न संख्या 1478

श्रीमती आशा कुमारीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी, मेरे मूल प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि 11 प्रोजैक्ट्स सियूल नदी पर अलॉटिड हैं। कुछ प्रोजैक्ट्स 17 से 19 साल पुराने हैं, जिनकी अलॉटमैंट हुई हैं और कुछ चार साल पुराने हैं। जो चार साल पुराने हैं वे तो अभी आई.ए. स्टेज पर हैं यानि इम्पलीमेंटेशन एग्रीमेंट भी नहीं हुआ है। जो ये माइक्रो हाइडल प्रोजैक्ट्स हैं, इनमें हिमाचलियों को भी इन्सैंटिव देने का प्रयास किया गया था और इनमें तो 11 में से दो ही हिमाचली हैं मगर पूरे प्रदेश में जो सात सौ कुछ प्रोजैक्ट्स अलॉट हुए हैं, उनकी भी स्थिति बहुत खराब है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि इस बात को देखते हुए कि हाइड्रो पावर अब नैगेटिव लिस्ट में चला गया है, और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इतनी हो गई है कि एक्चुअली इसके लिए कोई टेकर्ज़ नहीं हैं। इनको क्लब करके कुछ इस तरह से करें कि ये कॉस्ट फ्रेंडली हो जाएं नहीं तो 20 हजार मैगावाट का जो हिमाचल प्रदेश का वास्ट पोटेंशियल है, उसका कोई लाभ नहीं होने वाला है because you are not getting funds; it is in negative list and even the parties जिन्होंने ये ले रखा है, आपके उत्तर के अनुसार भी कहीं फंडिंग नहीं हुई है; किसी

को नोटिस दिया हुआ है, किसी को जमीन नहीं मिल रही है। 5 मैगावाट का प्रोजैक्ट ओरिजनली वन करोड़ प्रति मैगावाट कॉस्ट करता था now that has gone up very highly. उतना कॉस्ट इफैक्टिव नहीं है। तो ये हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर का हार्नेस करने के लिए और विशेषरूप से चम्बा में कुछ इम्प्लॉयमैंट मिले, उसके लिए सरकार कोई और तरह की सोच अपनाएगी ?

मुख्य मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि एक दौर था जब हिमाचल प्रदेश का नाम पूरे देश में ऊर्जा राज्य के रूप में जाना जाने लगा था। सचमुच में वह दौर तेज़ी से आगे बढ़ा भी और मैं इस बात को भी कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश भले ही छोटा राज्य है लेकिन उस दौर का हमने लाभ भी लिया। यहां पर बहुत सारे प्रोजैक्ट्स लगे और बहुत बड़ी जनरेशन पावर सैक्टर में हमारी सफल हो पाई। मैं आज भी इस बात को कह सकता हूं कि उस दौर की वजह से, जहां पूरे देश भर में लगभग 45 हजार मैगावाट हाइडल सैक्टर में उत्पादन पूरा देश कर रहा है, उसमें लगभग 11 हजार मैगावाट का कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश का है। यह बहुत बड़ा योगदान है लेकिन उसके बाद बहुत खराब दौर से हम गुज़र रहे हैं। हमारे जितने भी प्रोजैक्ट्स हैं, 10-10, 15-15 साल से अलॉटिड हैं लेकिन उनमें काम नहीं हो पा रहा है, यह चिंता का विषय है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो पर्टिकुलर सियूल नदी के बारे में प्रश्न किया, सियूल नदी पर टोटल 11 प्रोजैक्ट्स की 48 मैगावाट की अलॉटमैंट हुई है। 8 उनमें डी.पी.आर. स्टेज पर हैं। सियूल-1 प्रोजैक्ट 5 मैगावाट का है और उसमें 50 परसेंट कंस्ट्रक्शन वर्क लगभग कम्पलीट हो गया है। बाकियों की स्थिति कठिनाई के दौर में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें भी इसकी चिंता है और जहां हमारा एक टारगेट है, हम मानकर चल रहे हैं कि जो 27 हजार मैगावाट हमारा हिमाचल प्रदेश का हाइडल सैक्टर में पोटैंशियल है लेकिन हार्नेसेबल लगभग 23 हजार मैगावाट के लगभग बनता है। हम इसका अधिक से अधिक दोहन कर सके, इसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी बाधाएं हैं। जहां तक आपने जानकारी मांगी, हमने सरकार आने के बाद

कुछ इनिशिएटिव्ज़ लिए हैं ताकि हाइडल सेक्टर में जो छोटे प्रोजैक्ट्स हैं, उनको हम प्रोमोट कर सके और

28.8.2019/1140/av/yk/1

वे काम करने की परिस्थिति में आ पाये। हमने (i) Mandatory purchase of the entire power generated from the projects upto 25 MW capacity by HPSEBL at the HPERC determined tariff. This shall be applicable to the projects commissioned after the notification जो हमारी वर्ष 2018 की नोटिफिकेशन है। (ii) No open access charges for the use of interstate transmission network shall be payable by the by hydro projects having capacity upto 25MW. (iii) In case of already allotted projects (but not commissioned), the free power quantum to be received on account of free power share of the State will be deferred for the critical period of initial 12 years. The quantum to be deferred shall be recovered during the balance agreement period in a uniform percentage rate यानी कि बाद में उसको लेंगे। ऐसे इनीशिएटिव्ज लेने से उसमें कुछ पोजिटिविटी तो बढ़ी है लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो क्लीयरैंसिज का मुद्दा है, यहां मैं आशा कुमारी जी की बात से सहमत हूं। एक दौर ऐसा था जब एक मेगावाट के प्रोजैक्ट लगभग एक-एक करोड़ रुपये से शुरू किए थे मगर आज उसकी कीमत 15 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। यानी कि प्रोजैक्ट की वायबिलिटी ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है, इसमें इस प्रकार की कठिनाइयां हैं। इसमें सबसे बड़ी मुश्किल क्लीयरैंस की आ रही है, वह चाहे गवर्नमैंट लैंड है या फॉरैस्ट लैंड है। दूसरे इस प्रकार के प्रोजैक्ट्स लगाने के लिए जिस तरह से स्थानीय लोगों का सहयोग चाहिए; वह भी एक चिंता का विषय है। लोकल लोग ऐसी-ऐसी अव्यावहारिक डिमांड्ज करने लगे हैं कि जिसको प्रोजैक्ट अलॉट होता है उसके पास प्रोजैक्ट को छोड़ने के सिवाय कोई चारा नहीं रह जाता। लोकल लोगों का जो नुकसान होता है उसकी भरपाई तो करनी चाहिए मगर वे लोग एक-दूसरे की देखा-देखी में कुछ नाजायज़ मांगें भी उठाते

रहते हैं। मैं उसके लिए सभी माननीय सदस्यों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि उस बारे में आप लोग भी सोचें कि उसको हम कैसे रोक सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो शुरू-शुरू के दौर में प्रोजैक्ट्स लगें उनको लगाने वाली कम्पनीज ने प्रोजैक्ट्स को जल्दी लगाने के मद्देनजर स्थानीय लोगों की बहुत सारी डिमाण्ड्ज पूरी की। मगर उन्होंने ऐसा करते-करते लोगों की आशाएं बहुत ज्यादा बढ़ा दी। इसके अतिरिक्त झंडे वालों का भी बहुत बड़ा कंट्रिब्यूशन रहा। वह चाहे लाल झंडा है या कोई और झंडा है; सब झंडे वाले वहां पर यूनियन बना लेते हैं और प्रोजैक्ट के काम को रोक लेते हैं। यह सब प्रदेश हित के काम नहीं है। विभिन्न प्रकार की यूनियन्ज जो इस तरह के दवाब पैदा करती हैं तो कोई भी प्रोजैक्ट वायेबल नहीं हो पायेगा और यह सचमुच में चिंता का विषय है। मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में हम अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में इस संदर्भ में जो-जो सहयोग दे सकते हैं वह हमें करना चाहिए और प्रोजैक्ट लगें; इस बात के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे।

श्रीमती आशा कुमारी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि दो नम्बर पर स्यूल है और उस प्रोजैक्ट का काम 50 प्रतिशत पूरा हो चुका है। मैं आपको उसके आगे की जानकारी देना चाहती हूं कि वह कम्पनी उसे अबेंडन करके जा चुकी है जो कि गुजरात की कम्पनी है। It is in my Constituency and they have abundant the work. उसमें जो इतनी ज्यादा इनवैस्टमैंट हो चुकी है तो उसके बारे में भी सोचा जाए या उसका काम पूरा करने के लिए सरकार ही उसको टेकओवर कर ले। स्यूल रिवर जो कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके और मेरे चुनाव क्षेत्र में से आती है। उसमें लगे कुछ प्रोजैक्ट मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं तथा कुछ आपके विधान सभा क्षेत्र में आते हैं। क्या आप इसको इस तरह से टेकअप कर सकते हैं कि वहां पर एन0एच0पी0सी0 के बड़े-बड़े प्रोजैक्ट्स हैं जिनके पास मैनपावर इत्यादि सबकुछ है और उनको खर्चा भी कम पड़ेगा।

क्या सरकार इन सारे प्रोजैक्ट्स को क्लब करके एन.एच.पी.सी. को देने के बारे में विचार करेगी? क्योंकि उनके पास फंड और मैनपॉवर पर्याप्त मात्रा में है और उनकी इंवैस्टमेंट भी कम होगी। इसके अलावा वहां पर उनकी ट्रांसमिशन लाइन्स भी उपलब्ध हैं।

दूसरा, पूरे प्रदेश में कितने प्रोजैक्ट्स आइडैंटिफाई हुए थे और कितने अभी पैंडिंग हैं?

मुख्य मंत्रीः माननीय सदस्या श्रीमती आशा कुमारी जी ने स्यूल-I की बात कही है। वहां पर प्रोजैक्ट का जो कार्य चल रहा था, उसमें बाधा आई है लेकिन वे अभी भी काम करने के लिए इंट्रस्टिड हैं। उन्होंने कहा है कि हम इस काम को पूरा करना चाहते हैं क्योंकि जिस कंपनी ने किसी काम पर 50 प्रतिशत धनराशि खर्च कर दी है, वह उस काम को आधे में नहीं छोड़ना चाहेगा। लेकिन वहां पर लोकल लोगों का कोओपरेशन नहीं मिल रहा है। Unfortunately after start of the work of the site, the local people at the site started creating hurdles and got the work stop at the following components:- power house, water conductor and with open channel etc. उनका कहना है कि उन्होंने कई तरह से काम को रोकने की कोशिश की है। लेकिन इसके बावजूद भी उनका कहना है कि we are still willing to continue the work. We are willing to complete the work. उन्होंने अपना इंट्रस्ट ज़ाहिर किया है। मैं यह भी चाहूंगा कि यदि इसके समाधान हेतु आप भी भूमिका निभाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा आपने कहा कि **दूसरे जो प्रोजैक्ट्स हैं, उनको एन.एच.पी.सी0 के साथ टेकअप करें, आपने सुझाव दिया है, इसके बारे में विचार करेंगे।**

प्रश्न संख्याः 1479

श्री आशीष बुटेलः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया था कि जो पैंडिंग केसिज़ हैं, वह कब आपके आफ़िस पालमपुर पहुंचे और कब उनको पास किया गया? लेकिन इन्होंने जो लिखित उत्तर दिया है, उसमें इसका जवाब नहीं आया है। इन केसिज़ को फ़र्स्ट-कम-फ़र्स्ट सर्व बेसिज़ पर डील होना चाहिए था लेकिन वे नहीं हो रहे हैं, आप इसके लिए क्या एक्शन लेंगे?

दूसरा, जो केस वहां पर भेजें गये हैं, उनमें बार-बार आपत्तियां लगाई जाती है, इनको रोकने के लिए क्या कदम उठाये जायेंगे? तीसरा, म्यूनिसिपल कमेटी के एरियाज़ में जे.ई. और ई.ओ को साइट विजिट करनी होती है, लेकिन वहां पर न तो जे.ई. है और न ही कोई ई.ओ. है। अभी जिस अधिकारी को चार्ज़ दिया गया है, उसको तीन म्यूनिसिपल कमेटीज़ का चार्ज़ दिया गया है और लोगों के नक्शे पास नहीं हो रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कब तक इन रिक्त पदों को भर दिया जाएगा?

शहरी विकास मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो इंफोर्मेशन मांगी थी, उसकी पूरी डिटेल रिप्लाई में दे दी है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगी कि आपने 01.01.2018 से लेकर 31.07.2019 तक जो इंफोर्मेशन मांगी है, उसमें कुल 299 केसिज़ रसीव हुए हैं और इनमें से अभी तक 180 अप्रूव हो गये हैं तथा 40 केसिज़ पैंडिंग हैं। ये जो पैंडिंग केसिज़ है, ये हो सकता है अभी कुछ दिन पहले ही रसीव हुए हों। जिन केसिज़ में आपत्ति लगाई गई थी, उनकी संख्याः 79 है जबकि विभाग ने कोई भी केस रिजैक्ट नहीं किया है। मुझे लगता है यह बहुत अच्छी प्रोग्रैस है

28-08-2019/1150/NS/AG/1

सिर्फ 40 केसिज पैंडिंग है। विभाग पाईपलाइन में इनको देख रहा है। माननीय सदस्य ने लैंड सब-डिवीजन की बात कही है, उसमें 38 केसिज की एप्लीकेशन्ज़ प्राप्त हुईं थी।

जिनमें से 14 अप्रूवड है, 9 पैंडिंग हैं और कुछ केसिज़ रिवर्टिड हैं यानी जिसमें इंक्वायरी लगा करके उनको पेपर्ज़ सही करने के लिए कहा गया है। माननीय सदस्य आपको जवाब में पूरी जानकारी दी गई है। दूसरा, आपने ऑब्जेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन की बात कही है। विभाग में कोई चाहे पेपर्ज़ मकानों या पैंशन के देता है या किसी भी विभाग में कोई एप्लीकेशन देता है, उन पेपर्ज में थोड़ी-बहुत कमी होती है और जब तक सही नहीं होता है हम उसको तब तक अप्रूव नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि हम उन केसिज को सही करवा करके अप्रूव करें। माननीय सदस्य जहां तक आपने ई0ओ0 की बात कही है कि आपके एरिया में नहीं है। शायद एक-डेढ़ महीना पहले ये वहां थे और अभी-अभी इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। इससे पहले वे रेग्युलर थे। विभाग का किसी और जगह भी काम देखना पड़ सकता है और पहले तो ये पालमपुर में ही थे। एक महीना पहले ही इनको भेजा गया है और अन्य व्यक्ति को चार्ज दिया गया है। वहां पर विभाग का काम सुचारू रूप से हो रहा है।

श्री आशीष बुटेलः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने विधान सभा में जो ऑनलाईन क्वैश्चन भेजा था वह पूरी तरह से नहीं लग पाया है। इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। माननीय मंत्री जी, आपने मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी है, वह मेरे पास है। क्या आप देखेंगी कि ये केस कब सबमिट हुए? विभाग की गाईडलाइन्ज के अनुसार 60 दिन के अंदर-अंदर उस केस को अप्रूव करके बाहर करना है। लेकिन कई केसिज में 180 दिन या 200 दिन भी लग रहे हैं। कई केसिज ऐसे हैं जो आज आते हैं और हफ्ते के अंदर अप्रूव हो करके भेज दिए जाते हैं। कुछ केसिज ऐसे पड़े हैं जो 200 दिन से बिना ऑब्जर्वेशन के पड़े हैं। सब पेपर्ज़ पूरे होने के बावजूद भी उनको अप्रूव नहीं किया जाता है। मैंने माननीय मंत्री जी से ई0ओ0 और जे0ई0 के बारे में भी पूछा था। मुझे मालूम है कि एक-डेढ़ महीना पहले पालमपुर से ई0ओ0 शिफ्ट हो गए हैं। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि पालमपुर में ई0ओ0 और जे0ई0 रिक्त पद कब तक भर दिए जाएंगे?

शहरी विकास मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पालमपुर में अभी हाल ही में सब-डिवीजन ऑफिस अपग्रेड हुआ है। वहां पर शीघ्र ही ए0टी0पी0 को पोस्ट कर दिया जाएगा। माननीय सदस्य आपकी यह प्रॉब्लम शीघ्र सॉल्व कर दी जाएगी। माननीय सदस्य जो

आपने दूसरी बात कही है कि लंबे समय तक केसिज अप्रूव नहीं हो रहे हैं। मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूंगी कि विभाग की गाईडलाइन्ज़ में 60 दिन का समय निर्धारित है। पेपर्ज़ पूरे होने के बाद ही केस अप्रूव होगा। अगर कोई व्यक्ति एन0ओ0सी0 ला करके नहीं दे रहा है तो वहां पर थोड़ा समय लग सकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस माननीय सदन में एक बात और भी कहना चाहूंगी कि अभी हाल ही में हमने टी0सी0पी0 में लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 यानी पब्लिक सर्विस का जो गारंटी एक्ट है, इसमें संशोधन चल रहा है और इसमें लोगों के नक्शे स्वीकृत करने की अवधि 60 दिन से कम करके 30 दिन की जा रही है। वर्तमान में विभाग द्वारा नक्शे के अनुमोदन का समय 60 दिन निर्धारित किया गया है। इसके लिए नक्शे की स्वीकृति हेतु ऑनलाइन वेबपोर्टल भी वर्ष 2017 से शुरू किया गया है। इसकी वेबसाइट wwwtcphpgov.in है। वर्तमान में नक्शा अनुमोदन के लिए विभिन्न विभागों के अनापत्ति प्रमाण पत्रों की जरुरत पड़ती है और इसके लिए रिव्यू किया जा रहा है ताकि विभागों से मांगे जाने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यकतानुसार व सरल रूप से लिए जाएं। माननीय सदस्य ने जैसे फोरेस्ट के बारे में मांगा था तो अगर इसकी जरुरत नहीं है तो हम उसको कट कर रहे हैं। जिन अनापत्ति प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी, उन्हीं को लिया जाएगा और इस प्रक्रिया को सरल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त संशोधन के फलस्वरूप निर्माण कार्य पूरा होने के उपरांत कंपलीशन सर्टिफिकेट के लिए 15 दिन की समयावधि तय की गई है। विभाग ने इसके लिए समय फिक्स कर दिया है।

28.08.2019/1155/RKS/AG-1

और जल्दी ही इसे कैबिनेट में लाया जा रहा है। हम इसे जल्द करने वाले हैं। बाकी जो सर्टिफिकेट्स इत्यादि छोटी-मोटी चीज़ें हैं, वे लोगों को उपलब्ध करवानी पड़ेगी। इसके अलावा यदि कुछ और है तो आप मुझे कह सकते हैं।

श्री राजिन्द्र गर्गः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि नगर परिषद्, घुमारवीं में वर्ष 2012 से टी.सी.पी. एक्ट लागू हुआ है। जो मैप वर्ष 2012 से पहले मंजूर नहीं हुए थे वे आज तक लटके हुए हैं। मेरा माननीय मंत्री जी

से आग्रह है कि जो मैप वर्ष 2012 से पहले के हैं उनको पास करवाने के लिए टी.सी.पी. एक्ट में छूट दी जाए।

शहरी विकास मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टी.सी.पी. एक्ट में सबके लिए एक ही नियम है। हमने छूट के लिए बी.पी.एल. परिवारों के बारे में सोचा है। जो लोग गांधी कुटीर योजना या इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत विभाग के पास छूट के लिए आवेदन करते हैं या जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उनके पास कितनी ज़मीन है, इन चीजों को देखकर विभाग क्या छूट दे सकता है, उसके अनुसार इसमें प्रावधान किया गया है। लेकिन हम सबको छूट नहीं दे सकते। रेग्यूलराइजेशन के लिए जो सैट बैक या एफ.ए.आर. की बात है, मैं आपको अवगत करवाना चाहती हूं कि घुमारवीं क्षेत्र के डवलपमैंट प्लान में अमैंडमैंट की जानी है और इसके ऊपर विभाग काम कर रहा है। जब यह अमैंडमैंट हो जाएगी तब इसके फाइनल रूप का पता चलेगा। अभी डवलपमैंट प्लान की अमैंडमैंट विचाराधीन है।

श्री विनय कुमारः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैलफेयर डिपार्टमैंट द्वारा जो हाउस अलॉट किए जाते हैं उनके लिए विभाग द्वारा 1.60 लाख रुपये स्वीकृत किए जाते हैं। जिन लोगों ने एम.सी. या कमेटी एरिया में घर बनाना होता है उनको मैप इत्यादि भी बनाना पड़ता है। आजकल आर्किटेक्चर मैप बनाने का ही 20 या 30 हजार रुपये ले लेते हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इस कार्य को सरलीकरण करने के लिए क्या आप विभाग में कोई ऐसा अधिकारी नियुक्त करेंगे ताकि लोगों को मैप इत्यादि बनाने में सहायता हो सके?

शहरी विकास मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति फार्म भरना जानता है वह यह भी जानता है कि अगर मैं गरीब परिवार का हूं तो इसके लिए मुझे एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। इस कार्य में विभाग उसकी पूरी मदद करता है। मैंने पहले भी कहा कि जो अमैंडमैंड लाई जा रही है उसमें सरलीकरण का प्रावधान रखा गया है। जो एप्लीकेशन देता है वह मैप भी साथ लगाता है। विभाग उन लोगों की पूरी तरह मदद करेगा जो सलाह-मशवरे के लिए आएंगे।

श्री अनिरूद्ध सिंहः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यहां पर छूट की बात की है। टी.सी.पी. या SADA के अंदर जितने गांव आते हैं, वहां के स्थानीय लोगों को तीन मंजिल तक निर्माण करने की छूट है और इसका कानून में भी प्रावधान है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जो आपने जानकारी दी है कृपया उसे स्पष्ट किया जाए।

शहरी विकास मंत्रीः माननीय सदस्य, टी.सी.पी. एक्ट में विभाग किसी तरह की छूट क्यों देगा? मैंने तीन सैक्शन बताए हैं। गांधी कुटीर योजना, इंदिरा आवास योजना और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है या जिनके पास कम ज़मीन है, उनके सैट बैक या एफ.ए.आर. की बात विभाग पहले ही कंसीडर कर रहा है। हम मैप के बाहर नहीं जाने देते हैं। छोटी जगह में जो मैप तैयार किया जाता है उसी आधार पर काम करना होता है और उसी तर्ज़ पर सैट बैक या एफ.ए.आर. की कंडिशन्ज देखी जाती है।

प्रश्न काल समाप्त

28.08.2019/1200/बी0एस0/डी0सी0-1

उपाध्यक्ष : (विपक्ष की ओर इशारा करते हुए) अभी कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे उसके बाद आपको कहने का पूरा समय दिया जाएगा।

कागज़ात सभा पटल पर

उपाध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

1. संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत हिमऊर्जा (हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास अभिकरण) हिमाचल प्रदेश का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19;

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अभियोजन विभाग, निदेशक (अभियोजन), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याः गृह(जी)-ए(3)-1/2010 दिनांक 24.01.2019 व 15.02.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 06.02.2019 व 20.04.2019 को प्रकाशित; और

3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, अनुभागपाल (कम्प्यूटिंग), वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2019 जोकि अधिसूचना संख्याः मुद्रण(बी)10-19/2010 दिनांक 15.06.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 22.07.2019 को प्रकाशित ।

उपाध्यक्ष : अब उद्योग मन्त्री, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा143 (बी) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का 44वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।
कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगेः-

उद्योग मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा143 (बी) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का 44वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

उपाध्यक्ष : अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे। श्रीमती आशा कुमारी सभापति, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर भी रखेंगी।

श्रीमती आशा कुमारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करती हूं तथा सदन के पटल पर रखती हूं।

i. समिति का **49वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 (सिविल/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा **लोक निर्माण विभाग** से सम्बन्धित है;

ii. समिति का **50वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 (सिविल/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा **लोक निर्माण विभाग** से सम्बन्धित है;

iii. समिति का **51वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 (सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा **लोक निर्माण विभाग** से सम्बन्धित है;

iv. समिति का **52वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा **लोक निर्माण विभाग** से सम्बन्धित है;

v. समिति का **53वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (राज्य के वित्त/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा **वन विभाग** से सम्बन्धित है;

vi. समिति का **54वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक

क्षेत्रों/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा **वन विभाग** से सम्बन्धित है;

vii. समिति का **55वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा **वन विभाग** से सम्बन्धित है; और

viii. समिति का **56वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित है ।

उपाध्यक्ष : अब श्री राकेश पठानिया, , सभापति, लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री राकेश पठानिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से **लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2019-20)**, का **18वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम(आर्थिक क्षेत्र) 31 मार्च, 2016 के ऑडिट पैरा संख्याः 3.11 की संवीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम सीमित** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं ।

उपाध्यक्ष : अब बिक्रम सिंह जरयाल, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री बिक्रम सिंह जरयाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से **ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2019-20)**, समिति के **14वें मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-

15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना छठा कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **कृषि विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

विधायी कार्य

सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

उपाध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अब माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 10)को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करता हूं

उपाध्यक्षः हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 10)पुरःस्थापित हुआ।

अब माननीय मुख्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जुमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 11) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जुमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 11) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जुमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 11) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जुमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 11) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अब माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जुमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 11) को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जुमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 11) को पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्षः हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जुमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 11) पुरःस्थापित हुआ।

अब माननीय मुख्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित मामलों और लम्बित आवेदनों का अन्तरण) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 12) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित मामलों और लम्बित आवेदनों का अन्तरण) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 12) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित मामलों और लम्बित आवेदनों का अन्तरण) विधेयक, 2019 (2019 का

विधेयक संख्यांक 12) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित मामलों और लम्बित आवेदनों का अन्तरण) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 12) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकार
अनुमति दी गई

अब माननीय मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित मामलों और लम्बित आवेदनों का अन्तरण) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 12) को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्य मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित मामलों और लम्बित आवेदनों का अन्तरण) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 12) को पुरःस्थापित करता हूं ।

उपाध्यक्षः हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित मामलों और लम्बित आवेदनों का अन्तरण) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 12) पुरःस्थापित हुआ।

28.08.2019/1205/DT/DC/-1

सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

उपाध्यक्षः अब माननीय शिक्षा मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 8) पर विचार किया जाए।

शिक्षा मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 8) पर विचार किया जाए।

उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 8) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 8) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

---(व्यवधान)--- माननीय सदस्य श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी आप क्या कहना चाह रहे हैं?

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,जो बिल एडवोकेट और उनकी निधि से संबंधित यहां लाया गया है, बहुत अच्छा बिल है। क्योंकि ट्रिब्यूनल भंग होने के बाद बहुत से वकील बेरोज़गार हो गए हैं। इसमें जो सैक्शन 26 और 27 है, जिसमें 10 रुपये का टिकट वेल्फेयर फंड का है, उसको बढ़ा करके आपने 25 रुपये करने की बात कही है। वकील के पीछे एक बहुत बड़ी बैकबोन होती है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, कानून मंत्री और वकील भी रहे हैं। इनको पता है कि मुंशी भी बैकबोन होता है और वकील का सबसे ज्यादा 60 प्रतिशत काम करता है। आप इस स्टैंप डयूटी को 25 रुपये बढ़ा रहे हैं। आप इसको 50 रुपये कीजिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर सरकार अपनी तरफ से

अमैंडमेंट लाती है। लेकिन मेरी एक राय रहेगी कि मुंशी पूरी जिंदगी वकील के साथ अपना जीवन निर्वाह करता है। अगर आप इसको सलैक्ट कमेटी में भेज देते हैं और मुंशी वाला कोई सैक्शन इंसर्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने तो कलाईंट से पैसे लेने हैं तथा आप कलाईंट की जगह मुंशी का सैक्शन इंसर्ट कर देते हैं व सलैक्ट कमेटी को भेज देते हैं तो यह परसों तक आ जाएगा। मैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इसको सलैक्ट कमेटी में भेजें। मुंशी बैकबोन की तरफ ध्यान देकर वकील प्रैक्टिस करते हैं और मुंशी का परिवार इस प्रैक्टिस के साथ चलता है। मैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस पर गौर करें और इसको सलैक्ट कमेटी में भेजा जाए।

28-08-2019/1210/एच.के.-एन.जी./1

शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी का इस बात के लिए स्वागत करूंगा कि कम-से-कम विधान सभा में कोई भी कानून आए तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। यह चर्चा चाहे छोटे लेवल पर हो या बड़े लेवल पर हो और इससे हम अलर्ट भी रहते हैं। यह जो संशोधन लाया गया है, यह बार कउंसिल ऑफ इण्डिया जोकि एक ट्रस्ट है के अंतर्गत लाया गया है। यही इसकी सिफ़ारिशें करते हैं और उनकी एक बैठक वर्ष 2016 में हुई जिसमें उन्होंने यह रिकोमेंड करके भेजा था जो संशोधन आज हमने यहां पर लाया है। उन्होंने कहा था कि मैम्बरशिप फ़ीस को बढ़ा दिया जाए। उनका एक ट्रस्ट है और उनके ट्रस्ट को कानूनी रूप दिया गया है। उनकी सिफ़ारिशों पर ही कानून में बदलाव किया जाता है और वही इसको ऑपरेट करते हैं। उनके मुताबिक ही जो मैम्बरशिप फ़ीस बताई गई थी जैसे 10 साल से कम प्रैक्टिस वालों की 100 रुपये से 200 रुपये, 10 साल से अधिक प्रैक्टिस वालों की 400 रुपये से 800 रुपये की जाए, उसी प्रकार बढ़ोतरी की गई है। इसी प्रकार वकालतनामा में उन्होंने कमी की है और उसे 50 रुपये किया गया है। माननीय सदस्य ने जैसा कहा कि 25 रुपये वह क्लाइंट से लेते हैं, परन्तु उनका ओरिज़नल एक्ट जो कि आपने वर्ष 1995 में बनाया है उसमें परोज़िन है कि वकालतनामे पर एडवोकेट वैलफेयर फण्ड की स्टैम्प वकील की

अपनी जेब से लगेगी, उसका पैसा क्लाइंट से नहीं लिया जाएगा। इसलिए कायदे से तो यह पैसा क्लाइंट से नहीं लिया जाना चाहिए। हमने इसे 10 रुपये से बढ़ा कर 25 रुपये किया है यदि और अधिक बढ़ाना होगा तो अगली बार बढ़ा दिया जाएगा। उनकी एक और सिफ़ारिश थी कि इसके अन्दर जो बेनिफिट है, उसे भी बढ़ा दिया जाए। उसमें भी यदि कोई बहुत बीमार हो जाता है और उसमें उन्होंने बीमारियों को जिक्र भी किया है, जैसे एक महीने से अधिक अस्पताल में रहेंगे उसके लिए फण्ड से 50 हज़ार रुपये के स्थान पर अब 1 लाख रुपये कर दिया है और जो उससे कम था उसे बढ़ा कर 50 हज़ार रुपये कर दिया है। हम उनकी सिफ़रिशों पर ही इस कानून को ऑपरेट करते हैं और बनाते भी हैं।

इसलिए मैं समझता हूं कि जो उनकी अभी की मांग है उसको मान कर इसे पास कर दिया जाए। इसके अलावा उनकी कोई मांग इसमें सम्मलित करने के लिए होगी तो माननीय सदस्य तो एडवोकेट हैं परन्तु मुझे मालूम नहीं बार काउंसिल के सदस्य हैं या नहीं और यदि हैं तो बार काउंसिल में इसे लेकर आएं और हम उन मांगों को एक्ट में सम्मलित कर देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि बार काउंसिल की सिफ़रिशों के मुताबिक हमने जो किया है, उसको पारित कर दिया जाए।

उपाध्यक्षः अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2,3,4,5 और 6 विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 2,3,4,5, और 6 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

अब माननीय शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगें कि हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 8) को पारित किया जाए।

शिक्षा मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 8) को पारित किया जाए।

उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 8) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 8) को पारित किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

"हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 8)" पारित हुआ।

अब माननीय शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगें कि हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 9) पर विचार किया जाए।

शिक्षा मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 9) पर विचार किया जाए।

उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 9) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 9) पर विचार किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

28/08/2019/1215/RG/HK/1

उपाध्यक्ष जारी...

अब इस पर श्री राकेश सिंघा जी चर्चा करेंगे।

श्री राकेश सिंघा(ठियोग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल माननीय मंत्री महोदय ने इस सदन में पेश किया है, मैं इस पर कुछ टिप्पणी भी करना चाहूंगा और उसके साथ माननीय मंत्री महोदय से आग्रह भी करना चाहूंगा कि कुछ स्पष्टीकरण इस बिल पर जरूर दें। लेकिन मैं अपनी बात को इस सदन में रखते हुए ऐसा एहसास करता हूं कि गंगा उल्टी दिशा में बहने लगी है। इस सदन का काम कानून बनाने का है न कि कानून को निरस्त करने का है। अगर आप कानून के उद्देश्य में जाएं तो मैं इसमें अंग्रेजी वाला भाग पढ़ रहा हूं;

Statement of Objects and Reasons.

'The enactments which have lost their significance or have become obsolete and redundant or the retention whereof as separate, independent and distinct Act is unnecessary, are proposed to be repealed. The principal object of such repealing is to remove such redundant laws from the statute book in order to bring in clarity. These laws have become either irrelevant or dysfunctional etc.'

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक ही झटके में आज हम बीस कानूननों को निरस्त कर रहे हैं और उन कानून को निरस्त कर रहे हैं, जिसका सिर्फ कानून का नाम हमारे सामने पेश किया है। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि for example, "The Essential Commodities Himachal Pradesh (Amendment) Act, 1986", यह कानून हमने किस दृष्टि से लाया कि जो इसैन्शियल कमोडिटीज़ आज हैं, उनको रैगुलेट किया जाए, चाहे कोई भी, जो भी इसेन्शियल है, जैसे चीनी, दाल, कपड़ा आदि कोई भी है। क्या यह सदन बगैर उस कानून के जो आज रेगुलेशन है, उसके दाम की है और उसकी अवेलेबिलिटी का है, क्या हम उसको एक झटके में खत्म कर देना चाहते हैं? इसीलिए इस

कानून को रिपील करने की जो ब्लैंकट अनुमति दी जा रही है, जिन कानून को आज हम निरस्त करना चाहते हैं, बगैर उस पर चर्चा किए हुए मैं समझता हूं कि आज हम उन कानून को खत्म कर दें, यह अच्छी बात नहीं होगी। मैं यह जानता हूं कि आज जो नव-उदारवाद का रास्ता है, इस नव-उदारवाद के रास्ते में यह कहता है कि कम-से-कम कानून होने चाहिए। तो क्या होना चाहिए? 'Might is right.' मतलब जो ताकतवर है वही तय करेगा कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे, इस पर सोच-विचार करे। क्योंकि ये जो बीस-के-बीस कानून जिस भी समय बने हैं, उसके पीछे मन्शा इस बात की थी।

उपाध्यक्ष : कृपया संक्षेप में बोलें।

श्री राकेश सिंघा : कि हम रेगुलेट करें। जो भी यह कानून लाया जाता है, चाहे वह बिजली, इसेन्शियल सर्विस या चाहे कोई भी कानून है, उसकी रेगुलेशन होना जरूरी है। अगर हम उसको मार्केट पर छोड़ देंगे, उसके हालात पर छोड़ देंगे तो इसमें आम-आदमी पिस जाएगा, गरीब अपनी बात नहीं कह पाएगा और जो सरकार का निरन्तर करने का काम होता है, उससे वह वंचित हो जाएगी। इसीलिए सरकार इस पर पुनर्विचार करे। सोच-विचार करने के बाद मंत्रि-मण्डल उस पर दुबारा निर्णय ले और उसीके बाद कौन सा ऐसा कानून है जो आज डिस-फंक्शनल हो गया या जिसका ओचित्य नहीं है। ओचित्य हर कानून का रहता है। सवाल यह है कि सरकार की क्या मन्शा है?

28/08/2019/1220/MS/YK/1

मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि सरकार की मंशा ताकतवर को और ताकत देने की है, जैसे मार्किट रिलेशन्ज होते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूं।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः माननीय उपाध्यक्ष जी, जो यह एक्ट है, इसमें मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो अंत के दो एक्ट रिडन्डेंट हो गए हैं जिनको ये कह रहे हैं कि रिपील करना है, जिसमें "The Himachal Pradesh Private Clinical Establishments (Registration and Regulation) Repeal Act, 2013" & "The Himachal Pradesh Prohibition of Smoking and Non-Smokers Health Protection (Repeal) Act, 2009" है, इसमें आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि क्या लोकसभा ने कोई ऐसे एक्ट बनाए हैं जिनके कारण ये एक्ट रिडन्डेंट हो गए हैं? कई बार क्या होता है कि हमारे पास कई एक्ट ऐसे आ जाते हैं कि लोकसभा में एक्ट पास हो जाता है और विधान सभा में भी वह एक्ट पास करना होता है। क्या जो "The Himachal Pradesh Private Clinical Establishments (Registration and Regulation) Repeal Act, 2013" है, जैसे कोई प्राइवेट क्लिनिक खोलना चाहता है या प्राइवेट क्लिनिक की रजिस्ट्रेशन का जो एक्ट हमारी सरकार ने बनाया था, क्या वह रिडन्डेंट हो गया है या उसकी जगह कोई नया एक्ट आया है, इस बारे में मंत्री जी जानकारी दीजिए? इसके अलावा, जो दूसरा "The Himachal Pradesh Prohibition of Smoking and Non-Smokers Health Protection (Repeal) Act, 2009" है, उस बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। हम मानते हैं कि ये वर्ष 1934 के एक्ट हैं और रिडन्डेंट हो सकते हैं लेकिन ये जो लैटेस्ट एक्ट है जिनको ये रिपील करना चाहते हैं, इसके पीछे की मंशा या इसकी जगह कोई दूसरा कानून आया है, इस बारे में माननीय मंत्री जी जानकारी दें।

शिक्षा मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी और सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इस महत्वपूर्ण बिल पर हो रही चर्चा में भाग लिया और अपने बहुमूल्य सुझाव भी दिए। हमें अपने विचार एक्सप्लेन करने भी चाहिए। वास्तव में जो एक्ट हमने यहां पर प्रस्तुत किया है उसी की 'Statement of Objects and Reasons' को अगर पढ़ लेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लीयर हो जाएंगी। ये बहुत थोड़ी सी लाइनें हैं इसलिए मैं पढ़ देता हूं। 'The enactments which have lost their significance or have become obsolete and redundant or the retention whereof as separate, independent and distinct Act is unnecessary, are proposed to be repealed. The principal object of such repealing is to remove such redundant laws from the statute book in order to bring in clarity. These laws have become either

irrelevant or dysfunctional and importantly have served their purpose and outlived their utility. Thus, in order to achieve the desired objective it has been decided to bring the Himachal Pradesh Repealing Bill, 2019.' माननीय उपाध्यक्ष जी, बहुत से ऐसे कानून हैं जो शायद अंग्रेजों के समय से चल रहे हैं और अब उनके स्थान पर बहुत से नये कानून प्रदेश लेजिस्लेचर ने भी बना दिए हैं तथा केंद्र में पार्लियामैंट ने भी इनैक्ट किए हैं। वे कानून जो उस समय जरूरी थे अब उनकी आवश्यकता समाप्त हो गई है। इसलिए उनको कानून में बने रहने देना बिल्कुल अनावश्यक है क्योंकि उनके कारण कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और अब उनकी कोई युटिलिटी नहीं रही है। इसलिए विभिन्न विभागों में इस प्रकार के जो कानून थे उनको हमने रिपील करने का निर्णय लिया। माननीय सदस्य राकेश सिंघा जी की अपनी विचारधारा है और नव-उदारवाद इनका नया नारा है। उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। (..व्यवधान..) पुराना और नया नारा अब एक ही हो गया है। इसलिए जैसे सारी दुनिया भर में इनका ही नारा अपने आप में रिपील करने के लिए हो गया है, जैसे माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा,

28.08.2019/1225/जेके/वाईके/1

इस प्रकार के कानून, इन्होंने असैंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के बारे में कहा। असैंशियल कमोडिटीज़ एक्ट हिमाचल प्रदेश का वर्ष 1966 का अमैंडमैंट एक्ट है। असैंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 जो सेन्टर गवर्नमैंट का एक्ट है, उसमें अनेकों अमैंडमैंट्स हो गई हैं और हिमाचल प्रदेश के जो बिल थे, वे उसमें समाहित हो गए हैं इसलिए अब हिमाचल प्रदेश के एक्ट की आवश्यकता नहीं रही है। जब सेन्ट्रल एक्ट आ गया है तो हिमाचल प्रदेश का एक्ट निरर्थक हो जाता है, उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती है इसलिए उसको रिपील करना पड़ रहा है। इसी प्रकार से माननीय सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी ने जो क्लीनिकल एक्ट है, स्मोकिंग का एक्ट है, इनमें भी केन्द्रीय कानून बन गया है और नये कानून भी आ गए हैं। इसलिए जो पुराने कानून हैं, जिनकी यूटिलिटी नहीं रही है, जो इनकी मंशा है कि किसी ने एस्टैब्लिश करना वह किस कानून में करेगा, वे कानून एग्जिस्ट करते हैं। नये कानून हैं, वे सेन्ट्रल एक्ट्स हैं। इसलिए जो पुराने एक्ट हो गए हैं, जिनकी उपयोगिता नहीं रह गई है और वे कन्फलिक्टिंग है कई बार सेन्ट्रल एक्ट के साथ इसलिए उनको रिपील करना ज्यादा बेहतर रहता है, उनको स्टैच्यूट बुक में रखना मैं समझता हूं

कि अनावश्यक है, इसलिए उन एक्ट्स को रिपील करना अनावश्यक है। हमने यह शैड्यूल बनाया है, उसमें जो-जो एक्ट असैंशियल नहीं हैं, जैसे कि इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई का यहां पर जिक्र किया "The H.P. Electricity (Supply) 2nd Amendment Act, 1999" यह उस वक्त का संशोधन एक्ट था। दूसरा "The H.P. Electricity (Supply) (Amendment) Act, 1999"था। यह वर्ष 2003 में कम्पलीट कोड बन गया है, इलैक्ट्रिसिटी का सैंट्रल एक्ट जो पूरे हिन्दुस्तान में लागू होता है, हिमाचल प्रदेश में भी वही लागू होता है क्योंकि बहुत सारी चीजें कन्करैंट लिस्ट में आती हैं। इसलिए जब कानून पार्लियामैंट में बना दिया है तो वह स्टेट लैजिस्लेशन का कानून रिडन्डेंट हो जाए तो उसको स्टैच्यूट बुक से बाहर निकालना चाहिए। इसलिए यह निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है कि इन एक्ट्स को स्टैच्यूट बुक से हटा दिया जाए। मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि इस प्रोस्पैक्ट में अगर वे देखेंगे तो इनको लगेगा कि यह उचित है इसलिए हम इस एक्ट को यहां पर लाए हैं। मेरा माननीय सदन से निवेदन है कि इस कानून को पास किया जाए।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री राकेश सिंघा जी, आप एक मिनट में अपनी बात रखें।

श्री राकेश सिंघाः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से इतना ही चाहूंगा कि जो ये 1955 का असैंशियल कमोडिटीज़ एक्ट कह रहे हैं और 1986 का हमारे राज्य का जो एक्ट है, ऐसा कौन सा प्रावधान है, 1986 के कानून में क्या कहा कि जो हमारे जन-जातीय इलाके हैं उनमें असैंशियल कमोडिटीज़ किस-किस तरीके से वहां पर पहुंचेगी, इसका हमने उसमें प्रावधान किया है। आप हमें बताएं कि सेन्ट्रल कानून में उसके लिए क्या प्रावधान है? हम एक्चुअली अन्याय कर रहे हैं। आप उसका अध्ययन कर लो तब आप इसको पारित करो, आप ऐसे मत करो। आप धक्काशाही के ज़रिए कानून को पारित करना चाह रहे हैं।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा कि जो स्मोकिंग वाला एक्ट है, उसमें मुझे लगता है कि यह किसी भी पार्लियामैंट ने इनैक्ट नहीं किया होगा, यह हमारी सरकार ने किया था। मेरा यह मानना है कि यदि कोई ऐसा एक्ट में किया है तो वह बता दीजिए ताकि हमें भी उसकी जानकारी हो सके। यह

ठीक है कि नेशनल मैडिकल कमिशन बिल पास हुआ है उसमें भी, और कोई ऐसा एक्ट पास हुआ है जिसमें रजिस्ट्रेशन जो हमारे हॉस्पिटल्ज़ हैं, वे कौन से सेन्ट्रल एक्ट के तहत होंगे, ये दो छोटी सी जानकारियां हैं जो कि इसी के सन्दर्भ में हैं। अगर यह सेन्टर में नहीं है तो इसको सलैक्ट कमेटी में एक-दो दिन के लिए भेज कर इसको दोबारा से पास किया जा सकता है जो हमारी शंकाएं हैं। ठीक है नरेन्द्र मोदी जी के बाद श्री सुरेश भारद्वाज जी पहली बार यहां हिमाचल प्रदेश में रिडन्डैंट एक्ट को लेकर आए हैं कि नरेन्द्र मोदी जी के बाद हमारा भी नाम आएगा, आपका नाम तो वैसे ही आ जाएगा क्योंकि आपने इतने कानून रिपील किए हैं। कृपया करके आप ये दो चीजें बता दीजिए।

28.08.2019/1230/SS-AG/1

श्रीमती आशा कुमारी (डलहौजी): उपाध्यक्ष महोदय, दोनों माननीय सदस्यों, श्री सिंघा जी और सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी ने जो कहा, मैं उनसे सहमत हूं। यह रिपील करने का बिल है। रिपील करना कोई ऐसी अर्जन्सि नहीं है कि माननीय सदन के सदस्यों को यह न पता लग सके कि उसके बदले आप कौन-से कानून को किसके साथ रिप्लेस कर रहे हैं। I mean to say that the Members are entitled to know that what has been enacted because of which you want to get rid of this. You may be right. It cannot be done in two minutes. There are 20 Acts. You are repealing 20 Acts. Why they are being repealed? If a Select Committee is made, then the Hon'ble Members are made aware why it has been done. Maybe, you are right. Maybe, we have some suggestions to give. There is no hurry. They are only repealing. You are not giving anything. You are only repealing. Whether you do it today or three days later, it doesn't matter. आप इसमें सिलैक्ट कमेटी बनाईये। मंत्री जी, आप खुद भी कानूनविद हैं You are a very renowned lawyer of Shimla. You will also agree as a Member of this House that the House has a right to know if you are replacing or because of something, something has become redundant. We have a right to know what it is that has come that is making this redundant. Maybe, you are right. We are not saying that you are not right. So the Select Committee under these circumstances is called for.

शिक्षा मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि कानून बनाते समय आज एक ऐसे ऐक्ट पर जोकि रिपीलिंग ऐक्ट है, उस पर सदन के बहुत महत्वपूर्ण सदस्य कंसर्नड फील कर रहे हैं। जैसा इन्होंने कहा, असल में शायद माननीय सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी ने इसे देखा नहीं है। "The H.P. Private Clinical Establishments (Registration & Regulation)", उसके बाद रिपील ऐक्ट है, जिसको हम स्टैच्यूट बुक से बाहर कर रहे हैं। वह कभी रिपील करने के लिए आपने कानून बनाया था, जिसकी आज कोई रैलेवैंस नहीं है। क्योंकि जब क्लीनिकल ऐक्ट का कानून बना, उसको रिपील करने के लिए जो ऐक्ट बना था, उस ऐक्ट को हम खत्म कर रहे हैं ताकि वह स्टैच्यूट बुक में न रहे। यह कंफ्यूजन कर रहा है जैसे इसने आपको कंफ्यूज कर दिया है। हम क्लीनिकल ऐक्ट को रिपील नहीं कर रहे हैं। हम तो वह कर रहे हैं जो उस वक्त रिपील करने वाला था। पहले कानून था, फिर आपने दोबारा कानून रिपील करने के लिए बनाया, उस रिपीलिंग ऐक्ट को स्टैच्यूट बुक से रिमूव कर रहे हैं। इसी प्रकार से "The H.P. Prohibition of Smoking and Non-Smokers Health Protection" विद इन ब्रैक्ट "रिपील ऐक्ट, 2009" लिखा हुआ है। यह भी रिपील करने वाला ऐक्ट है। वे जो रिपील करने वाले ऐक्ट थे, जिनसे ये ऐक्ट बने थे, उनको हमने स्टैच्यूट बुक में लाया है। ...(व्यवधान)... आप इसको पढ़ो। आपने इसको पढ़ा नहीं है, यह रिपील ऐक्ट है। ...(व्यवधान)... एक मिनट, आप सुन लीजिए। स्मोकिंग पर कानून बना हुआ है- "The H.P. Prohibition of Sale of Loose Cigarette Bidis & Regulation of Retail Business of Cigarette and other Tobacco Product Act, 2016" जो आपने कानून बनाया है। उसके रहते हुए इस 2009 के ऐक्ट की ज़रूरत नहीं रह गई है। वह redundant बन गया है। जब यह कानून बन जाता है तो पुराने ऐक्ट की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसी प्रकार से इसमें कोई नया कानून नहीं बन रहा है। हम हिमाचल प्रदेश की जनता के हित में या अहित में कुछ कर रहे हों, तब तो मामला सिलैक्ट कमेटी को जाता है। लेकिन अगर आप सिलैक्ट कमेटी को रिपील ऐक्ट भेजना चाहें तो शायद यह पहली बार कहीं पर डिमांड आई होगी। मुझे लगता है कि केवल मात्र इसका विरोध करना है, इसलिए बोलना है अन्यथा मैं समझता हूं कि रिपील ऐक्ट जो रिडंडैंट ऐक्ट हैं, जिनकी आज कोई उपयोगिता नहीं है, अगर किसी कानून की आवश्यकता है तो सरकार उसको क्यों खत्म करना चाहेगी?

इसमें कौन-सा ऐसा आवश्यक कानून है जिसको हम आवश्यक होने पर खत्म कर रहे हैं? रिपील ऐक्ट बनते हैं, बहुत सारे कानून आते हैं उसकी जगह रिपीलिंग ऐक्ट आ जाते हैं। वे रिपीलिंग ऐक्ट भी चले रहते हैं लेकिन वे कंफ्यूजन क्रियेट करते हैं। Unnecessary Statute Book से खत्म हो जायेंगे।

28.08.2019/1235/केएस/एजी/1

वे हमारी स्टैच्यूट बुक में नहीं रहेंगे, इसलिए इसका केवल इतना सा मकसद है। इसका जनता से सम्बन्धित कोई बड़ा मकसद नहीं है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इतने सारे कानून बन गए, सैंटर गवर्नमैंट के इतने सारे कानून आ गए, इसलिए यह अनावश्यक कानून रखने का कोई औचित्य स्टैच्यूट बुक में नहीं रहता है, इसलिए इस कानून को पास किया जाए।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदस्यों की शंका है और यह आपके सामने आया है कि लोग चाहते हैं कि पूरी डैलिबरेशन हों और हर बिल के बारे में पूरी तरह से सभी सदस्यों को पता हो। जब इतनी आशंकाएं हैं कि चुपचाप कर रहे हैं, आपको क्या जल्दबाज़ी है? आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि इसको आज ही करना है ? आप इसको सलैक्ट कमेटी को रैफर कर दें। 20 मामलों का सवाल है तो आप इतनी जल्दबाज़ी में क्यों हैं? आप क्यों चाहते हैं कि आज ही करना है? जो मसले उठाए गए हैं, उन पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। आप सलैक्ट कमेटी को भेजो ताकि हरेक को पता लगे कि कौन-कौन सा आपने उड़ा दिया, उसके प्रोविजन्ज़ क्या थे, नया कौन सा है, पुराना कौन सा है? इसको सलैक्ट कमेटी को रैफर करवाएं।

श्री राकेश सिंघा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे कुछ कहना है।

उपाध्यक्षः सिंघा जी, हो गया। आपने इतनी देर चर्चा कर ली है । आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं। सिंगल क्लेरिफिकेशन लें और कृपया सिर्फ दो सैकिंड में खत्म करें।

श्री राकेश सिंघाः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो क्लेरिफिकेशन मंत्री महोदय से मांगी, मुझे बताएं कि आई है या नहीं आई है? मैं कह रहा हूं कि कृपया जो प्रपोज़ल है उसको मानें। मैं उदाहरण दे रहा हूं, कृपया आप समझ लें। क्या हिमाचल को छोड़कर कहीं देश में मोनाल है? उसके बारे में हम एक झटके में कह रहे हैं, क्यों कह रहे हो उसको? कानून जिसको आप रिपील करना चाहते हैं - "The H.P. Livestock and Bird Diseases Act" मोनाल पूरे देश में है या हमारे प्रदेश में है? आप मेहरबानी कर एक्सप्लेन करें कि कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो ऑलइंडिया एक्ट में है, जिससे हमें इनको अबोलिश करने की जरूरत है?

मुख्य मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह देख कर अच्छा भी लग रहा है कि जितने भी माननीय सदस्य, हम सभी लोग जो यहां पर चुन कर आए हैं, मूल कार्य हमारा यही है। कानून बनाना और कानून के हिसाब से फिर आगे पूरा प्रदेश चले लेकिन एक व्यवस्था के अनुसार चले। हमारे माननीय पार्लियामेंटरी अफेयर मिनिस्टर जिनके पास हमारा लॉ मिनिस्टर का भी दायित्व है, आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी ने विस्तार से बात कही। जब माननीय सदन में रिपील होने के लिए एक्ट यहां पर ले किया गया था,अगर आप लोग सचमुच में गम्भीर हो कर इस पर बात करना चाहते तो आप लिखित रूप से संशोधन देते कि हमारी शंका यह है, पूर्व में यह था और अब इसमें चेंज होने के बाद यह हो जाएगा। आप बोल रहे हैं कि यह करो, वो करो, ऐसा है, वैसा है, हम यह कह रहे हैं, हमारे पास लॉ विभाग के गहन अध्ययन के बाद जिस कानून का अस्तित्व नहीं रह गया, आवश्यकता नहीं रह गई उसके बाद कानून में बहुत सारी चेंजिज़ हो गई, वह रिडन्डेंट पाया गया, उसी सूरत में उसको इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया गया है, जो ये 20 कानून बताए गए हैं,

28.8.2019/1240/av/dc/1

लेकिन अच्छी तरह से अध्ययन करने के बाद इस माननीय सदन में यह बिल लाया गया है। अच्छा होता कि माननीय सदस्य खुद ही सारी बात को लेकर के अध्ययन कर लेते और यहां पर अपना संशोधन प्रस्तुत करते कि जो पंजाब स्मॉल टाउन्ज (टैक्स वेलिडेटिंग) ऐक्ट 1934 है; इसमें यह प्रावधान था और यह होना चाहिए था। (...व्यवधान...) मैं सिर्फ

उदाहरण दे रहा हूं। आप केवल वर्बली कह रहे हैं। इस माननीय सदन में हम सभी यहां कानून बनाने के लिए चुने गये हैं। उसके लिए यह व्यवस्था की गई है कि जब इसको हाउस में *ले* किया गया तो इस पर आपको अध्ययन करना चाहिए था कि 20 कानूनों को समाप्त किया जा रहा है। उसके लिए हमें यह करना चाहिए था कि हम इसके लिए नोटिस देकर अपने संशोधन देते और फिर यहां पर बोलते कि पिछले में यह ठीक था और अब यह ठीक नहीं हो रहा है। मगर अब आप ऐसे बोल रहे हैं कि हमें यह बताओ या वह बताओ; मैं आपको यह बता रहा हूं कि हमारे लॉ अधिकारी गहन विचार विमर्श करने के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं और तभी जाकर इस माननीय सदन में इस बिल को लाया गया है। (...व्यवधान...)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी मुझे लगता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बारे में व्यावहारिक उत्तर दे दिया है। (...व्यवधान...) आप कुछ कहना चाहते हैं, तो बोलिए।

श्री मुकेश अग्निहोत्री (हरोली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कुछ वैसा ही है जैसे 16 होटल्ज के बारे में विस्तृत अध्ययन करके पोर्टल पर चढ़ा दिए थे। ऐसा मत कीजिए। (...व्यवधान...) ऑब्जैक्शन्ज और चर्चा के लिए तो आज ही आया है। (...व्यवधान...) वास्तव में आप दिल्ली को रिपोर्ट भेजना चाहते हैं कि हमने 20 कानून हटा दिए।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह विषय नहीं है। (...व्यवधान...) मुकेश अग्निहोत्री जी, आप बैठ जाइए। (...व्यवधान...) मेरा माननीय नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध है कि आप बैठ जाइए। (...व्यवधान...) माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप बोलिए।

शिक्षा मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप यहां इस तरह की बातें करके सुर्खियां बटोरने की कोशिश मत कीजिए। आप बाकी विषयों को छोड़कर केवल लेजिसलेशन पर बात कीजिए। (...व्यवधान...) हाउस है, मैं कौन-सा इसको हाउस नहीं बोल रहा हूं। लेकिन आप इसी विषय पर बात करो, आप लेजिसलेशन पर बात करो। (...व्यवधान...)

उपाध्यक्ष : माननीय अग्निहोत्री जी, आप नेता प्रतिपक्ष है। (...व्यवधान...) मैं आपको कह रहा हूं, आपको समय दिया था। अब आप बैठ जाइए। (...व्यवधान...) Not to be recorded.---(Interruption)---. प्लीज, मेरी आपसे प्रार्थना है। माननीय शिक्षा मंत्री जी।

शिक्षा मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी ने जो एक कानून 'मोनाल' का नाम लिया है उसमें (...व्यवधान...) Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act, 2009 has been enacted by the Central Government. इसलिए यहां पर जो कानून है वह रीडन्डेंट हो गया है। जब दूसरा कानून बन जाता है और उसमें कॉंप्रीहैंसिव सारी चीजें दी होती है तो पुराने कानून का औचित्य नहीं रह जाता है। आप देखिए इसमें मैक्सिमम रीपीलिंग ऐक्ट है जिनको रीडन्डेंट डिक्लेयर किया गया है। यह बिल यहां पर परसों लाया गया है और पिछले कल इसकी बाकायदा पुरःस्थापना हुई। उसमें नियमों में संशोधन का प्रोविजन है; वह सब आप देते। यह कोई ऐसा नया कानून हिन्दुस्तान या हिमाचल में नहीं बनने वाला है जिससे किसी के ऊपर इफैक्ट होगा।

28.08.2019/1245/टी.सी.वी./डी.सी.-1

आप भी बड़े-बड़े कानून बनाते रहे हैं। आपने कौन-सी सलैक्ट कमेटी बनाई है? इसमें हर बात का जवाब दिया गया है, जितने कानून हैं, उनके बारे में भी हमने यहां पर जवाब दिया है। इसका एक्ट में भी प्रोविजन है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस एक्ट को पास किया जाये, क्योंकि यह हिमाचल प्रदेश के हित में है।

उपाध्यक्षः अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।
तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि अनुसूची विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

अनुसूची विधेयक का अंग बनीं।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

अब माननीय शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 9) को पारित किया जाये।

शिक्षा मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 9) को पारित किया जाये।

उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 9) को पारित किया जाये।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 9) को पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकार

"हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 9)" पारित हुआ।

आज माननीय उद्योग मंत्री, श्री बिक्रम सिंह जी का जन्मदिन भी है, इसलिए सदन की तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाई।

व्यवस्था का प्रश्न

उपाध्यक्षः श्री मोहन लाल ब्राक्टा जी आप क्या कहना चाहते हैं? एक मिनट में अपनी बात रखिये ।

श्री महोन लाल ब्राक्टाः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। आज वैसे तो सभी अखबारों में यह खबर छपी है लेकिन मैं अमर ऊजाला में छपी खबर "एच.आई.वी. की गलत रिपोर्ट पर कोमा में गई महिला की मौत" की बात करूंगा। (...व्यवधान...) यह हंसने का मामला नहीं है, यह बहुत गम्भीर मामला है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री और माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी के ध्यान में भी लाना चाहूंगा कि यह लड़की 22 साल की थी और डोडरा क्वार के जाखा गांव की रहने वाली थी। इसकी शादी गांव मकटोट (चिड़गांव), चौहारा पंचायत में हुई थी। कुछ दिनों पहले इसको पेट में दर्द महसूस हुई, उस समय यह माइके गई हुई थी। वहां से इसको पहले सिविल हॉस्पिटल, संदासू और उसके बाद रोहडू हॉस्पिटल में लाया गया। मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि रोहडू हॉस्पिटल में स्त्री रोग विशेषज्ञ का पद कई दिनों से खाली पड़ा हुआ है। इसलिए इस महिला को संजीवनी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां पर इस महिला का ब्लड टैस्ट करवाया गया और उसकी रिपोर्ट एच.आई.वी. पॉजिटिव मैंशन कर दी गई। इसके साथ ही उन्होंने इसको शिमला के लिए रैफ़र कर दिया। उसके पश्चात् कमला नेहरू अस्पताल, शिमला में इस महिला को भर्ती करवाया गया और वहां पर उसका ट्यूब का ऑपरेशन हुआ। उसके बाद यह महिला वहां पर एडमिट थी।

28-08-2019/1250/NS/HK/1

ऑपरेशन होने के बाद इस लड़की को पता नहीं था कि मेरी ब्लड रिपोर्ट एच0आई0वी0 पोजिटिव है। इस लड़की के पति को डॉक्टर बोलते हैं कि आप भी खून की जांच करवाओ।

तब वह बोलता है कि मैंने टैस्ट क्यों करवाना है? डॉक्टर उसे बताते हैं कि क्या आपको पता नहीं है कि आपकी पत्नी की रिपोर्ट एच0आई0वी0 पोजिटिव आई हुई है। यह सुनकर उस लड़की को सदमा लगा और वह कोमा में चली गई। जब इन दोनों के खून की जांच हुई तो रिपोर्ट नेगेटिव आई। इस लड़की को आई0जी0एम0सी0 में भर्ती करवाया गया लेकिन वहां पर इसकी कोमा में मृत्यु हो गई। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि क्या सरकार प्राईवेट क्लिनिक, रोहड़ू के खिलाफ कार्रवाई करेगी? मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि इस लड़की के परिवारजनों को मुआवज़ा दिला दिया जाए और इसकी विस्तृत जांच की जाए। इसके अतिरिक्त मेरा अनुरोध रहेगा कि सिविल अस्पताल, रोहड़ू की प्रतिदिन की रजिस्ट्रेशन रिपन अस्पताल, शिमला के बराबर है। वहां पर रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए और इस विषय को गंभीरता से लिया जाए। इस प्राईवेट हॉस्पिटल की जांच की जाए। सिविल अस्पताल, रोहड़ू में स्त्री-रोग विशेषज्ञ की पोस्टें और अन्य पद कई महीनों से खाली पड़े हुए हैं, उनको शीघ्र भरा जाए।

मुख्य मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ब्राक्टा जी ने जो विषय इस माननीय सदन में रखा है, वह बहुत ही गंभीर विषय है। यह खबर आज सभी समाचार पत्रों में छपी हुई है। इसमें बताया गया है कि यह महिला बीमार थी और प्राईवेट क्लिनिक में इलाज के लिए गई थी। इसका ब्लड सैंपल लेने के बाद उसको बताया गया कि आपकी रिपोर्ट एच0आई0वी0 पोजिटिव है। स्वाभाविक रूप से, इस प्रकार की बात किसी भी व्यक्ति को डॉक्टर बताता है तो यह बात सदमे में जाने लायक है। किसी भी व्यक्ति को सदमा लग सकता है। मैं ऐसी परिस्थिति में बहुत ज्यादा नहीं कह सकता हूं क्योंकि यह मामला बहुत ही संवेदनशील है। **मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम इस मामले की ठीक प्रकार से जांच के आदेश देंगे और जांच रिपोर्ट के बाद क्लिनिक वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।** मैं, मृतका के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और **उसके परिवार के लिए उचित मुआवजे का जो भी प्रावधान किया जा सकता है, उसको हम करेंगे**। लेकिन पहले इस सारे मामले की ठीक जांच करवाएंगे। मैं, निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं को आदेश दूंगा कि इस सारे मामले की जांच प्रक्रिया को पूरा करें और 15 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव

उपाध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी ने विस्तार से कह दिया है। अब माननीय मुख्य मंत्री नियम-130 के अंतर्गत दिनांक 27-08-2019 को प्लास्टिक के उपयोग और अवैध कटान, खनन व अन्य प्रकार के प्रदूषण से पर्यावरण को बढ़ रहे खतरे से उत्पन्न स्थिति पर हुई चर्चा का उत्तर देंगे।

28.08.2019/1255/RKS/HK-1

मुख्य मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसमें तीन विषय एक साथ जोड़ दिए गए हैं- "प्लास्टिक के उपयोग, अवैध कटान, खनन व अन्य प्रकार के प्रदूषण से पर्यावरण को बढ़ रहे खतरे से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन विचार करे" प्रस्तुत किया गया है। मूल रूप से यह प्रस्ताव नियम-130 के अंतर्गत माननीय श्री राम लाल ठाकुर, श्री रमेश चंद ध्वाला और श्री बिक्रम सिंह जरयाल जी ने प्रस्तुत किया था। इस चर्चा में बहुत सारे माननीय सदस्यों ने भाग लिया जिस कारण पिछले कल माननीय सदन का समय कई बार एक्सटैंड किया गया। इस चर्चा में अपने महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए सर्वश्री रामलाल ठाकुर, रमेश चंद ध्वाला, बिक्रम सिंह जरयाल, रविन्द्र कुमार, सतपाल सिंह रायजादा, राकेश पठानिया, सुन्दर सिंह ठाकुर, लखविन्द्र सिंह राणा, मोहन लाल ब्राक्टा और श्रीमती रीता देवी ने भाग लिया। सभी लोगों ने इस विषय पर अपनी-अपनी चिंता ज़ाहिर की और महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। हम ऐसे प्रदेश में रहते हैं जो हिमालय की गोद में स्थित है और यह हमारा सौभाग्य है। हमारे प्रदेश की पर्यावरण स्थिति बाकी राज्यों की तुलना से बेहतर है लेकिन हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें पर्यावरण को बचाने के लिए कोई काम नहीं करना होगा। इसमें हम बेहतर क्या कर सकते हैं, उस दृष्टि से हमें सोचना होगा और जो बचा है, उसे बचाना ही होगा। । इस देश में ऐसे बहुत कम प्रदेश हैं जहां से ज़मीन पर खड़े होकर नीले आसमान को देख पाते हैं। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां से हम नीला आसमान देख सकते हैं। यह सबको मालूम है कि आसमान ऊपर होता है, वह नीला होता है, उसमें तारे भी दिखते हैं लेकिन आप दिल्ली, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या मुम्बई जाइए वहां आसमान तो होता है लेकिन आसमान में क्या होता है यह किसी को

पता नहीं होता? सिर्फ़ किताबों के अध्ययन से जानकारी होती है कि आसमान में चांद व तारे होते हैं जो रात को चमकते हैं। अगर हम मूर्त रूप से इन सारी चीजों को देखने की परिस्थिति में हैं तो वह हिमाचल प्रदेश में है। यह भी सत्य है कि पिछले कुछ वर्षों से हम पर्यावरण को जिस तर्ज़ पर बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां लोग महसूस करें कि सही मायने में जो देव भूमि है, जहां देवता निवास करते हैं , जहां स्वास्थ्य की दृष्टि से पर्यावरण

अच्छा है, जहां पीने के लिए स्वच्छ पानी है, ये सारी चीजें आज की तारीख में उस रूप में नहीं रह गई हैं, जिस रूप में हम कल्पना करते हैं। स्वाभाविक है कि पर्यावरण की दृष्टि से हमें अपने प्रदेश को देश व दुनिया का सबसे अच्छा प्रदेश बनाना है। इस संदर्भ में सभी माननीय सदस्यों ने चर्चा करने के लिए अपनी इच्छा ज़ाहिर की और अपने बहुमूल्य सुझाव भी दिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने इस विषय को तीन हिस्सों में बांटा है। इसमें पहला, प्लास्टिक, दूसरा, खनन और तीसरा अवैध कटान का विषय आता है। ये तीनों चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं। ये तीनों चीजें आख़िरकार नुकसान कहां पहुंचा रही हैं? कुल मिलाकर जो नुकसान हो रहा है वह प्रदेश के पर्यावरण को हो रहा है। हालांकि मेर पास पर्यावरण विभाग है। अवैध कटान और खनन का विषय वन विभाग एवं उद्योग विभाग से जुड़ा हुआ है। हमने यह उचित समझा कि इस पूरे विषय का जवाब एक साथ दिया जाए। मैं सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने पर्यावरण के ऊपर अपनी चिंता ज़ाहिर की और स्वाभाविक रूप से यह चिंता होनी भी चाहिए।

28.08.2019/1300/बी0एस0/वाई0के0-1

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक प्लास्टिक से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली बात है, उस संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकारें किसी की भी रही हो हिमाचल प्रदेश सरकारों ने प्लास्टिक को रोकने के लिए समय रहते कड़े कदम उठाए हैं। मैं यहां पर खासतौर से जिक्र करना चाहूंगा कि Himachal Pradesh Non-Biodegradable

Garbage (Control) Act,1995 के अंतर्गत 2009 में प्लास्टिक के थैलों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया था। उस वक्त आदरणीय धूमल जी मुख्य मंत्री थे, उस वक्त एक्ट में संशोधन करके इसे और भी सख्त कर दिया गया था। उसके तहत पूरे हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसके बाद सख्ती भी की गई और कार्रवाई भी की गई। अगर हम कार्रवाई के हिसाब से देखें तो वर्ष 2009 से 2019 तक 12 जिलों में 6956 दोषियों के खिलाफ चालान किए गए, चालान के रूप में लगभग 48.11 लाख रुपये वसूल किए गए हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, उसके बावजूद भी हमने इस बात को देखा कि कानून कितना भी सख्त हो परंतु जब तक उस चीज को हम अपने जीवन में व्यावहारिक तौर पर नहीं उतारेंगे तब तक कोई चीज ठीक नहीं हो सकती है। कानून तो चोरी, भ्रष्टाचार और बलात्कार के खिलाफ भी बने हैं। परंतु उसके बावजूद भी घटनाएं घट रही हैं। यह सही है कि कानून से लोगों में डर पैदा किया जा सकता है ताकि वे अपराध करने से पहले 10 बार सोचे कि यह काम करूं या न करूं। लेकिन मेरे विचार से जब तक आदमी अपने आप यह नहीं सोचेगा कि यह चीज मेरे लिए, समाज, प्रदेश और देश के लिए जरुरी है। जब तक व्यक्ति इसे इस रूप में स्वीकार नहीं करेगा तब तक कोई भी कानून जमीन पर नहीं पहुंच सकता। कानून बना है और प्रावधान भी है, चालान भी हुए जुर्माना भी लिया गया परंतु क्या समस्या का समाधान हो पाया है? आज भी हम देख रहे हैं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक पर बैन है फिर भी प्लास्टिक देखने को मिलता है। यदि हम यह सोचेंगे कि कानून बना दिया और हमने कह दिया कि कानून बना दिया उसके बाद कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो यह सही नहीं है। मैं सोचता हूं कि सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है और यह चलती रहनी चाहिए। इस बारे में प्रदेश में और जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। नई पीढ़ी और पुरानी दोनों को इस बात को समझाने की आवश्यकता है कि प्लास्टिक इसलिए बंद किया गया कि यह पर्यावरण को खराब करता है। यह हमारे लिए चिंता का विषय है। हमने प्रदेश के अंदर तो प्लास्टिक को रोकने का प्रावधान कर दिया और सख्ती भी कर दी है और कोई दुकानदार ग्राहक को प्लास्टिक का लिफ़ाफा नहीं देगा यदि देते हुए पाया गया तो उसके ऊपर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। लेकिन उन सब चीजों

का क्या करें जो बहुत सारी चीजें प्लास्टिक की पैकिंग के साथ बाहर से आ रही हैं? हमारा दूध प्लास्टिक के पैकेट में आ रहा है, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट्स प्लास्टिक में बाजारों में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। हम जो टॉफी, कुरकुरे और चॉकलेट खाते हैं उनका बाहर का कवर भी प्लास्टिक का ही होता है। हमारी सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है कि इस प्लास्टिक को कैसे रोका जाए? यदि हम उस पर सख्ती करें तो बहुत बड़ा समाज का हिस्सा ऐसा है जो इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ है वे लोग नाराज हो जाएंगे। यह हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। इसके समाधान के लिए कोई और कदम उठाने की आवश्यकता है

28.08.2019/1305/डी0टी/वाई0के0/-1

वर्ष 2013 में प्रदेश सरकार द्वारा प्लास्टिक पैकेजिंग बचाने व रखने आदि पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। परन्तु प्रदेश में व्यापारियों की याचिका पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार की इस अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी गई थी तथा अब यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास विचाराधीन है। इस परिस्थिति में क्या रास्ता निकल सकता है, यह सोचने का विषय है और इस पर हम विचार कर रहे हैं। जिन कम्पनियों के माध्यम से हमारे पास इस तरह के मेटिरियल आते हैं और उस प्लास्टिक का जो पैकिंग में इस्तेमाल होता है उसको वापिस लेने के लिए किस प्रकार का मैकेनिजम डवलप कर सकते हैं, इस पर हम सोच रहे हैं लेकिन यह इतना सरल नही है। उपाध्यक्ष महोदय, इस काम को करने में कठिनाई आ रही है लेकिन इसकी अवेयरनैस की दृष्टि से भी बहुत बड़े कदम उठाने की कोशिश की गई है। प्रदेश में सरकार ने 'पोलीथिन हटाओ, पर्यावरण बचाओ' अभियान के लिए जन-प्रतिनिधियों के बीच में बात की और जन - प्रतिनिधियों का भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जो हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंज़ है, एन0जी0ओज0 है उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है कि प्लास्टिक को खत्म करना चाहिए। 5 जून, 2019 को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मैंने यह घोषणा की कि प्रदेश सरकार प्लास्टिक कचरे को पुनः प्रयोग न होने वाले प्लास्टिक कचरे को वापिस खरीद

कर उसके निष्पादन की प्रकिया आरम्भ करेगी। इस पर नीति बनाने की प्रकिया विभाग में चल रही है और हम इस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। अगर ऐसी परिस्थिति है तो हम ही इसको खरीद कर वापिस लेकर के उसको किस प्रकार से रिसाइकल करके उन सारी चीजों से पर्यावरण खराब न हो उस चीज को सुनिश्चित करने के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह ही नहीं प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष 2018 में एक बार प्रयोग होने वाले थर्मोकोल कप और प्लेट इत्यादि पर भी पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कह सकता हूं कि हमने इस दिशा में एक कोशिश की है। आमतौर पर जब हम गांव में शादियों में जाते हैं या कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है, यहां तक कि जो हमारी पॉलिटिकल मीटिंग्ज़ होती हैं, पॉलिटिकल रैलीज़ होती हैं वहां पर भी हम देखते है कि थर्मोकोल के गिलास व प्लेट का बहुत खुला इस्तेमाल होता था। जब कार्यक्रम समाप्त होता था तो उसके बाद वहां ढेरों के ढेर लाग जाते थे। कुते आ रहे हैं वह उन्हे चाट रहे हैं उसके बाद वह बिखरता जाता है, उसको समेटना है, खत्म करना कैसे किया जाए? हमने कहा उचित रहेगा कि अगर हम इस दिशा में और आगे बढ़कर के काम करे। जो थर्मोकोल की प्लेट है, गिलास है उस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए और हमने रोक लगाई ।हालांक हमारे ऊपर दबाव भी इस बात के लिए आया बहुत संस्थाएं बहुत सारे लोग भी इस बात के लिए हमसे मिले जो प्रोडक्शन का काम करते थे। जिनका बिजनैस इन सारी चीजो पर था उन्होने भी एतराज किया लेकिन फिर भी हमने कहा की पर्यावारण महत्वपूर्ण है आप भी इस सारी चीज के लिए सहयोग करे। हमने यह भी कहा की हिमाचल प्रदेश में हमारे पास बहुत ही बेहतर तरीका है। हमारे पास जो पत्तल होती है, जिससे डुने बनते हैं, जिसे टोर के पते कहते हैं उससे बेहतर कोई चीज हो ही नहीं सकती है। स्वच्छता के हिसाब से और पर्यावारण के हिसाब से भी हम उसका उपयोग करे उसका प्रयोग बढ़ने की दृष्टि से उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो हमारी बहने जो सैल्फ-हैल्प ग्रुप हैं उनको प्रोत्साहित करेने के लिए उनकी मदद करने के लिए कई योजनाओं के माध्यम से भी उनको लाभ देने की बात कही है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं की जो सरकारी कार्यालयों में प्लास्टिक की बोतले प्रयोग होती है, उस पर भी हमने प्रतिबंध लागने की बात कही। हमने कह दिया कि यह लागू हुआ है लेकिन कुछ जगह फिर हम भूल जाते हैं। हम ही भूल जाते है तो समाज की बात तो छोड़िए। हमने तय किया

था कि सरकारी कार्यक्रम में प्लास्टिक की बोतल में पानी वहां उपलब्ध नही होना चाहिए आप गिलास में पानी लाइए लेकिन उसेके वाबजूद भी आज रिवाज बन चुका है। जहां पर पानी की बात आती है बोतल पकड़ा दी जाती है। जहां भी बैठक में बैठते हैं

28-08-2019/1310/ए.जी.-एन.जी./1

हमारे सामने बोतलें रख दी जाती हैं। मैं अभी भी अधिकारियों से आग्रह करता हूं के जब हमने निर्णय लिया है, क्योंकि पानी की छोटी बोतल जोकि प्लास्टिक की है वह हम हर आदमी के सामने रख देते हैं और हर आदमी के सामने रखने से कितना प्लास्टिक जनरेट होता है, इस बात को भी हमें सोचना चाहिए। जो प्लास्टिक का मैटीरियल जनरेट होता है फिर वही हमारे लिए आफ़त बनता है और हमारे पर्यावरण को क्षति पहूंचाता है। बड़ी बोतल हो और दस आदमी बैठे हैं तो एक बोतल से चार गिलास भरे जा सकते हैं परन्तु चार गिलास भरने के बजाए चार छोटी बोतलें रख दी जाएं तो हम स्वयं ही कितने गुणा अधिक प्लास्टिक जनरेट करने की शुरूआत कर रहे हैं। उस दृष्टि से भी हमने एक कदम लिया और इसे लागू करने की भी हम कोशिश कर रहे हैं परन्तु इसमें अभी और बेहतर काम करने की जरूरत है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बढ़ते हुए शहरीकरण, औद्योगिकीकरण एवं अन्य स्त्रोतों से हो रहे वायु प्रदूषण के मुल्यांकन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 12 विभिन्न स्थानों क्रमशः बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, परवाणु, धर्मशाला, डमटाल, पांवटा साहिब, काला अम्ब, सुंदरनगर, शिमला, ऊना, मनाली (रोहतांग क्षेत्र) में 25 जांच केन्द्रों द्वारा परिवेश वायु गुणवत्ता (Ambient Air Quality) की निरन्तर जांच की जा रही है। इन जांच केन्द्रों द्वारा वातावरण में समान्यतः पाए जाने वाले वायु प्रदूषक जैसे कि धूल-कण (PM_{10} & $PM_{2.5}$) और सल्फर डाईऑक्साइड (SO_2), नाइट्रोजन डाईऑक्साइड (NO_2), ओज़ोन (O_3) और अमोनिया (NH_3) जैसी गैसों की निरन्तर जांच की जा रही है। इसकी जानकारी आमजन-मानस को 12 विभिन्न स्थानों पर स्थापित की गई "इलेक्ट्रोनिक डिस्पले स्क्रीन" के माध्यम से प्रचारित की जा रही है। यह हमारे इनिशिएटिव हैं जिसे हम करने की कोशिश कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों हम इस बात को लेकर थोड़ा-सा चिन्तित थे कि एक एन.जी.टी. का आर्डर आया है और उस आर्डर में हमारे लिए चिन्ता का विषय यह है कि हमारे दो Particular Industrial area (बद्दी-नालागढ़ और काला अम्ब) में प्रदूषण की लिमिट क्रॉस कर रही है। उसके कारण इन दोनों स्थानों पर एन.जी.टी. ने एक्सपैंशन और नए यूनिट लगाने पर रोक की बात कही है। हमारे लिए ये स्वभाविक रूप से चिन्ता का विषय है और ऐसे में हमें और भी गंभीर होने की आवश्यकता है।

मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि प्रदेश में 10 माइक्रोन से कम आकार के धूल-कण प्रदूषक Particulate Matter (PM_{10}) का घनत्व 7 शहरों/कस्बों क्रमशः बद्दी, नालागढ़, डमटाल, काला अम्ब, परवाणु, पांवटा साहिब व सुन्दरनगर में निर्धारित मात्रा से अधिक पाया गया है और यह हमारे लिए अच्छी परिस्थिती नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन क्षेत्रों में वायु प्रदूषण रोकथाम के उद्देश्य से "वायु प्रदूषण रोकथाम वृक्षारोपण अभियान" [Pollution Abating Plant Abhiyan (PAPA)] शुरू किया गया है। इस अभियान के अन्तर्गत वायु प्रदूषण रोकथाम हेतु लगभग दो लाख पौधे राज्य में रोपित किए गए। इस अभियान के लिए राज्य को सकोच (SKOCH ORDER OF-MERIT) पर्यावरण पुरूस्कार भी मिला। इसके साथ-साथ प्रदूषित नदियों के विस्तार क्षेत्र में जल शोधन सशक्तिकरण योजना [Water Purification Invigorative Scheme (WaPIS)] भी लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत नदियों के जल शोधन हेतु 28 विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के पौधारोपण का प्रावधान किया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उन औद्योगिक इकाईयों के विरुद्ध भी नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करता है, जो प्रदूषण मानकों का पालन नहीं करते और आवश्यकतानुसार उन उद्योगों में नवीनतम तकनीक द्वारा प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों में भी सुधार करवाया जाता है। गत वर्ष राज्य बोर्ड द्वारा नियमों की अवेहलना पर 481 औद्योगिक इकाईयों को नोटिस व दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि विभाग की ओर से जो प्रयत्न किए जा रहे हैं, वे बहुत अच्छे हैं। लेकिन क्या होता है कि जब सारी चीजें लिमिट के बाहर होती हैं, उसके पश्चात हमारी कार्रवाई शुरू होती है। इस पर्यावरण को बचाने के लिए हमें स्वतः अपनी ओर से जो प्रयत्न करने की आवश्यकता है, उसमें हमने देखा है कि अभी भी अपना समाज उतना गंभीर नहीं है जितना गंभीर होना चाहिए। आखिरकार, अगर इस मामले में हम अब भी गंभीर नहीं होंगे तो हमें यह बात भी मानकर चलना पड़ेगा कि हमको भी नीला आसमान देखने के लिए कहीं और जाना पड़ सकता है या आसमान में तारे देखने के लिए कहीं और जाना पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश में भी आने वाले समय में ऐसी परिस्थिति निर्मित हो सकती है, जो हमारे लिए चिन्ता का विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरे विषय पर भी थोड़ी बात कहना चाहता हूं कि अवैध कटान से पर्यावरण को खतरा है। हालांकि मुझे इस बात का सन्तोष है कि हिमाचल प्रदेश के पूरे क्षेत्रफल का 67 प्रतिशत भाग वन भूमि में है और हमारे प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण में ये वन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या मैं इस बात को कह सकता हूं कि जहां हिमाचल प्रदेश में वनों की एक बहुत महत्व भूमिका पर्यावरण को बचाए रखने में है, इसलिए उस दृष्टि से हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए और भी ज्यादा प्रयत्न करने की आवश्यकता है। भौगोलिक क्षेत्र के 27.12 प्रतिशत भाग में वन आवरण है। वर्ष 2003 से 2017 तक प्रदेश के वन आवरण में 747 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। यह हमारे लिए सन्तोष की बात है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ठीक है कि वन विभाग भी इसमें अपना योगदान देता है, सरकार के नियम और कानून के मुताबिक वे अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन मैं इस बात को ज्यादा जोर देकर कह सकता हूं कि यदि हम जंगल बचाने में सफल हो पा रहे हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे समाज की है, हमारे महिला-मण्डलों, सैल्फ हैल्प ग्रुप्ज़, पंचायती राज संस्थाओं में चुने हुए प्रतिनिधि, गैर-सरकारी संगठनों आदि की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पिछले एक दशक से समाज में इस बारे में बहुत जागरुकता आई है कि ये जंगल और हरियाली हमारे लिए जरूरी है। जब जंगल रहेंगे तभी हम या हमारी पीढ़ी जी पाएगी । जंगल से हमें हरियाली मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी और उससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए ये सब चीजें हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं।

जब समाज में यह भाव जाग्रत हुआ और इसको हम आगे ले जाने में सफल हुए तो उसका परिणाम यह हुआ कि हिमाचल प्रदेश में एक साईजेबल फॉरेस्ट कवर को मेन्टेन करने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए हमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्युशन मिला है। इसके लिए मैं विभाग को भी बधाई देता हूं। लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि समाज के हर वर्ग जिस वर्ग ने वन को बचाने में अपनी भूमिका निभाई है, उसको भी बधाई देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को स्वयं देखता हूं। हम जब गांव में रहते थे। एक दौर था कि जब हम भी जंगल में जाते थे। हमें लकड़ियां लाने के लिए कहा जाता था। हमें पशुओं के लिए बिछावन लाने के लिए कहा जाता था तो हम जंगल में जाते थे और वहां जाकर बेतरतीब लॉपिंग करते थे। पेड़ पर चढ़ते थे, दराट पकड़कर ठकाठक करते थे और चोटी को छोड़कर सारी टहनियों को काटकर नीचे तक गिराते थे और उनको उठाकर लाते थे। उसका कुछ भाग लकड़ी के इस्तेमाल के लिए होता था और कुछ भाग पशुओं के बिछावन के लिए होता था। यह हमने अपने हाथों से किया है और अपनी पीठ पर लकड़ियां लादी हैं। उस समय जानकारी का अभाव था। हमारे यहां महिलाएं जो पेड़ पर चढ़ती थीं, वे इतनी ऐक्सपर्ट होती थीं कि चाहे कितना भी कठिन पेड़ हों, वे ऊपर तक चढ़ जाती थीं। लेकिन अब जब महिलाओं और लोगों को इस बात की जानकारी हुई कि आपने सिर्फ चोटी छोड़ी और उस पेड़ की सारी टहनियां काटकर बरबाद कर दीं, जबकि हमें चाहिए था कि हमें जितनी लकड़ी की जरूरत थी, उतना उपयोग करते। इसलिए इस तरह से बेरहमी से लॉपिंग न करें। परिणाम आगे बढ़ा और आज मुझे इस बात का सन्तोष है। जिन महिलाओं को मैं आज भी देखता हूं कि जो पेड़ की चोटी तक चढ़ने में बहुत ऐक्सपर्ट होती थीं और दो मिनट में पेड़ के ऊपर तक पहुंचकर ऊपर से नीचे तक दराट से पेड़ की टहनियों को काटती थीं, वहीं महिलाएं आज सेल्फ हैल्प ग्रुप और

28/08/2019/1320/MS/YK/1

वही महिलाएं पंचायतों में जाकर जंगलों के कटाव को रोकने के लिए काम कर रही हैं। इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। ये चीजें हटकर के हुई हैं। यदि हम ऐसा बोलें कि यह सब ऐसे ही हो गया है तो ऐसी बात नहीं है। उस दृष्टि से इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और ऐसी सूरत में मैं मानता हूं कि इस दिशा में हमें और आगे बढ़ने की

आवश्यकता है। विभाग ने बहुत सारी अपनी स्कीम्ज दी हैं, मैं उनकी डिटेल में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं। वन विभाग में फॉरैस्ट गार्ड की भर्ती करनी है ताकि वन काटुए, जो खासतौर से लकड़ियां बेचने के लिए वन को नुकसान पहुंचाते हैं, से वनों की रक्षा की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, एक दौर ऐसा था जब दिन-दिहाड़े पेड़ को काटने के लिए गांव से लोगों को बुला लिया जाता था। पहले गांवों में पेड़ को कोई भी चोरी-छिपे नहीं काटता था यानी रात को पेड़ काटने का काम पहले लोग नहीं करते थे बल्कि ऐसा काम वे दिन में करते थे। मैंने स्वयं वह दौर देखा है जब गांव में मान लो बीस घर हैं तो एक दिन सबके घर से एक-एक को बुलाया जाता था कि इस दिन हमारे यहां पेड़ काटने के लिए आपने आना है। दिन के समय देवदार के पेड़ को काटते थे और हमने अपनी आंखों से यह सब देखा है। ज्यादातर क्या होता था कि जब किसी ने मकान बनाना होता था तो उसके लिए ये सारी चीजें की जाती थीं। सारी कम्युनिटी का निर्णय होता था कि फलां व्यक्ति मकान बना रहा है इसलिए उसकी मदद करनी है और लकड़ी काटने के लिए सब उसके साथ जाते थे। लेकिन धीरे-धीरे अब यह सब कम हो रहा है।

हमारे घरों में एक ज़माने में लकड़ियों का बहुत ज्यादा उपयोग होता था क्योंकि पुराने समय में घर लकड़ी के ही बने होते थे। लोग घर की छत पर भी लकड़ी लगाते थे, दीवारों में भी लकड़ी लगाते थे और फर्श में भी लकड़ी लगाते थे लेकिन टैक्नोलॉजी के साथ थोड़ा परिवर्तन आया है और लोगों में जागरुकता बढ़ी है कि नहीं, पेड़ नहीं काटने हैं क्योंकि इससे हमारा पर्यावरण खराब होगा। इसलिए जितनी जरूरत है उतनी ही लकड़ी का उपयोग हमें करना चाहिए।

इसी तरह से टी0डी0 राइट्स के जो हमारे अधिकार हैं उनका उपयोग करना चाहिए परन्तु दुरूपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई करना हैं। हालांकि ऐसे कुछ ही लोग हैं जो लकड़ी का धन्धा करते हैं यानी पेड़ काटते-छांटते हैं और बेचते हैं। अब पुराना वाला काम तो रह नहीं गया है कि गांव के लोगों को बुलाकर पेड़ काटा जाए। अब तो मशीन से पांच मिनट में ही वह पेड़ कट जाता है जिसको हम 12 कड़े और 8 कड़े का पेड़ बोलते हैं। वह पेड़ बहुत बड़ा होता है। उस पेड़ को ग्रो करने में ही 300 से 500 साल लग

जाते हैं लेकिन मशीन से वह पेड़ 5 मिनट के अन्दर ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद मशीन से काटकर वहीं गाड़ी खड़ी करके उसको बेचने का काम किया जाता है। इसलिए आज ऐसे लोगों के ख़िलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि विभाग ने इस तरह के कई कदम उठाए हैं जहां विभाग ने इस प्रकार के लोगों को रोका भी है, दबोचा भी है, गिरफ्तार भी किया है और उन पर कार्रवाई भी की है लेकिन अब और ज्यादा कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का सन्तोष है कि वर्ष 2017 से जब से हमारी सरकार बनी है, मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जिन वन काटुओं का बड़ा भारी शोर होता था, उनको हम बहुत ज्यादा रोकने में सफल हुए हैं। हालांकि छुट-पुट घटनाएं कहीं होती हैं तो उन पर कार्रवाई भी होती है लेकिन कोई बड़ी घटना कि कहीं सैंकड़ों पेड़ काट दिए हों, ऐसी एक भी घटना पिछले 18 महीनों की हमारी सरकार के दौरान सामने नहीं आई है। इसके लिए मैं विभाग को बधाई देता हूं और हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा-से-ज्यादा पौधारोपण करें। विभाग ने इस बार पौधारोपण में 1,18,932 लोगों की सहभागिता से 25 लाख पौधारोपण के निर्धारित लक्ष्य को पार करते हुए राज्य में 26,47,146 पौधे रोपित कर दिए हैं। यह काम हमने किया है। इसके साथ-साथ हमें और भी ज्यादा सोचने और काम करने की आवश्यकता यह है कि हम प्लांटेशन तो कर देते हैं लेकिन प्लांटेशन के बाद क्या हम गम्भीरता से उसके रख-रखाव की चिन्ता करते हैं? पेड़ लगाना एक बात है यानी आपने पेड़ लगाकर अपना योगदान दे दिया, ठीक है लेकिन प्लांटेशन के बाद क्या उसकी सर्वाइवल हो रही है, उस प्लांटेशन का सर्वाइवल रेट क्या है, इस दिशा में मुझे लगता है कि और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। हालांकि हमने हिमाचल प्रदेश में प्लांटेशन के सर्वाइवल रेट को इम्प्रूव किया है लेकिन उसे और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए अभी और भी ज्यादा काम करने की आवश्यकता है।

28.08.2019/1325/जेके/डीसी/1

इसी तरह से अगर तीसरे पार्ट में आऊं तो वर्ष 2014 में चम्बा में आलमी बीट में हरे पेड़ों का कटान तथा तारादेवी में निजी भूमि में हरे पेड़ों का अवैध कटान और वर्ष 2016-17 में

बिलासपुर में नैना देवी परिक्षेत्र तथा कोठिपुरा में खैर के पेड़ों का अवैध कटान के मामले घटित हुए हैं। हमने उसमें अंकुश भी लगाया है और सम्भावित कार्रवाई करने की कोशिश की है। एक विषय और है, जिसकी मुझे जानकारी मिली। मैंने अभी डिपार्टमैंट के साथ इस विषय पर बातचीत नहीं की है। मुझे जानकारी मिली है कि कुछ जगह आम के पेड़ों का कटान भी बड़े जोरों से चला हुआ है। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। इस सारे मामले के बारे में मैं विभाग के अधिकारियों को कहूंगा, खासतौर से जिस इलाके में आम के पेड़ होते हैं, क्योंकि प्रदेश के सभी इलाकों में आम के पेड़ नहीं होते, लोअर हिमाचल में आम के पेड़ होते हैं, अगर कटान का काम कहीं पर चला है तो उसको रोकेंगे। लोग आज जल्दी से पैसा कमाना चाहते हैं। इस जल्दी के चक्कर में नुकसान किस का हो रहा है, कितना हो रहा है, परवाह ही नहीं करते हैं। सचमुच आम का पेड़ इन्कम देता है, उससे थोड़ी इन्कम आती है और कुछ लोगों को लग रहा होता है कि यहां पर कोई बड़ा बिजनैस शुरू करें। आम के पेड़ों को काट कर यहां पर हाउसिंग या किसी अपार्टमैंट के हिसाब से बिल्डिंग बना लें या अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए लिए कोई कॉम्पलैक्स बना दें तो उससे ज्यादा इन्कम होगी, आदमी ऐसी बातें सोचता है। जब आदमी पैसे के बारे में सोचता है, तब वह नुकसान किसका कर रहा है, कितना कर रहा है, इस पर नहीं सोचता। मैं समझता हूं कि इसके बारे में सोचने की जरूर आवश्यकता है। अनावश्यक रूप से आम के पेड़ों का कटान हो रहा है, सचमुच में यह चिन्ता का विषय है, इसको रोकने की आवश्यकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा कई माननीय सदस्यों ने खनन के बारे में कहा। यह भी बहुत ज्यादा गम्भीर विषय है। ठीक है, जरूरत की बात होती तो समझ में आता, लेकिन रातों-रात पैसा कमाने का एक बहुत बड़ा शॉर्टकट ज़रिया कुछ लोगों का बन गया है। इस कारण से प्रदेश में खनन का काम पिछले कुछ अर्से से चला है, जिसको रोकने की आवश्यकता है। हमने इस बारे में कदम उठाए हैं, सख्ती की है और सख्ती ही नहीं बल्कि कार्रवाई भी की है। लेकिन उसके बावजूद हम इस बात को कहें कि हमने इसे पुरी तरह से रोक दिया तो यह भी सम्भव नहीं है। खासतौर से हिमाचल प्रदेश का जो पंजाब के साथ लगता इलाका है, हरियाणा के साथ लगता इलाका है, वहां पर ज्यादा चिन्ता का विषय है।

चाहे ऊना का इलाका है या कांगड़ा का इलाका है, खनन से लगातार वहां पर नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई करना बहुत कठिन है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में हो रहे विभिन्न विकासात्मक कार्यों, नए उद्योगों की स्थापना, सड़क निर्माण तथा अन्य घरेलू जरूरतों की पूर्ति के लिए आवश्यक रेत, रोड़ी, बजरी व पत्थर की मांग निरन्तर बढ़ रही है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना खनिज संसाधनों का वैज्ञानिक तथा समुचित दोहन किया जाए तथा अवैध खनन व प्रदूषण पर अंकुश लगाया जाए, यह आज की आवश्यकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वर्तमान में विभाग द्वारा प्रदेश में कुल 487 खनन पट्टे प्रदान किए गए हैं। खनन पट्टों में खनन कार्य करने से पूर्व पर्यावरण अनुमति (Environment Clearance) लेना सुनिश्चित किया जाता है ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान न हो।

28.08.2019/1330/SS-HK/1

विभाग द्वारा खनन पट्टे अथवा खनन सम्बन्धी अनुमति प्रदान करने से पूर्व संयुक्त निरीक्षण हेतु गठित कमेटी द्वारा पर्यावरण सम्बन्धी सभी मापदण्डों का आंकलन करने के उपरान्त ही पट्टा प्रदान करने की सिफारिश की जाती है।

सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न नदी नालों में उपलब्ध लघु खनिजों (रेत, रोड़ी, बजरी एवं पत्थर) को खुली बोली द्वारा पारदर्शी तरीके से नीलाम करने का भी निर्णय लिया गया है, जिसके तहत जिला मण्डी, बिलासपुर, शिमला, चम्बा, सिरमौर, ऊना, कांगड़ा, कुल्लू व जिला हमीरपुर के विभिन्न नदी नालों में पड़े हुए खनिजों (रेत, रोड़ी, बजरी एवं पत्थर) की खानों को चिन्हित करने के बाद 165 खन्न पट्टों की नीलामी की गई है। इससे एक ओर जहां सरकार को राजस्व प्राप्त होगा वहीं दूसरी ओर अवैध खन्न पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में वर्ष 2019-20 में दिनांक 31-7-2019 तक लगभग 2749 मामले अवैध खनन/अवैध ढुलाई के पकड़े गए है जिनमें से 2061 मामलों में अवैध खनन/ढुलान में संलिप्त दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए 1,16,93,830/- रुपये

जुर्माना राशि वसूल की गई। जबकि माननीय न्यायालय में दायर किए गए 519 मामलों में से 119 का निपटारा करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा 7,47,100/- रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। शेष मामले अभी तक विचाराधीन है ।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में खनिजों की मांग अत्याधिक होने के कारण ऐसे क्षेत्र अवैध खनन के लिए संवेदनशील बने रहते हैं। प्रायः देखा गया है कि अवैध खन्न की ढुलाई रात के समय होती है। इसलिए सरकार ने सीमान्त क्षेत्रों में रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक खनिज की ढुलाई पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। हमने कोशिश की है। यह बात भी ठीक है कि ऐसे लोग कार्रवाई तब करते हैं जब लोग रात को सो जाते हैं। गलत काम जो भी किया जाता है वह ज्यादातर रात के अंधेरे में किया जाता है। ये अंधेरे का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। यह बात भी हमको मानकर चलना पड़ेगा कि इस प्रकार से खासतौर से जो हमारा बॉर्डर एरिया पंजाब व हरियाणा के साथ लगता है वहां इस गतिविधि को और ज्यादा मॉनिटर करने की आवश्यकता है क्योंकि वहां खनन और भी ज्यादा देखने में आया है। खनन करके रेत व बजरी को जल्दी से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। क्योंकि बॉर्डर एरियाज़ में हमारे पास एक नहीं अनेक ऐसी जगह हैं जहां पर सीधी गाड़ी कुछ मिनट के बाद दूसरे प्रदेश में एंटर हो जाती है। उसके बाद फिर आप उसके ऊपर कार्रवाई करने की परिस्थिति में नहीं रह पाते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा नैक्सस है जिसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें अवैध खन्न में संलिप्त दोषियों को सजा देने के प्रावधानों को और कठोर किया गया है। पिछले प्रावधानों में खनिजों के अवैध खनन, परिवहन व भण्डारण में संलिप्त दोषियों को एक साल की सजा व 25,000/- रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजाओं का प्रावधान किया गया था, जिसे अब बढ़ा कर दो साल की सजा व 5 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजाओं का प्रावधान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अवैध खनिज की मात्रा के आधार पर सजा देने का प्रावधान भी किया गया है जिसमें 25 मीट्रिक टन से अधिक अवैध रूप से निकाले गए खनिज की मात्रा के लिए न्यूनतम 500 रुपये प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से कम्पाऊडिंग फीस वसूल किए जाने का प्रावधान किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से जब मैं कल सुन रहा था तो राकेश पठानिया जी ने बात कही, रीता जी ने बात कही। हमारे रविन्द्र जी ने भी बात कही। होशयार सिंह जी ने भी बात कही। जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया, उन सब की चिन्ता का एक ही विषय था। हद तो यह हो गई कि जो पुल करोड़ों रुपये की लागत से बनकर तैयार होता है और कई साल उसको बनने के लिए लगते हैं वहां पर कुछ लोग इस कद्र बेरहमी से खनन करते हैं, खासतौर से ऐसे धंधे करने वाले, वे इस बात की चिन्ता ही नहीं करते कि हम जो खनन कर रहे हैं, रेत या बजरी निकाल रहे हैं उससे पुल असुरक्षित हो जायेगा। पुल गिर जायेगा, टूट जायेगा। जब पुल टूट जायेगा तो करोड़ों रुपये का नुकसान सरकार का होगा। उसके साथ समाज को भी उसका फल भुगतना पड़ेगा क्योंकि उनका आने-जाने का रास्ता बंद हो जायेगा। इस तरह की सोच हो गई है।

28.08.2019/1335/केएस/एचके/1

यह सचमुच में बहुत चिंता का विषय है और हमने इस बात को सुनिश्चित किया है कि ऐसी परिस्थिति में, खासतौर से जब पुल के पास अगर कहीं खनन किया गया है तो दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की हिदायत हमने दी है। कोई भी आदमी जिसके कारण सरकारी सम्पत्ति को नुकसान होता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पी.डब्ल्यू.डी., माइनिंग, आई.पी.एच., ये सभी विभाग इस सम्बन्ध में अपने-अपने स्तर पर काम कर रहे हैं लेकिन इन सारी चीजों में कई ऐसे लोग इस व्यवसाय से जुड़ गए हैं जिनमें कोई संवेदना ही नहीं है। समाज का क्या हो रहा है, प्रदेश का क्या होगा, प्रदेश की सम्पत्ति को नुकसान हो रहा है, खनन से हमारी नदियां इतनी गहरी हो जाएंगी जिससे समाज को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, पर्यावरण को नुकसान होता है, यह वे सोचते ही नहीं हैं। वे सिर्फ ये ही सोचते हैं कि हम इससे क्या हासिल कर सकते हैं। उनका मकसद सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना होता है। आने वाले समय में खनन इस तरह का विषय बनता जा रहा है जिस तरह से हमारा ड्रग माफिया है और जिस तरह से ड्रग माफिया के खिलाफ अभियान की आवश्यकता है, वैसे

ही खनन माफिया के खिलाफ़ भी एक अभियान की आवश्यकता महसूस हो रही है। यदि आपको घर बनाना है, उसके लिए थोड़ा-बहुत खनन किया जा सकता है लेकिन उसके लिए लीज़ पर प्रावधान किया गया है । रेत-बजरा लाने के लिए माइनिंग की प्रोसैस कम्पलीट करने के बाद इजाज़त दी गई है और उसके माध्यम से उसकी पूर्ति कर सकते हैं लेकिन रेत-बजरे को रातों-रात जो बड़े-बड़े ट्राले, जे.सी.बी या मशीनें लगा कर उनको भर कर रातों-रात करोड़पति बनना चाहते हैं, इस बात की इजाज़त नहीं होगी, यह मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो भी सुझाव माननीय सदस्यों की ओर से यहां पर प्रस्तुत किए गए हैं, उन पर हम कार्रवाई करने की पूरी कोशिश करेंगें। पूरा माननीय सदन इस विषय पर चिंतित है। आज सभी लोगों को बोलने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाया लेकिन सभी लोगों की चिंता जाहिर है और सभी लोग मानते हैं कि हमें अगर पर्यावरण का संरक्षण करना है तो हमें जंगलों का अवैध कटान रोकना पड़ेगा और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए खनन माफ़िया पर नकेल डालनी पड़ेगी। अगर पर्यावरण को संरक्षित रखना है तो हमें चारों तरफ जहां औद्योगिकरण हो रहा है, उसमें भी लेटैस्ट टैक्नॉलोजी का उपयोग करना पड़ेगा ताकि हमारे पर्यावरण को उससे नुकसान न हो, इन सारी चीजों का उपयोग करने की आवश्यकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। हम आपकी चिंता से वाकिफ़ हैं। मैं समझता हूं कि मेरे उत्तर से सभी माननीय सदस्य संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।

उपाध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए अपराह्न 2.45 बजे तक स्थगित की जाती है।

सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत 2.45 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई।

उपाध्यक्ष : अब श्री राकेश पठानिया जी नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

Shri Rakesh Pathania : Hon'ble Deputy Speaker, Sir, I would like to move my resolution under Rule-130, which is as follows: "World Bank Funded Horticulture Development Project पर यह सदन विचार करे।"

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "World Bank Funded Horticulture Development Project पर यह सदन विचार करे।" इसमें क्योंकि बोलने वाले बहुत हैं।

व्यवस्था का प्रश्न

माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

शिक्षा मंत्री (संसदीय कार्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी माननीय विपक्ष के नेता के कमरे में भी गया था लेकिन ये तब तक वहां से निकल गये थे। आज आदरणीय अरुण जेटली जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 4.00 बजे अपराह्न सर्वदलीय कार्यक्रम रखा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हम आगे का बिजनैस 4.00 बजे अपराह्न या 4.30 बजे अपराह्न तक ही रखें बाकी का बिजनैस कल कर लेंगे। (...व्यवधान...) हमारा आपसे केवल निवेदन है। (...व्यवधान...) हमारा माननीय उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन रहेगा कि बाकी का बिजनैस कल के लिए लगा दें।

श्री मुकेश अग्निहोत्री (हरोली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि आदरणीय राकेश पठानिया जी ने एक अच्छा प्रस्ताव लाया है और यह लगना चाहिए। आपने 11 विषयों से संबंधित प्रस्तावों की लॉटरी डाली थी लेकिन लॉटरी के अंतर्गत उसको नियम-101 में स्थान नहीं मिला। उसके बाद आपने उसको नियम-130 के अंतर्गत प्लेस किया है। (...व्यवधान...) मैं उसका सदस्य हूं और आपको यह जिम्मेवारी के साथ कह

रहा हूं कि वहां पर इस बारे में चर्चा हुई थी। आप इसको नियम-101 में प्लेस नहीं दे पाये क्योंकि लॉटरी निकाली और फिर आपने इसको नियम-130 में प्लेस कर दिया। अब मेरा यह कहना है कि राकेश जी के प्रस्ताव को कल ले लें और बाकी का छोटा एजैंडा आज पूरा कर लें। (...व्यवधान...) फिर तो 4.00 बजे अपराह्न नहीं जा सकते। (...व्यवधान...) आपके संसदीय कार्य मंत्री जी की तरफ से यह प्रस्ताव आया है। (...व्यवधान...) कल नहीं आ सकता, अब तो परसों आयेगा। इसीलिए मैं यह कह रहा हूं कि अगर संसदीय कार्य मंत्री जी इस बारे में सहमत हो तो बाकी का छोटा-छोटा एजैंडा आज पूरा कर लें क्योंकि यह तो लम्बा प्रस्ताव है और इस पर कई लोग बोलेंगे।

शिक्षा मंत्री (संसदीय कार्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर जैसे माननीय विपक्ष के नेता ने कहा और एक प्रस्ताव माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री का भी है कि इस पर अगर चर्चा हो जाए तो ठीक रहेगा। आज इस पर जितनी चर्चा हो सकती है वह कर लेते हैं बाकी चर्चा परसों के लिए स्थगित कर देते हैं। इसके अतिरिक्त जो नियम-61 व नियम-62 के अंतर्गत एजैंडा रखा गया है उसको कल के लिए पोस्टपोन कर लें क्योंकि कल नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव नहीं लग पायेगा। (...व्यवधान...) मगर नियम-61 या नियम-62 के अंतर्गत विषय लग सकता है।

28.08.2019/1450/टी.सी.वी./वाई.के.-1

इनके तहत लगे विषय पर आज भी चर्चा की जा सकती है और कल भी की जा सकती है।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष जी, जब माननीय सदस्य ने नियम- 130 के तहत विषय चर्चा के लिए प्रस्तुत कर दिया है तो अब इस पर चर्चा कर लेते हैं। इस विषय पर अधिकतर सदस्य बोलना चाहते हैं। इसलिए किसी भी सदस्य को बोलने से न रोका जाये। जितने माननीय सदस्य आज बोल पायेंगे, वे आज बोल लें बाकी परसों बोल लेंगे।

श्री मुकेश अग्निहोत्री (हरोली): माननीय उपाध्यक्ष जी, जैसा अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि वे आज माननीय सदन की बैठक 4.00 बज़े समाप्त करना चाहते हैं। यदि आज माननीय सदन की बैठक 4.00 बज़े समाप्त करनी है तो आपके पास सिर्फ एक घण्टा है। इसमें आप नियम-61 और नियम-62 के तहत लगे विषयों पर चर्चा कर लें और यह जो प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री पठानिया जी ने लाया है, इसको आप 30 अगस्त, 2019 को लगा लें।

श्री नरेन्द्र बरागटा(जुब्बल-कोटखाई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय सदस्य श्री मुकेश जी से अनुरोध है कि जो विषय आज नियम-61 या नियम-62 के तहत लगे हैं, मेरा भी विषय लगा है। उन पर चर्चा करने में भी समय लगना है। यदि गैर सरकारी कार्य दिवस में नियम-61 और नियम-62 के तहत विषय लग सकते हैं तो इनके ऊपर कल चर्चा की जा सकती है वरना फिर इन पर परसों चर्चा की जा सकती है। इसलिए जो प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री राकेश पठानिया जी ने प्रस्तुत कर दिया है, इस पर चर्चा कर लेते हैं।

श्रीमती आशा कुमारी (डलहौजी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज नियम-61 और नियम 62 के तहत भी पांच विषय लगे हुए हैं। यदि उन पर आधा-आधा घण्टा भी चर्चा करेंगे तो भी अढ़ाई घण्टा तो इन पर चर्चा करने में लगेगा। इसलिए जो विषय नियम-61 और नियम-62 के तहत आज के लिए लगे हैं, इन पर कल चर्चा हो सकती है। ये गैर सरकारी कार्य दिवस में भी लग सकते हैं लेकिन ये एजेंडे में पहले आयें ताकि इन पर चर्चा के लिए समय मिल जायें।

शिक्षा मंत्री (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सदस्य ने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है, इसलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं, जितने माननीय सदस्य इस पर आज बोल पाएंगें, वे आज बोल लें बाकी माननीय माननीय सदस्य परसों चर्चा में भाग ले सकेंगे। क्योंकि नियम-130 के

तहत विषय कल के लिए नहीं लगाया जा सकता है, कल के लिए नियम-61 और नियम-62 के तहत विषय लग सकता है।

श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले का जो प्रेसीडेंस है, उसमें पहले नियम-61, 62 और फिर अंत में नियम-130 के तहत विषय लगता था। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जो विषय नियम-61, 62 के तहत आये हैं उनको लॉस्ट में लगाया जा रहा है और नियम-130 के तहत विषय को पहले लगाया जा रहा है। नियम-130 के अंतर्गत उठाये गये विषय पर बहुत-सारे माननीय सदस्य चर्चा में भाग लेते हैं, इसलिए उसको आखिर में रखना चाहिए ताकि सभी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिल सकें। आप इसको बीच में डाल देते हैं और इस पर सिर्फ दो- तीन माननीय सदस्य ही बोल पाते हैं और बाकियों को बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। इसलिए आप व्यवस्था दीजिए कि जो लिस्ट ऑफ बिज़नैस का प्रेसीडेंस बना हुआ है, उसी तरह से चलने दें या फिर इस बारे में कोई नोटिस आये कि किस विषय को कौन-से नम्बर पर लगाया जा रहा है। इसलिए यह गलत प्रथा शुरू न की जाये।

श्री मुकेश अग्निहोत्री: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी बहुत ज्यादा एजेंडा चर्चा हेतु लगने को शेष हैं। आज भी शीघ्र ही हाउस एडजोर्न हो जाएगा और फिर कल का दिन गैर-सरकारी कार्य दिवस के लिए निर्धारित है। इसलिए एजेंडा नहीं लग पायेगा। मेरा आग्रह है कि दो दिन सैशन को और बढ़ाया जाये। अभी नियम-130 के तहत 30 रेज्योल्यूशन पैंडिंग है। जब इतना ज्यादा एजेंडा पैंडिंग है तो आप इसके बारे में अवश्य कुछ विचार करें।
दूसरा, हमारी असैम्बली की जो कार्यवाही है, इसको आप ऑनलाइन करें ताकि इसको सारी दुनिया देखें। जब लोकसभा की कार्यवाही ऑनलाइन हैं तो आप भी इसको ऑनलाइन करें।

उपाध्यक्ष: ठीक है, माननीय मुख्य मंत्री जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं?

मुख्य मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी ने जो बात कही कि बिजनैस बहुत पैंडिंग हैं। इन्होंने जो सुझाव दिया है, उसके लिए मैं अपने दल के सभी विधायकों के साथ बातचीत कर लूंगा। माननीय सदन के तीन वर्किंग डेज़ हैं। हम सबकी सहमति से सत्र को बढ़ाने का विचार कर लेंगे। अभी हम सदन की कार्यवाही को आगे चलाएंगे।

उपाध्यक्षः अब माननीय सदस्य, श्री राकेश पठानिया जी नियम-130 के अंतर्गत अपना विषय इस माननीय सदन में प्रस्तुत करेंगे।

श्री राकेश पठानियाः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मुद्दा हॉर्टिकल्चर वर्ल्ड मिशन का हिमाचल के किसान और बागवान के साथ जुड़ा हुआ है। मैं ऐसा कह सकता हूं कि यह हिमाचल प्रदेश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आज किसान और बागवान अपने पैरों पर खड़ा है तो प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा है। आज प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी का एक ही आग्रह बार-बार सरकार की हर स्कीम में आ रहा है कि वर्ष 2022 तक हम अपने किसान की आय को डबल कैसे करें? आज हिंदुस्तान की सरकार का ज्यादा-से-ज्यादा फोकस इसी बात पर है कि इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, बूस्ट करने के लिए हम ज्यादा-से-ज्यादा किसान और बागवान को अपने पैरों पर खड़ा कर दें। यह तभी संभव है, जब हिमाचल प्रदेश का किसान और बागवान अपने पैरों पर खड़ा होगा। हिमाचल प्रदेश को चार जोन में विभाजित किया गया है। इसमें लोअर हिल्ज़, मिडल हिल्ज़, हायर हिल्ज और ट्राईबल का टेंपरेट एरिया है। इन चार जोन के लिए हॉर्टिकल्चर की अलग-अलग से व्यवस्था की गई है। मैं यहां पर जिस विषय को ले करके आया हूं, उसको कोट करना चाहूंगा। यह विषय हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर और डिवेल्पमैंट सोसायटी के तहत हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डिवेल्पमैंट प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक से फंडिड है। I am very grateful to the World Bank people who have funded such an excellent project. I have gone through the whole project, not once but many times. As a farmer myself, I personally feel that this project if implemented in Himachal Pradesh यह हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक किसान, जमींदार और बागवान की दिशा बदल सकता है, उनका पूरे-का-पूरा स्टेट्स चेंज किया जा सकता है। आज हिमाचल प्रदेश में जो हॉर्टिकल्चर है, इसमें they have described this as an industry.और इंडस्ट्रीज के बारे में आज इतना स्कोप है। क्योंकि हमारा जो एरिया

है वह इसके लिए बिल्कुल टेलरमेड है। माननीय नरेन्द्र बरागटा जी दो बार पहले मंत्री रहे हैं और अब माननीय महेन्द्र सिंह जी ने इस विभाग को संभाला है। जितनी भी सरकारें प्रदेश में रही हैं, मैं विपक्ष वालों को बधाई देना चाहूंगा कि आपकी सरकार के समय में यह प्रोजेक्ट कंसीव हुआ। I don't want to mince any word. जो जिसने किया, उसका शेयर उसको जाना चाहिए।

इस प्रोजेक्ट को जिस तरीके से प्लान किया गया, the World Bank people have given lot of brain to it, lot of thought to it; and lot of time to it to plan and project a projection for Himachal Pradesh farmers and growers. और यहां पर जितने हमारे सेब उत्पादक बैठे हैं, जितने विधायक ऊपर वाले क्षेत्र के यहां बैठे हुए हैं, चाहे वे माननीय जगत सिंह नेगी जी, माननीय नरेन्द्र बरागटा जी या माननीय मोहन लाल ब्राक्टा जी हों, माननीय विक्रमादित्य जी और माननीय सुन्दर सिंह ठाकुर जी भी बैठे हैं, apple has changed the economy of this State. इसमें कोई दो राय नहीं है कि सेब के आने के बाद इस प्रदेश की इकोनॉमी में चार चांद लगे हैं। मैं समझता हूं कि ये चार चांद बहुत कम हैं। आज के दिन में हमारी एप्पल की प्रोडक्शन क्या है?

उपाध्यक्षः माननीय राकेश पठानिया जी, आप समय का ध्यान रखें।

28.08.2019/1500/RKS/AG-1

श्री राकेश पठानियाः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप विषय को ध्यान में रखते हुए घंटी नहीं बजाएंगे क्योंकि इस मामले में आपका क्षेत्र भी पीछे रह गया है।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, आप अपने विषय में बात कीजिए।

श्री राकेश पठानियाः आज प्रदेश में सेब की पैदावार कितनी है। What is your production per hectare और न्यूजीलैंड की कितनी है? It is more than 120 tonnes per hectares and what are we achieving - 8 to 10. और ये जो हाई डेंसिटी का रूट स्टॉक आया है, this is higher yielding qualities. इससे हमारी पैदावार कई गुना और बढ़नी चाहिए। This should have gone up manifold. आज यह प्रोडक्शन 60-70 या 100 के आसपास होनी चाहिए थी लेकिन आज हम कहां पहुंचे हैं? मैं कांगड़ा के नूरपुर क्षेत्र से आता हूं। एप्पल ग्रोइंग

बैल्ट के लोग साइंटिफिक रूप से परिश्रम करके इस क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। आपने लेटैस्ट टैक्नोलोजी का सहारा लेकर अपने बागवानों को आगे बढ़ाया है। हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में सेब का बहुत बड़ा रोल है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री और माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि we have to give more thrust on this. इसके ऊपर कुछ और करने की आवश्यकता है ताकी जो 'सेब' हिमाचल प्रदेश की शान है, प्रदेश के सर का ताज है, उसकी पैदावार में और बढ़ोतरी हो। आदरणीय उपाध्यक्ष जी, यह सारा प्राजैक्ट वैल्यू चेन प्रोजैक्ट है लेकिन पहले वैल्यू चेन को समझना बहुत जरूरी है। वैल्यू चेन ज़मीन से शुरू होती है, खेत से शुरू होती है। It goes upto manifold. यह बेसिक प्लान से शुरू होकर मार्किटिंग, नई टैक्नोलोजी, कोल्ड स्टोर व चेन्स तक जाती है। मैं वर्ल्ड बैंक के मित्रों का बधाई देना चाहता हूं। ये जो आपने कंसलटैंसिज सर्विसिज़ अडॉप्ट की है - H.P. Horticulture Development Project and between the Managing Director, H.P. Horticulture Produce Marketing and Processing Corporation Limited. This is signed between a joint venture between Stitching Wageningen Research Institutes and Environmental Research and Global Agri-Systems Private Limited. This is supposed to be one of the best companies in the world. ये दुनिया की उन बेहतरीन कंपनियों में से एक है जिसकी सेवाएं पूरा विश्व ले रहा है। उसके बाद आपने Business Plan Development and Design for setting up of two new and upgradation of existing 14 primary and secondary wholesale markets जो H.P. State Marketing Board के साथ एग्रीमैंट किया यह ACCIONA Ingenieria AnabelSegura स्पेन की कंपनी के साथ किया। They are again supposed to be the best. ये जो आपने दो best Consultants you could have adopted, you have adopted. हम कहां तक पहुंचे हैं? हम इस प्रोजैक्ट को कितनी दूर लेकर गए हैं? अब सिस्टम चेंज हो रहा है। हम लोग कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। पहले 130 से 140 दिन तक बरसात होती थी जिससे 1200 से 1400 एम.एल. तक पानी मिलता था। Now the period has come down from 140, 120 to 90 and less and now to 70. अब यह सारा पानी कम अंतराल की बरसात में ही उपलब्ध हो जाता है। हमें 1200-1400 एम.एल. पानी आज भी मिल रहा है लेकिन यह पानी पहले हमें 120 या 140 दिनों में मिलता था। हम कांगड़ा में कहते हैं कि 'झड़ी लग पई है।' यह झड़ी लगातार 7-8 दिन चलती

थी और सारा पानी ज़मीन में रच जाता था। लेकिन अब यह पानी बड़ी तेजी से आ रहा है जिसके कारण नालों में बाढ़ आ रही है। नालों में पानी का स्तर ऊपर जा रहा है।

28.08.2019/1505/बी0एस0/डी0सी0-1

जो नाले छोटे-छोटे थे वे बड़े-बड़े होते जा रहे हैं। Lot of soil erosion is taking place and because of that we are losing good soil. जैसे-जैसे तापमान में परिवर्तन हो रहा है वैसे-वैसे हमें इस टैक्नॉलोजी को भी अपनाना पड़ेगा। This is why this Project has come. तापमान के साथ-साथ वातावरण में परिवर्तन हुआ और पानी के बहाव में भी परिवर्तन आया। यह भगवान भोले शंकर जी की हमारे ऊपर बहुत कृपा है कि अभी भी हमें पूरा पानी मिल रहा है, the volume of water in our State is still the same and for that we should be thankful to Gods. कल को यह volume कम हो गया तो हिमाचल प्रदेश मुश्किल में पड़ जाएगा। इसमें बहुत बड़ा component सिंचाई का है, सिंचाई का जो कंपोनेंट है उसके अंदर बहुत सारा काम करना बाकी है। मैं चाहूंगा कि सभी माननीय सदस्य मेरी बात को गंभीरता से लें क्योंकि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री राकेश पठानिया जी, कृपया विषय पर बोलें और अपनी बात को जारी रखें।

श्री राकेश पठानिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विषय में ही बोल रहा हूं। मैंने एक भी शब्द विषय से बाहर नहीं बोला है। आप कृपया मेरी बात को गंभीरता से लें। उपाध्यक्ष महोदय यह लड़ाई टैक्नोलॉजी और नॉलेज के बीच में है। जो प्रोजैक्ट हमें वर्ल्ड बैंक ने दिया है this is basically based between technology and knowledge and we have to think कि उसे हम अपने जमीदारों तक कैसे ट्रांस्फर करेंगे। इसे बागवानों के घरों और खेतों तक कैसे पहुंचाएंगे ? यह मूल प्रश्न है। अगर हम रूट स्टोक चेंज कर रहे हैं और नई टैक्नोलॉजी करके आ रहे हैं और एप्पल ग्रोइंग बैल्ट में उसका एक्सपेरिमैंट किया है। मुझे लगता है कि जितना यह किया जाना चाहिए था अभी उतना नहीं हो पाया है। There is lot

of scope to be done in this. यदि इस प्रोजैक्ट को ध्यान से पढ़े तो वास्तव में यह प्रोजैक्ट छोटे व सीमांत किसानों के लिए बना है। बड़े फार्मर हैं ही कितने ? वे मात्र 0.4 प्रतिशत हैं। असली जो बागवान है उसके पास 100, 50, और 20 पेड़ हैं उस छोटे बागवान के बारे में आपने क्या किया? मैं विषय पर बोल रहा हूं। आपने उस टैक्नोलॉजी और नॉलेज को कैसे उस छोटे बागवान तक पहुंचाया? Now here I would like to correct that this Mission Project of Horticulture tells Himachal Pradesh that this is 'people's movement'. Here is where the confusion lies, हम यहां पर ठेकेदारी प्रथा नहीं ला सकते। हमें यहां पर जमीदारों का एक मूवमैंट खड़ा करना पड़ेगा। हमें बागवानों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए इस टैक्नोलॉजी और नॉलेज पर काम करना पड़ेगा और इस बारे में एक विशेष अभियान चलाना पड़ेगा। मैं धन्यवादी हूं आदरणीय जय राम ठाकुर जी का और आदरणीय महेन्द्र सिंह ठाकुर जी का, जब तक हम इसे एक अभियान के रूप में नहीं चलाएंगे तब तक यह कामयाब नहीं हो सकता। हमें इसमें हर छोटे बागवान को जोड़ना होगा। इसमें रखा है कि क्लस्टर बनाएंगे और जमीदारों की सोसायटियां बनाई जाएगी और सोसायटियों का सारा-का-सारा प्रोजैक्ट का पैसा उनके फंड्स में ट्रांसफर किया जाएगा। जब यह पैसा उनके पास आएगा तो वे चैक डैम्ज बनाएंगे। वे लोक crop pattern चेंज करेंगे। We have to change the crop patterning क्योंकि जो climate change हो रहा है उसके साथ आपको crop patterning को भी चेंज करना पड़ेगा ।

28.08.2019/1510/डी0टी0/डी0सी0-1

जिस विषय पर मैं पिछले एक-सवा साल से बोलता आ रहा हूं और मैं अभी उसी विषय पर आ रहा हूं । अगर हमने ऐसी टैक्नोलॉजी सेब में ले आएं तो अच्छा रहेगा। इसी टैक्नोलॉली के माध्यम से हमने अपने उत्पाद को कई गुणा बढ़ा लिया है। परंतु इसमें कई गुणा स्कोप अभी बाकी है। यही टैक्नोलॉजी, यही स्टैम बेस्ड, यही रूट व हाईब्रीड टैक्नोलॉजी को हम आम, आड़ू और संतरे में क्यों नही ले करके आ रहे हैं? एक समय था जब नागपुर के बाद नूरपुर का संतरा माना जाता था। आज वह नागपुर-नागपुर तो रह गया क्योंकि वे भी हाई ब्रीड संतरा ले आए हैं। They have

got the latest technology. आपको सेब के लिए इटली और अन्य देशों में जा रहे हैं to get this new root technology but in mango , guavas and litchi ये सारा आपका कलकत्ता और पश्चिम बंगाल, गुजरात और आन्ध्रप्रदेश में उपलब्ध है। अभी तक आपने हमारे कितने किसानों को यह नई टैक्नोलॉजी दी है? बड़ा हैरान करने वाला विषय है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे पास प्लांट एंड रिसर्च का एग्रीमेंट है। It is a report of 'Development Of High Tendency Apple Orchards in Himachal Pradesh' by the New Zeland project team. Himachal Horticulture Development Project यह सारे-का-सारा आपने सेब की टैक्नोलॉजी पर डवैल्प किया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपके विभाग ने इसको डवैल्प किया है। माननीय मुकेश जी जिस विषय पर मैं आ रहा हूं उस पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। इसी तरीके से आपने एप्पल टैक्नोलॉजी को डवैल्प किया है उसी तरीके से इस प्रोजैक्ट को आपने पैकेज फ्रूट्स ऑफ सब ट्रोपिकल फ्रूट्स सब ट्रोपिकल का मतलब है कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना,मण्डी, घुमारवीं और बिलासपुर आधा चम्बा। ये सब ट्रोपिकल एरियाज हैं। यह मेरा छापा हुआ नहीं है। यह World Horticulture Mission का छापा हुआ है। इसमें इन्होंने बड़ा क्लीयर रिसर्च किया है " high tendency plantation of irrigated orchards mango, litchi and guavas. World Bank has funded Himachal Pradesh Horticulture Development component sub tropical fruits.

अब इसमें बड़े विस्तार से आया है। I have gone through this report many times. हमारे सभी लोगों का यह मसला है। आज यदि हमारी इकोनॉमी को सेब चेंज कर सकता है तो क्या हमारा आम,अमरुद और लीची उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती। हमारी आर्थिक भी सुदृढ़ हो। हमारे किसानों के लिए नई टैक्नोलॉजी आए? आदरणीय मुकेश जी पूरा ऊना इसमें आता है। हम चाहते हैं कि हमारे पास यह टैक्नोलॉजी आए । यह प्रोजैक्ट कब conceive हुआ? यह वर्ष 2016 में हुआ when you started spending the money और आज का क्या विषय है? अब यह थोड़े दिन पहले मिड टर्म रिव्यू हुआ। Himachal Pradesh Horticulture Development Project Mid Term Review Mission, 29th May to 31st May

and then 3rd June to 15th June. इसमें मंत्री महोदय, सी केटेगरी में "activities related to sub-tropical crops, 4,500 hectares under Component 'A' is dropped". I again repeat this is mid term review of World Horticulture Mission Project and it clearly states, "activities related to sub-tropical crops , 4,500 hectares under Component 'A' is dropped. This is primarily due to over laying of the project which would be purposed under SHIVA (Subtropical Horticulture, Irrigation and Value Addition Project)". सारी एक्टिविटी मेरे क्षेत्र में हो चुकी है। ज्वाली और मेरे विधान सभा क्षेत्र में हमने 10-10 क्लस्टर भी तैयार कर लिए हैं। हमारे यहां कार्य आरम्भ हो चुका है। मैं बड़ा हैरान होता हूं जब इन प्रोजैक्ट्स के पेपर्ज को देखता हूं। (घंटी) माननीय

उपाध्यक्ष महोदय, आपने फिर घंटी बजा दी। मैं वैसे ही बैठ जाता हूं यदि आप मुझे सुनना नहीं चाहते। यह प्रदेश हित का इश्यू है।

28-08-2019/1515/एच.के.-एन.जी./1

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें 7 नाम तो आ ही चुके हैं और लगभग 20 मिनट आप भी बोल चुके हैं। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं और विषय भी बहुत अच्छा है। मेरा आपसे निवेदन है कि और भी माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं इसलिए आप थोड़े शब्दों में अपनी बात रखें।

श्री राकेश पठानियाः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबट्रोपिकल पर आ रहा हूं। जैसा की माननीय मंत्री जी ने मुझे सूचना दी वर्ष 2017 में 15,200 प्लांटस खरीद कर वितरित किए गए। इसमें कांगडा के लिए केवल 2-3 क्लसटर को सिलेक्ट किया गया और जिनका सर्वाइवल रेट ज़ीरो है। माननीय मंत्री जी मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं, आपने जो यह फ़िगर मुझे दी है उसके अनुसार वर्ष 2018 में 12,130 प्लांटस को बांटा गया है। जबकि 12 हज़ार और 10 हज़ार का क्लसटर कहां है इसमें से एक के अलावा मैं किसी को नहीं जानता हूं। मुझे मालूम है कि वहां पर उस क्लसटर की लाइफ़ ज़ीरो है और वहां पर कोई प्लांट नहीं बचा है। जबकि सबट्रोपिकल के अंदर कम-से-कम 1.5 करोड़ युनिट देना

पड़ेगा और अपर शिमला में कम-से-कम 3 करोड़ प्लांट बांटने पड़ेंगे तब जाकर आप इसका परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अपर शिमला में आपने अभी तक केवल एक बार 47 हज़ार और एक बार 72 हज़ार प्लांटस बांटे हैं और उसमें से कितने सर्वाइव किए हैं यह तो माननीय मंत्री जी ही बताएंगे। मेरा विषय यह है कि यदि हम इस प्रोजैक्ट को गंभीरता से लें और इसका कॉम्बिनेशन उपर और नीचे के साथ इकट्ठा कर लें तो this can become a game changer. यह हमारे जमींदार और बागवान की आर्थिक स्थिती बदल सकता है। This can be a pure game changer for Himachal Pradesh horticulturists और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो आपने conceive किया है इसके लिए मैं वर्ल्ड बैंक के सदस्यों को और होर्टिकल्चर के अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा। जिन लोंगो ने भी इसे conceive किया और इसको बनाया, उन्होंने बहुत सुन्दर प्रोजेक्ट बनाया है, that is such a fabulous project you people have made. अगर आज भी इसका इंपलीमेंटेशन कर दिया जाए तो हिमाचल प्रदेश की दिशा और तस्वीर बदल जाएगी।

मुझे मालूम नहीं था कि यह खबर लगी है लेकिन आज सुबह बाहर बैठ कर अख़बार पढ़ रहा था तो "पंजाब केसरी" में खबर पढ़ी कि "मंत्री और आई.ए.एस. की लड़ाई में उलझा बागवानी प्रोजेक्ट" ...(व्यवधान)...

उपाध्यक्षः बीच में न बोलें। प्लीज़।

श्री राकेश पठानियाः "मंत्री और आई.ए.एस. की लड़ाई में उलझा बागवानी प्रोजेक्ट, 3 साल में खर्च किए 91.60 करोड़ (8 फीसदी), शेष 4 सालों में खर्च करने होंगे 1042.4 करोड़ रुपये (92 फीसदी)...(व्यवधान)...

उपाध्यक्षः बीच में न बोलें। प्लीज़। माननीय सदस्य आप बोलते रहें।

श्री राकेश पठानियाः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय मंत्री जी से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि जिस तरीके से पिछले 7-8 महीनों में आपने इस प्रोजेक्ट में इम्प्रूवमेंट की है यह एक ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट है। The World Bank

has appreciated this drastic improvement. I really wish आपने जो ये अच्छा पेस पकड़ा है इस प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए और पिछले 8-10 महीनों में आपने इम्प्रूवमेंट की है, शुरू के 6-7 महीनें के लिए sluggish आया था। उसके बाद आपने उसे ओवर कम किया और आपके विभाग ने बहुत अच्छे ढंग से आपकी लगभग 65 percent requirement पूरी हो गई है। आपने लगभग हर कॉम्पोनेंट पर काम करना शुरू कर दिया लेकिन आपने कांगड़ा को क्यों ड्रोप कर दिया? आपने हमीरपुर को क्यों ड्रोप कर दिया? आपने ऊना को क्यों ड्रोप कर दिया? आपने बिलासपुर, मण्डी को क्यों ड्रोप कर दिया? यह सब मेरी समझ से बाहर है।

There is a complete study on Nahan. नाहन के बारे में तो पूरा पेपर छपा हुआ है और आज माननीय अध्यक्ष महोदय यहां होते तो मैने उन्हें पूरा पेपर पढ़ाना था। यह सारे एरिया की शक्ल और दिशा बदल सकती है परन्तु आप बार-बार घण्टी बजा कर मेरी दिशा बदल रहे हैं।

उपाध्यक्षः आपकी दिशा बदलती कहां है? Conclude करें प्लीज़।...(व्यवधान)...

28/08/2019/1520/RG/HK/1

श्री राकेश पठानियाः ---(व्यवधान)--ये बिना घण्टी बजाए काम कर लेते हैं, सर।--(व्यवधान)--- मुकेश जी, क्या बात है?

उपाध्यक्ष : श्री राकेश पठानिया जी, आप कृपया अपने विषय पर बोलें, अभी बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं।

श्री राकेश पठानिया : 15 मिनट तो आपने पहले ही गप्पों में निकाल दिए।

उपाध्यक्ष : कृपया आप दो मिनट में समाप्त करें।

श्री राकेश पठानिया : आप आदेश करें तो मैं अभी बैठ जाता हूं।

उपाध्यक्ष : आपकी इच्छा है तो बैठ भी सकते हैं। आपने बहुत अच्छा विषय रखा है।

श्री राकेश पठानिया : आप जैसा कहें। तो मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी एवं माननीय मंत्री जी से निवेदन रहेगा। यह जो वैल्यू चेन प्रोजैक्ट में टैक्नॉलौजी और नॉलिज का विषय मैंने यहां रखा है, जितने भी यहां प्रोग्रैसिव लोग बैठे हैं Sh. Rakesh Singha ji, is a very progressive farmer. और जो मैंने यहां बोला, जितने लोग यहां इस बात से सहमत हैं, तो मैं आपसे निवेदन करुंगा कि आइए मिलकर across the Party line, हम सब मिलकर एक ऐसा अभियान हिमाचल प्रदेश में श्री जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में चलाएं, इसमें किसी भी किस्म की कोई राजनीति बात नहीं है, प्रोजैक्ट आप लेकर आए, हमने यह बात साफ की, आपके समय में यह प्रोजैक्ट कंसीव हुआ, यह प्रोजैक्ट वर्ष 2016 में शुरू ही हुआ था, उसके बाद हम आ गए और अब यह प्रोजैक्ट अपने पैरो पर खड़ा हो गया और चलना भी शुरू हो गया। इसलिए हम सब मिलकर, we should all come across the Party lines and come to a platform where we can change the face of horticulturalists.

श्री राकेश सिंघा : यह कोल्ड स्टोर में जाएगा।

श्री राकेश पठानिया : नहीं, राकेश जी, यह कोल्ड स्टोर में नहीं जाएगा, यह बाहर आएगा।

उपाध्यक्ष : सिंघा जी, कृपया बीच में न बोलें।

श्री राकेश पठानिया : मैंने बहुत सी सरकारों को स्टडी किया, जहां पर मैंने आशा जी यह पाया कि the departments of Horticulture, Agriculture and Rural Development are one. हमको आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने सिक्किम भेजा था, श्री विक्रमादित्तय सिंह जी भी हमारे साथ गए थे, हम सब 6-7 विधायक यहां से सिक्किम गए थे। वहां हमने यह पाया और वहां जो हॉर्टिकल्चर का हैड था, he was a product of Solan University. He had retired as a Principal Secretary, Horticulture but the Government has given him extension for next four years because he has changed the whole scenario of Sikkim. And there the scenario has changed because of horticulture and a similar project . (घण्टी) बिल्कुल इससे मिलता-जुलता प्रोजैक्ट वहां इम्प्लीमेंट हुआ और उस प्रोजैक्ट ने सिक्किम की दिशा को बिल्कुल बदल दिया, सिक्किम के जमींदार की शक्ल को बदल दिया और सिक्किम के लोगों की आमदनी का लेवल ऊपर चला गया।

इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन रहेगा, लेकिन मेरा विषय आज आधा भी नहीं आया है। लगता है कि इस विषय को कोई ग्रहण लगा हुआ है, मैंने पहले भी कई बार यह विषय लगाया है और मैं पिछले 4-5 सैशन से यह विषय लगा रहा हूं, परन्तु लग नहीं रहा और आज जब लगा, तो मुकेश जी खड़े हो गए। इसलिए मुझे लगता है कि यह ग्रहण वाली स्थिति आगे बढ़ती जा रही है। --(व्यवधान)---मेरा भी यही है, राकेश जी, this Government and I stand with you with all due regards and respect. The Government is committed that now we all have to come across the Party lines and make sure that this is committed and you have contributed in this immensely. We have to continue this, it is a joint venture. The joint venture has to be based on the values of the farmers, on the knowledge and on the technology.

उपाध्यक्ष : पठानिया जी, कृपा करके समाप्त करिए।

श्री राकेश पठानिया : इसलिए मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी एवं माननीय मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि इसको एक रेवोल्यूशनरी के तौर पर चलाएं, हॉर्टिकल्चर के इस प्रोजैक्ट को हम युद्ध स्तर पर हिमाचल प्रदेश में लेकर आएं। हिमाचल प्रदेश में आम, लीची, अमरूद, सन्तरा, कीवी को और माननीय मुख्य मंत्री जी के क्षेत्र मण्डी में तो अनार भी लग सकता है और मण्डी के ऊपर के बैल्ट में तो कम-से-कम अनार की आठ नई प्रजातियां हैं, जो मण्डी के ऊपर के बैल्ट में आ सकती हैं। हमारे पास आम और लीची की 6 नई प्रजातियां और अमरूद की हमारे पास 12 नई प्रजातियां हैं। अगर ये सारी प्रजातियां नीचे आ जाएं और मेरी इस माननीय सदन से और माननीय मुख्य मंत्री जी से यही अपील रहेगी कि आइए मिलकर इस प्रोजैक्ट को जमीन पर लेकर आएं, उतारें और इस दिशा में काम करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद। अब माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र राणा जी चर्चा में भाग लेंगे। कृपया समय का ध्यान रखें। ये तो मूवर थे, लेकिन आप कृपया पांच मिनट में अपना विषय यहां रखें।

28/08/2019/1525/MS/YK/1

श्री राजेन्द्र राणा (सुजानपुर): माननीय उपाध्यक्ष जी, नियम-130 के अंतर्गत जो माननीय सदस्य, श्री राकेश पठानिया जी वर्ल्ड बैंक डवलपमैंट प्रोजैक्ट के ऊपर इस सदन में चर्चा लेकर आए हैं, उस पर मैं भी बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, श्री राकेश पठानिया जी बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं। इस प्रोजैक्ट को पूर्व सरकार ने तैयार किया था और इसको तैयार करने के लिए अधिकारियों ने लगभग दो वर्ष का समय लगाया। यह प्रोजैक्ट 21 जून, 2016 को स्वीकृत हुआ था तथा 171.5 मिलियन डॉलर का यह प्रोजैक्ट था। इस प्रोजैक्ट में वर्ल्ड बैंक का शेयर 135 मिलियन डॉलर था और बाकी का जो शेयर है वह भारत सरकार ने वहन करना है। जैसे अभी बताया गया कि इस प्रोजैक्ट के तीन साल पूरे हो गए हैं और अब चौथा साल शुरू हो गया है तथा इस पर अब तक 7 से 8 प्रतिशत खर्चा हो चुका है। मुझे लगता है कि इस प्रोजैक्ट पर काम करने की जो गति है वह बहुत धीमी है। माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे मंत्री जी बहुत एक्टिव मंत्री हैं और हमें इनसे काफी उम्मीदें हैं। इस प्रोजैक्ट की अवधि वर्ष 2023 तक है। मुझे लगता है कि आज हमारा देश और प्रदेश एक ऐसे दौर से गुज़र रहा है कि हमें बार-बार लोन लेकर सरकार को चलाना पड़ रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें इस प्रोजैक्ट में कोई पैसा वापिस नहीं करना है और जब पैसा फ्री में मिला है तो इस प्रोजैक्ट को हम इस्तेमाल करें। हमारा जो किसान/बागवान है उसकी आर्थिकी को हम मज़बूत करें, उसके लिए काम करें और जो पैसा हमें मिला है उसे हमें खर्चना चाहिए। मैं चाहता हूं कि जो यह पैसा खर्च करने की धीमी गति है इसको सरकार तेज़ करे। राकेश पठानिया जी ने इस बात का ज़िक्र भी किया कि वर्ल्ड बैंक ने जब मिड टर्म रिव्यु किया तो उसमें यह बात सामने आई कि इसमें सरकार की देरी की वजह से काफी एरिया कट कर दिया गया। इसमें जैसे जानकारी मिली है, उसके अनुसार जो ऊपर वाले क्षेत्र का एरिया इस प्रोजैक्ट में डाला गया था, वह 13700 हैक्टेयर था। लेकिन 13700 हैक्टेयर से एरिया कम करके अब केवल 8000 हैक्टेयर एरिया रह गया यानी 5700 हैक्टेयर एरिया कम हो गया है। राकेश पठानिया जी ने यह भी ज़िक्र किया कि आम, लीची, अमरूद और अन्य कई तरह के फलों को निचले क्षेत्रों में हम मज़बूती दे सकते थे लेकिन वह 4500 हैक्टेयर

ज़मीन जिसको इस प्रोजैक्ट में डाला गया था, वह भी खत्म हो गई। मुझे लगता है कि इससे निचले क्षेत्रों को काफी नुकसान हुआ है। इस पर सरकार और मंत्री जी को गम्भीरता से सोचना होगा। हम लोग देख रहे हैं कि सरकारों को चलाने के लिए बार-बार लोन लेना पड़ रहा है इसलिए जैसे यह प्रोजैक्ट आया है, इसके माध्यम से किसानों/बागवानों की आर्थिकी को मज़बूत करने के लिए ऐसे-ऐसे काम करें ताकि आम आदमी की आर्थिकी मज़बूत हो।

पिछले दिनों हम देख रहे थे कि भारत सरकार ने आर0बी0आई0 से काफी पैसा लिया। इसमें अगर हम आंकड़े देखें तो वर्ष 2004 से 2014 तक जो आर0बी0आई0 के पास रिज़र्व फण्ड पड़े होते हैं, उसमें से इस अवधि में 20 हजार करोड़ रुपये लिये गये और वर्ष 2015 से 2019 तक 54 हजार करोड़ रुपये लिये गये। वर्ष 2019-20 में 1,76000 हजार करोड़ रुपये जो रिजर्व फण्ड थे, जिसमें से 1,23, 414 करोड़ रुपये आकस्मिक निधि से और 52,637 करोड़ रुपये सरप्लस फण्ड से आर0बी0आई0 से केन्द्र ने लिये। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार को किसान/बागवान और आम आदमी की आर्थिकी को मज़बूत करने के लिए काम करना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि हम बार-बार लोन लेकर कब तक सरकार को चलाते रहेंगे? इसलिए हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जो पैसा हमें मिला है उसको हम प्रदेश में लगाएं। श्री राकेश पठानिया जी निचले क्षेत्रों की बात कर रहे थे कि किसान की सबसे बड़ी समस्या जिसके बारे में हरेक विधान सभा सत्र के दौरान चर्चा आती है

28.08.2019/1530/जेके/वाईके/1

कि अपनी खेतीबाड़ी को बन्दरों से, आवारा जंगली ज़ानवरों से बचाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए लगातार सरकारें प्रयास करती रहीं हैं। हम लोगों को भी आगे आने वाले समय के लिए ऐसी स्कीमें बनानी चाहिए ताकि आम आदमी की इकोनॉमी मज़बूती हो। माननीय मंत्री जी ऐसी भी जानकारी मिली है कि वर्ल्ड बैंक और ए.डी.बी. आने वाले वर्षों में कोई भी प्रोजैक्ट तीन साल के लिए सैंक्शन करने वाला नहीं है क्योंकि यह जो पैसा दिया गया, इसमें पैसा न खर्च होने की वज़ह से, शायद मेरी यह जानकारी ठीक होगी क्योंकि आने वाले जो तीन वर्ष हैं, उसमें वर्ल्ड बैंक व ए.डी.बी. ने कोई भी

प्रोजैक्ट सैंक्शन करने के लिए मना कर दिया है। माननीय मंत्री जी, आप काफी एक्टिव हैं, काफी बढ़िया काम कर रहे हैं, यह जो प्रोजैक्ट है जिससे आम आदमी की इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ेगा, उसमें तेज़ी लाएं और जिन-जिन अधिकारियों की आपने डियूटीज़ लगा रखी है, उसको एक्सपीडाइट करें, मुझे इतना ही कहना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अगर इसमें देरी हुई है तो किन कारणों से हुई, अब उसमें जाने की जरूरत नहीं लेकिन आने वाले समय में हम और भी मज़बूती के साथ काम करें। माननीय उपाध्यक्ष जी, आप बार-बार घंटी बजा रहे हैं। आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षः अब माननीय सदस्य, श्री विक्रमादित्य सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री विक्रमादित्य सिंहः माननीय उपाध्यक्ष जी, यह जो माननीय बड़े भाई श्री राकेश पठानिया जी ने जो World Bank Funded Horticulture Development Project पर प्रस्ताव लाएं हैं, इसमें मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि यहां पर सभी ने अपनी-अपनी बात रखनी है। इस पर दो-टूक बात करना चाहूंगा। यह जो 1,034 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट लाया गया है, इसमें मैं केवल मुख्य मुद्दे हाई डैंसिटी प्लांटेशन पर आना चाहूंगा । हम देख रहे हैं कि समय-समय पर, खासकर जो हमारे ट्राइबल एरियाज़ हैं, उनमें जो ऑलरेडी छोटे लैंड होल्डिंग्ज़ हैं, वह और छोटी होती जा रही है। जमीन की रीक्लेमेशन नहीं हो पा रही है। इसके अलावा एक दूसरी समस्या हमारे समक्ष क्लाइमेट चेंज की है। लिमिटिड लैंड होल्डिंग्ज़ और क्लाइमेट चेंज की समस्या हमारे सम्मुख है। पार्टिकुलरली इन दो चीजों को मध्यनज़र रखते हुए लगभग एक तिहाई हिल पॉपुलेशन चार हजार करोड़ रुपये की एप्पल इकोनॉमी के ऊपर निर्भर है। क्लाइमेट चेंज की वज़ह से जो चिलिंग आवर्ज़ हैं, जिसका पठानिया जी ने भी जिक्र किया, वह कम होते जा रहे हैं। Over the period of time, इसको हमने कैसे ठीक करना है, इसके बारे में हमें विचार करने की आवश्यकता है। प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाना है, क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस को कैसे बढ़ाना है, के ऊपर चिन्ता करने की आवश्यकता है। जो यह हाई डैंसिटी प्लांटेशन है इसमें कन्वैशनली जो स्टैंडर्ड एप्पल है, इसकी सिडलिंग रूट स्टॉक की जो स्पेसिंग होती है, वह 7.5X7.5 मीटर्ज़

यानी जो उसकी डैंसिटी है 178 trees by per hectare की है। जो स्पर का पेड़ है उसका 5X5 meters with plantation density of 400 hectares है और ऐवरेज़ प्रोडक्टिविटी जो हमारी 6/8 metric tonne which is much below the productivity of a high density orchards of 4260 metric tonne. पठानिया जी ने जो यहां पर कहा कि हमें कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, हमें उसके ऊपर निश्चित तौर पर विचार करने की आवश्यकता है और जो provision of plantation material है। यह भी बागवानों के लिए बहुत समस्या है। हालांकि सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि दो लाख प्लांट हर साल मुहैया करवाए जा रहे हैं उसके हिसाब से लगभग 50 लाख प्लांट पांच साल के अन्तर्गत दिलवाए जाएंगे। मगर बहुत सी जगहों पर जब हम बागवानों से मिलते हैं वहां पर यह बात जरूर देखने को मिलती है कि प्लांट्स की कमी है। इस चीज को भी देखने की आवश्यकता है और जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो यह स्टैंडर्ड 35/50 मीट्रिक टन की बात कर रहे हैं, कई देशों में यह 120 मीट्रिक टन भी पहुंच चुका है। मगर हमारे प्रदेश में अभी यह 6/8 मीट्रिक टन है तो इस चीज को कैसे बढ़ाया जाए, जैसा मैंने कहा कि पर्टिकुलरली मैं ज्यादा घुमा-फिरा कर बात नहीं कर रहा हूं, I am only speaking on this particular aspect of limited land holding and climate change. उस मुद्दे पर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बाकी और सदस्य भी इस पर अपने महत्वपूर्ण विचार रखें, धन्यवाद।

28.08.2019/1535/SS-AG/1

उपाध्यक्षः विक्रमादित्य सिंह जी, धन्यवाद। अब माननीय सदस्य, श्री राकेश सिंघा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राकेश सिंघा (ठियोग): उपाध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव माननीय सदस्य, श्री राकेश पठानिया जी ने लाया है कि "World Bank Funded Horticulture Development Project पर यह सदन विचार करे"। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। क्या होगा और क्या नहीं होगा, उसके बारे में मैं कह नहीं सकता। लेकिन मैं दो-तीन बातें ही कहूंगा जैसे विक्रमादित्य जी

ने कही। पहली बात यह है कि the record should be put straight. इसमें हेरफेर नहीं होना चाहिए। अगर हिमाचल प्रदेश में सेब का उत्पादन बढ़ा है तो मैं दो टूक शब्दों में कहना चाहता हूं उसमें हिमाचल प्रदेश प्रशासन और जो हमारे विश्वविद्यालय हैं उनका रोल रहा है, but it has been minimum. मैं न्यूनतम कह रहा हूं। अगर उसका कंट्रिब्यूशन या क्रैडिट जाता है तो हिमाचल प्रदेश के बागवानों को जाता है। आज रूट स्टॉक आया, जो वर्ल्ड बैंक से लाया है। फार्मर आज से 12 साल पहले यह रूट स्टॉक ले आया है। आप यह ख्याल करें। The contribution of the Government and its agencies to develop horticulture in Himachal Pradesh has been, I would not say a big zero, very minimum. उसका कारण यह है कि जब तक R&D विश्वविद्यालयों में नहीं की जायेगी और इसके लिए पैसा नहीं दिया जायेगा तो उत्पादन बढ़ने की कोई सम्भावना नहीं है। यह होर्टिकल्चर वैक्यूम में नहीं होता। जमीन में जूझना पड़ता है। जूझने के बाद सेब, नाशपती, अखरोट, लीची या अमरूद पैदा होता है। जब जमींदार जमीन में जूझता है तब जाकर खेती होती है। यह किसी के शरण से खेती नहीं होती है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के तथ्य क्या हैं? That also must be set right कि 6 लाख हैक्टेयर लैंड में से 125000 हैक्टेयर लैंड पर सेब की खेती हो रही है। वह कोई आसान नहीं है। समय बदल गया है, जो आप कह रहे हैं कि वैदर कंडीशन चेंज हो रही है तो मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि पहले सेब 1400 चिलिंग आवर पर लगता था। चिलिंग आवर क्या है? उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर सर्दियों में 7 डिग्री टैम्परेचर 1400 घंटे तक जाए। चिलिंग पीरियड रिड्यूस हो गया है। जो अब आपकी नयी किस्म गाला सेब आई है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि यह कांगड़ा के किसी भी रीज़न में लगेगा। उसका कारण धौलाधार की पहाड़ियां है। यहां अगर सेब लगता है तो हिमालय की पहाड़ियों की वजह से लगता है। ठाकुर साहब, पीछे बैठे हैं। ये पहाड़ियां टैम्परेट कंडीशन्ज़ पैदा करती हैं अन्यथा यहां पर सेब पैदा नहीं होना था। यह अमेरिका में ही होना था। चीन में होना था। यह यहां इसलिए पैदा होता है क्योंकि यहां पहाड़ हैं, चाहे वे हिमालय या धौलाधार के हैं। आज मेरा मानना है कि अगर आने वाले समय में सेब का विकास होगा तो आपकी कांगड़ा की वैली वैस्ट है, उसमें होगा। लेकिन पहलकदमी विभाग और विश्वविद्यालयों को भी लेनी है। यह जो गाला वैराइटी है, आज मैं इस सदन में भी कहना चाहता हूं कि वह जमाना खत्म है जहां से यह सेब आया था। वे आज इस सेब में

पीछे रह जायेंगे। आज चीन आगे निकल गया है। लेकिन बड़ी बात क्या है? दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात यह है कि प्लांट मटीरियल आपको सुपर्ब चाहिए। अगर सुपर्ब प्लांट मटीरियल नहीं होगा तो कोई खेती नहीं हो सकती है। इसका उद्देश्य क्या था, जिस होर्टिकल्चर प्रोजैक्ट का आपने ज़िक्र किया? इसका उद्देश्य यही था कि हम प्लांट मटीरियल इस प्रकार का लाएं जो सुपर्ब हो ।

28.08.2019/1540/केएस/एजी/1

लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वह न इसके ज़रिये आया न किसी और चीज़ के ज़रिये आ सकता है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि प्लांट मटीरियल कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमारी जो होर्टिकल्चर युनिवर्सिटी है, यह वहां तैयार हो सकता है । सभी जानते हैं कि दुनिया का कोई भी प्रोजैक्ट है, अगर वह 100 रुपये देगा, 80 रुपया वापिस ले जाता है, यह आप ख्याल रखिए। वे कोई दान नहीं कर रहे हैं। उस पैसे को बाहर ले जाने के लिए स्कोप रखे होते हैं। चलो आया, अच्छी बात है लेकिन what is important. यह जो प्लांट मटीरियल है, true to its type कहां से और केसे पैदा किया जाए। माननीय मंत्री महोदय से भी मेरी विनती है कि हम होर्टिकल्चर युनिवर्सिटी को इसमें कार्य दें। बहुत ज़मीन है और मैं आपको कह दूं कि जितनी भी घाटे की चल रही हैं, न्यू रूट स्टॉक, EMLA भी पैदा हो जाएगा। यह भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो जेनेवा सीरीज़ नया आया, वह भी पैदा हो जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है और तीन साल के अंदर you will recoup everything. दूसरे, किसी भी किस्म की खेती के लिए पोस्ट हार्वेस्टिंग आज बहुत जरूरी है। हम फसल तो पैदा कर लेते हैं लेकिन दिक्कत पोस्ट हार्वेस्टिंग में है। विभाग के लोग बैठे हैं। ये बताएं कि जो आपकी ओडी में एक ग्रेडिंग मशीन लगी थी, मैं बोलते-बोलते थक गया, आप एक ग्रेडिंग मशीन को ठीक नहीं कर सके तो सरकार की चिंता कहां दिखती है कि वह होर्टिकल्चर को आगे ले जाना चाहती है? It is missing. अगर हम एक ग्रेडिंग मशीन को ठीक नहीं कर सकते हैं । जितने भी सी.ए. स्टोर्ज़ बनाएं, मुझे बताया जाए कि किसानों को कहां पर सी.ए. स्टोर दिया गया? एक भी सी.ए. स्टोर आपने किसानों को नहीं दिया। सारी बड़ी-बड़ी कम्पनियों के लिए आज भी सी.ए. स्टोर हैं। एच.पी.एम.सी. ने भी जो सी.ए. स्टोर बनाएं हैं, वे भी किसानों के पास नहीं छोड़े इसलिए सच्चाई यह है कि हिमाचल प्रदेश के किसान को जूझना है। मैं हिमाचल प्रदेश के किसान को दाद देता हूं,

वह जूझेगा, जो मर्जी आए लेकिन उसकी खेती को आगे ले जाने के लिए कोई भी रुकावट पैदा करेगा तो इतिहास गवाह है, कोई बचेगा नहीं, यह मेरा मानना है। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जो सी.ए. स्टोर में इस प्रोजैक्ट को आपने डाल दिया, इसको बाहर निकालो, इतना ही मेरा कहना है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षः अब माननीय सदस्य श्री नन्द लाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री नन्द लाल (रामपुर)ः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री राकेश पठानिया जी ने नियम 130 के तहत World Bank Funded Horticulture Development Project पर जो प्रस्ताव सदन में विचार करने के लिए लाया है, मैं उसकी चर्चा में अपने आप को शामिल करता हूं। ज्यादा डिटेल में न जाते हुए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यह जो प्रोजैक्ट है, यह यहां वर्ष 2016 में सेंक्शन हुआ था। उसके लिए हमको तत्कालीन मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी का धन्यवाद करना होगा। 1134 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट सेंक्शन करके हिमाचल में बागवानों के लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफ़ा लाए थे। इस प्रोजैक्ट के अंदर क्या-क्या काम होने थे, मैं रफ़ली आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले काम नर्सरीज़ की डवैल्पमैंट था। रूट स्टॉक नर्सरी की जो सिंघा जी बात कर रहे थे, ये पौधे यहां इटली से आए और हर साल आते रहे। उससे अच्छी क्वालिटी के पौधे लोगों को मिलने शुरू हुए। उसके बाद जो हमारी लोकल नर्सरीज़ थी, जैसे रामपुर के दत्तनगर में थी, किन्नौर में है तथा और भी कई जगह पर हैं, सरकार का उनको स्ट्रेंथन करने का इरादा था including the Nauni University what he was mentioning. उसमें भी रिसर्च करके और पौधे तैयार करने का इरादा था। अगली बात थी, to create water resources टैंक्स बनाने थे ताकि रेज़र वायर बनें क्योंकि रूट स्टॉक में सिंचाई की व्यवस्था भी जरूरी होती है।

28.8.2019/1545/av/dc/1

अगली बात नये सी0ए0 स्टोर बनाने के बारे में थी ताकि हमारा प्रोडक्ट स्टोर के अंदर रह पाये। इसके साथ ही एग्जिस्टिंग सी0ए0 स्टोर्ज की केपेसिटी को भी ऐनहांस करना था। But unfortunately न तो सी0ए0 स्टोर बने और न ही एग्जिस्ट कर रहे सी0ए0 स्टोर की केपेसिटी को ऐनहांस किया गया। इसके अतिरिक्त सब्सिडी के अंतर्गत बहुत सारे काम होने थे। सी0ए0 स्टोर इत्यादि के लिए 210 करोड़ रुपये की राशि रखी गई थी। आज हमारी यह हालत है कि पपरोला में जो प्रोसैसिंग प्लांट लगा है Centre of Excellence of Temperate Fruits at Kot- Shillaru, इन दोनों का उद्घाटन माननीय पूर्व मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने किया था मगर उस पर आज तक कोई भी काम नहीं हुआ। इसका प्रोपर उद्घाटन हुआ था मगर उस पर कोई काम नहीं हुआ और लगभग इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अगर सब्सिडी की बात की जाए तो लैंड डैवल्पमैंट, फ्रूट प्लांट्स खरीदने के लिए, एग्रिकल्चर इक्विपमैंट खरीदने के लिए, सी0ए0 स्टोर बनाने के लिए, ग्रेडिंग एण्ड पैकिंग मशीन इत्यादि के लिए सब्सिडी मिलती है। Unfortunately the condition is, हमारे किसान पावर टिलर लेते हैं उनको सब्सिडी नहीं मिलती या दूसरे इक्विपमैंट लेते हैं उसके लिए सब्सिडी नहीं मिलती। इसके अतिरिक्त हमारे पास मार्किटिंग की कोई सुविधा नहीं है और इस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इसके अलावा पोलीहाउस पर मिलने वाली सब्सिडी की पैंडेंसी भी बहुत ज्यादा है। यह कई सालों से नहीं मिल रही है और पिछले दो-अढ़ाई वर्षों से तो हालत बहुत ही खराब है। मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक ने हमें जब इतनी सारी सुविधाएं दे रखी है तो इसे हमें आगे ले जाना चाहिए। यहां पर माननीय राकेश जी ने बहुत अच्छी बात कही मगर what I could access इनके मन में एक शंका-सी रही। ये कहते हैं कि प्रदेश के निचले एरिया में पैदा होने वाले आम इत्यादि दूसरे फ्रूट्स को भी इसमें शामिल करना चाहिए। I agree with Hon'ble Member, Shri Rakesh Singha Ji who says , कि ऐसा नहीं है कि वह यहीं के लिए है। इस प्रोजैक्ट के अंदर जो रूट स्टॉक है इस तरह के पौधे वहां के लिए भी तैयार किए जाएं। (...व्यवधान...) उसको इस तरह से तैयार किया जाए ताकि उसका फायदा पूरे हिमाचल को मिले। इसके अंतर्गत बहुत ज्यादा पैसा है जो कि आप अभी तक खर्च नहीं कर पाये हैं। माननीय सदस्य, श्री राजेन्द्र राणा जी ने इसके बारे में आंकड़े भी दिए हैं कि how much is the balance now, तो यह सब ध्यान में रखते हुए मेरा सरकार से आग्रह

रहेगा कि हमने जो सब्सिडी और सी0ए0 स्टोर की बात कही उसके लिए आप लैंड उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। हमारे ननखड़ी के अंदर एक झांगल जगह है जहां पर सी0ए0स्टोर बनना था। मैं मानता हूं कि आगे जड़ोल में एक बड़ा पुराना सी0ए0 स्टोर बना हुआ है लेकिन उसकी बहुत कम केपेसिटी है। हमारे झांगल के लिए सी0ए0 स्टोर अप्रूव्ड था मगर उस बारे में अभी तक कोई ऐक्शन नहीं हुआ। हमने इस बारे में कई बार बात उठाई कि वहां पर एक सी0ए0 स्टोर का प्रोविजन किया जाए ताकि पूरे रामपुर का एरिया उसमें अपना फ्रूट स्टोर कर सके। मेरा मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि इस बारे में विचार करें। मैं यही कहना चाहूंगा कि इस पैसे को ठीक से इस्तेमाल किया जाए ताकि किसानों-बागवानों को फायदा मिल सके, यही सरकार की मंशा होनी चाहिए और यही हमारी मंशा है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : अब माननीय सदस्य, श्री जगत सिंह नेगी जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राकेश पठानिया जी ने नियम-130 के अंतर्गत जो प्रस्ताव रखा है मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यहां पर जैसे बताया गया कि इस वर्ल्ड बैंक द्वारा फंडिड प्रोजैक्ट की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई तथा आज दिन तक इस पर लगभग 91 करोड़ रुपये की राशि खर्च हो चुकी है। उस 91 करोड़ रुपये की राशि से आपने कुल एक लाख कुछ हजार पौधे बाहर से इम्पोर्ट करके यहां पर लाए।

इस प्रोजैक्ट में जो खर्चा दिखाया गया है, उसमें कंसल्टैंसी पर 17 करोड़ रुपये खर्च किए गये हैं। मेरा विधान सभा में प्रश्न लगा था, यह उसके जवाब में भी आया है। जिस 91 करोड़ रुपये के प्रोजैक्ट में आपने 17 करोड़ रुपये कंसल्टैंसी पर ही खर्च कर दिया है, मुझे तो शक है कि इसमें आपने 80 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि कंसल्टैंसी के लिए रखी होगी ताकि बैकडोर से कमीशन ली जा सके। माननीय सदस्य श्री राकेश पठानिया जी एक मोटी

किताब दिखा रहे थे। इसके लिए तो हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमैंट और हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी भी है। ये सबको पता है कि रूटस्टोक क्या होता है और कौन-से टैंपरेट जोन हैं? लेकिन सब कुछ पता होने के बावजूद आपने इस सिस्टम को बीच में ही रोक दिया। अभी यहां पर ठीक ही बताया गया कि कहीं मंत्री जी और अधिकारियों बीच में कोई बात हो गई होगी और प्रोजैक्ट को ठण्डे बस्ते में डाल दिया। झगड़ा आप लोगों का हुआ और नुकसान हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों का हो गया। इसमें कलस्टर को चार हिस्सों में रखा गया है, मुझे लगता है कि यह इसमें सबसे बड़ा ड्रा- बैक है। आपके पास जगह तो है नहीं और आप गांव में कलस्टर बना देंगे। इन कलस्टरों को कौन बना रहा है? इसके लिए आप एस0डी0ओ0 को मौके पर भेजते हैं और वह दो-चार बड़े-बड़े बागवानों को पकड़ कर कागज़ों में ही कलस्टर तैयार कर लेता है। आप कहते हैं कि यह बहुत बड़ा प्रोजैक्ट है और इससे बहुत बड़ा कल्याण होने वाला है। लेकिन इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने आप लोगों की लड़ाई को देखते हुए इसको दोबारा कोल्ड स्टोर में डाल दिया है। दिसम्बर, 2019 तक रि-स्ट्रेक्चरिंग होनी है और तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, न तो आप पैसा खर्च कर सकते हैं और न ही आप कुछ आगे का काम कर सकते हैं। इस तरह से आपका एक साल और निकल जाएगा। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि आपको मौके की स्थिति का पता है और कलस्टर सिस्टम के बारे में भी पता है, इसलिए यह जो कलस्टर सिस्टम बनाया गया है, आप इसमें यह भी देख लें कि क्या यह कलस्टर सिस्टम होना चाहिए? इतना बड़ा कलस्टर आपको कहां मिलेगा? आप कलस्टर सिस्टम के तहत सिंचाई व्यवस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन पानी को लेकर हर इलाके की अपनी-अपनी समस्याऐं हैं। कई जगह आपको बोरवैल, लिफ्ट इरिगेशन और फ्लो इरिगेशन से पानी लेना पड़ेगा। इसके लिए आप कैसे पैसों का यूटेलाइजेशन कर पायेंगे। इसके साथ ही इरिगेशन डिपार्टमैंट भी है और जो पानी लोगों को मिल रहा है, उसको भी कलस्टर के नाम पर बन्द कर देंगे। इसलिए ये बहुत-सारे बिन्दु हैं जिन पर आपको विचार करना है और फिर जाकर हम आगे बढ़ सकेंगे।

दूसरा, आपने ट्रेनिंग पर भी बहुत पैसा खर्च कर दिया है लेकिन आपने वर्ष 2016 से आज तक लगभग 1000 लोगों को ट्रेंड किया है। आपने ट्रेनिंग के लिए भी जाने पहचाने लोगों को एक जगह पर बुला लिया और हो गई ट्रेनिंग। आपका कौन-सा रिसोर्स पर्सन था जिसने यह ट्रेनिंग दी क्योंकि मैंने तो किन्नौर में किसी को ट्रेनिंग देते हुए नहीं देखा। वहां पर एस.डी.ओज. ही नहीं है (...व्यवधान...) यह प्रोजैक्ट वैसे ही कोल्ड स्टोर में चला गया है, इसको बाहर निकालने के लिए मैं भी कुछ सुझाव देना चाहता हूं। इसमें रूटस्टोक की बड़ी बातें हो रही हैं। यह कोई नई तकनीक नहीं है। हाटकोटी के पास एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट का 35 बीघे का एक बगीचा है, किसी समय यह नम्बर-। पर था। वहां पर तीन फुट से लेकर 12 फुट तक सारी किस्म के रूटस्टोक उपलब्ध हैं। भंगरोटू में भी रूटस्टोक तैयार होता है।

28-08-2019/1555/NS/HK/1

लेकिन आपको रूट स्टॉक इटली, कनाडा, इजरायल और हॉलैंड से लाना है। अधिकारी हवाई जहाज में घूमेंगे, तभी पैसा खर्च होगा अन्यथा नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आप इंडिया में रूट स्टॉक तैयार क्यों नहीं करते हैं? जो रूट स्टॉक आप वहां से लाते हैं, quarantine में फंस जाता है। आप इसके लिए जहाज की डायरैक्ट बुकिंग करते हैं लेकिन इसको समुद्री जहाज से भेजा जाता है। जब स्टॉक यहां पहुंचता है तो आधे पौधे मरे हुए होते हैं और बीमारियां लगी होती हैं। आपके पास इतने पी0सी0डी0ओज़0 हैं, आप इसमें रूट स्टॉक तैयार क्यों नहीं करते हैं? एक रूट का 1500 रूट स्टॉक तैयार होता है। यह स्टूपिंग करके बनता है और आप इसको तैयार नहीं करना चाहते हैं। आपको यह विदेश से ही मंगवाना है क्योंकि इंपोर्ट करने के मजे ही और हैं। आप इस मजे को मत कीजिए। हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर टैक्नोलोजी मिशन में बहुत ज्यादा पौधे आए थे और एक-एक पौधा 1000 रुपये में मिला था तथा इसमें आधे पौधे मरे हुए थे। ये पौधे दिल्ली में हवाई जहाज से उतारे गए तो आधे से ज्यादा सूखे और मरे हुए थे। आपने इन पौधों को जबरदस्ती बांट दिया था। पहले भी ऐसे ही हुआ है और अभी भी हो रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हॉर्टिकल्चर मिशन और वर्ल्ड बैंक फंडिड मिशन में एक नई सोच की जरुरत है। यहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में ज्यादातर माननीय सदस्य

किसान और बागवान हैं तो आप कभी हमें भी किसी सेमीनार में बुलाएं। क्योंकि हम आपको तीन मिनट में सुझाव नहीं दे सकते हैं। आप कभी विधायकों का सेमीनार बुलाएं और जब विदेश जाते हैं तो आप हमें भी साथ ले जाईए, खाली अधिकारियों को ही मत ले जाईए। माननीय मंत्री जी, हम अपने पैसे से जाने के लिए तैयार हैं, आप साथ लेकर तो जाएं। अधिकारी जाते हैं और दूसरे दिन ही उनकी ट्रांसफर किसी और विभाग में हो जाती है। आपने उसको हॉर्टिकल्चर की ट्रेनिंग करवा दी और वह अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग का बन जाता है। ऐसे काम से कोई फायदा नहीं होगा। इस विषय पर बोलने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन मैं इस विषय पर इतना ही बोलना चाहता हूं कि इसमें बहुत ज्यादा पैसा है और इसका सदुपयोग हो सकता है। एप्पल बेल्ट में इसका फायदा हो सकता है और निचले इलाकों में एक से बढ़कर एक फ्रूट है तो वहां भी फायदा हो सकता है। निचले इलाकों में जगह ज्यादा है। हमारा एरिया सैचुरेशन प्वाईंट पर पहुंच गया है। यहां पर जो नर्सरियां हैं, हर साल उनके माध्यम से लाखों की संख्यां में पुराने पौधे लग रहे हैं। हमारे पास नए पौधे नहीं हैं। अभी जेरोमाइन नामक नई वैरायटी सेब की आई है। उसकी पेटी 3500 रुपये में बिक रही है और रॉयल सेब 500 या 600 रुपये में जा रहा है। यह नई वैरायटी जब तक आएगी तब तक हमारे पास लगाने के लिए जगह भी नहीं बचेगी। क्योंकि वहां पर सारे पुराने पौधे लग जाएंगे। माननीय मंत्री जी आप इस पर गंभीरता से विचार करें। जब आप इसका उत्तर देंगे तो लंबी-चौड़ी हिस्टरी न बताएं। आप सिर्फ इतना बताएं कि आपका एक्श्न प्लान क्या होगा? आप इस पर विशेष रूप से एक्शन प्लान बनाएं, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षः माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री जी, आप क्या बोलना चाहते हैं?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर यह तय हुआ था कि आज इस विषय पर चर्चा हो जाएगी और उत्तर परसों दिया जाएगा।

उपाध्यक्षः माननीय मंत्री जी, ठीक है। इस चर्चा में माननीय छः सदस्यों के नाम आए थे। सत्ता पक्ष से कोई नाम नहीं आया था। लेकिन मेरे पास अभी माननीय सदस्य, श्री जवाहर ठाकुर जी का नाम आया है। अब माननीय जवाहर जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री जवाहर ठाकुरः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री राकेश पठानिया जी ने इस माननीय सदन में जो प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। हिमाचल प्रदेश बागवानी और सेब राज्य के नाम से जाना जाता है। मैं समझता हूं कि वर्ल्ड बैंक का जो यह प्रोजेक्ट आया है इससे किसानों और बागवानों को फायदा होगा और हमारा किसान व बागवान आने वाले समय में और सक्षम होगा। यहां पर

28.08.2019/1600/RKS/HK-1

माननीय नेगी जी कह रहे थे कि माननीय मंत्री और विभाग के झगड़े की वजह से यह प्रोजैक्ट ठंडे बस्ते में पड़ा है। मैं आदरणीय महेन्द्र सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं कि जब से इन्होंने बागवानी मंत्री का कार्यभार संभाला है तब से यह प्रोजैक्ट आगे बढ़ा है। आपके समय में जो पौधे विदेशों से खरीदे गए वे 8-8 महीनों तक कंटेनरों में ही पड़े रहे। मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के बजौरा व किगस में होर्टिकल्चर फार्म हैं। जब मैं माननीय मंत्री जी के साथ उन फार्मों का दौरा करने गया तो वहां पर पौधों की हालत देखकर हैरान रहा गया। वहां पर पौधों की स्थिति ठीक नहीं थी और 40 प्रतिशत से अधिक पौधे पूरी तरह सूख चुके थे। उन पौधों को माननीय मंत्री जी ने अपने हाथों से बाहर फैंक दिया। हमारा प्रदेश बागवानी व सेब राज्य के नाम से जाना जाता है। यह एक अच्छा प्रोजैक्ट है। जैसे भाई सिंघा जी ने कहा कि जो पांच हजार से ऊपर की हाइट वाले क्षेत्र हैं या वे क्षेत्र जहां 8000 की हाइट में सेब होता है, इस प्रोजैक्ट के आने से उन क्षेत्रों को फ़ायदा होगा। आने वाले समय में इस प्रोजैक्ट के तहत कोल्ड स्टोर का भी प्रावधान किया जाए। जो हमारे निचले क्षेत्र हैं, वहां के लोगों को भी इस प्रोजैक्ट का लाभ मिले इसलिए उन क्षेत्रों को भी इस प्रोजैक्ट में शामिल किया जाए। जो सेब की पुरानी अच्छी वैरायटीज़ हैं उनको जीवित रखने के लिए भी इसमें प्रावधान किया जाए। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि नगवाईं में एक 55 बीघा का बंजर रकबा किसी कंपनी के पास पड़ा हुआ है। उस रकबे का मामला माननीय न्यायालय में विचारधीन है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उस रकबे की पैरवी करके होर्टिकल्चर विभाग के सुपुर्द किया जाए ताकि वहां

पर इस प्रोजैक्ट के माध्यम से काम शुरू किया जा सके। वहां बागवानी या दूसरा जो सब्जी का काम है, उसका अच्छा उत्पादन होता है। जो माननीय सदस्य, श्री राकेश पठानिया जी ने इस प्रोजैक्ट के बारे में प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

उपाध्यक्षः यहां पर जो World Bank Funded Horticulture Development Project पर चर्चा की गई उसका माननीय मंत्री जी परसों उत्तर देंगे। इसके अतिरिक्त जो नियम-61 और 62 में अन्य बिजनैस है उसे अगली कार्यवाही के लिए पोस्टपोन किया जाएगा और इसके लिए सत्तापक्ष और विपक्ष की तरफ से एक सर्वमान्य प्रस्ताव आया है ।

अब इस माननीय सदन की बैठक वीरवार, 29 अगस्त, 2019 के 11:00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **यशपाल शर्मा,**
दिनांकः 28 अगस्त, 2019 **सचिव।**